खण्ड-229, अंक-9
बुधवार, 12 वैशाख, शक संवत् 1884
(2 मई, 1962 ई0)

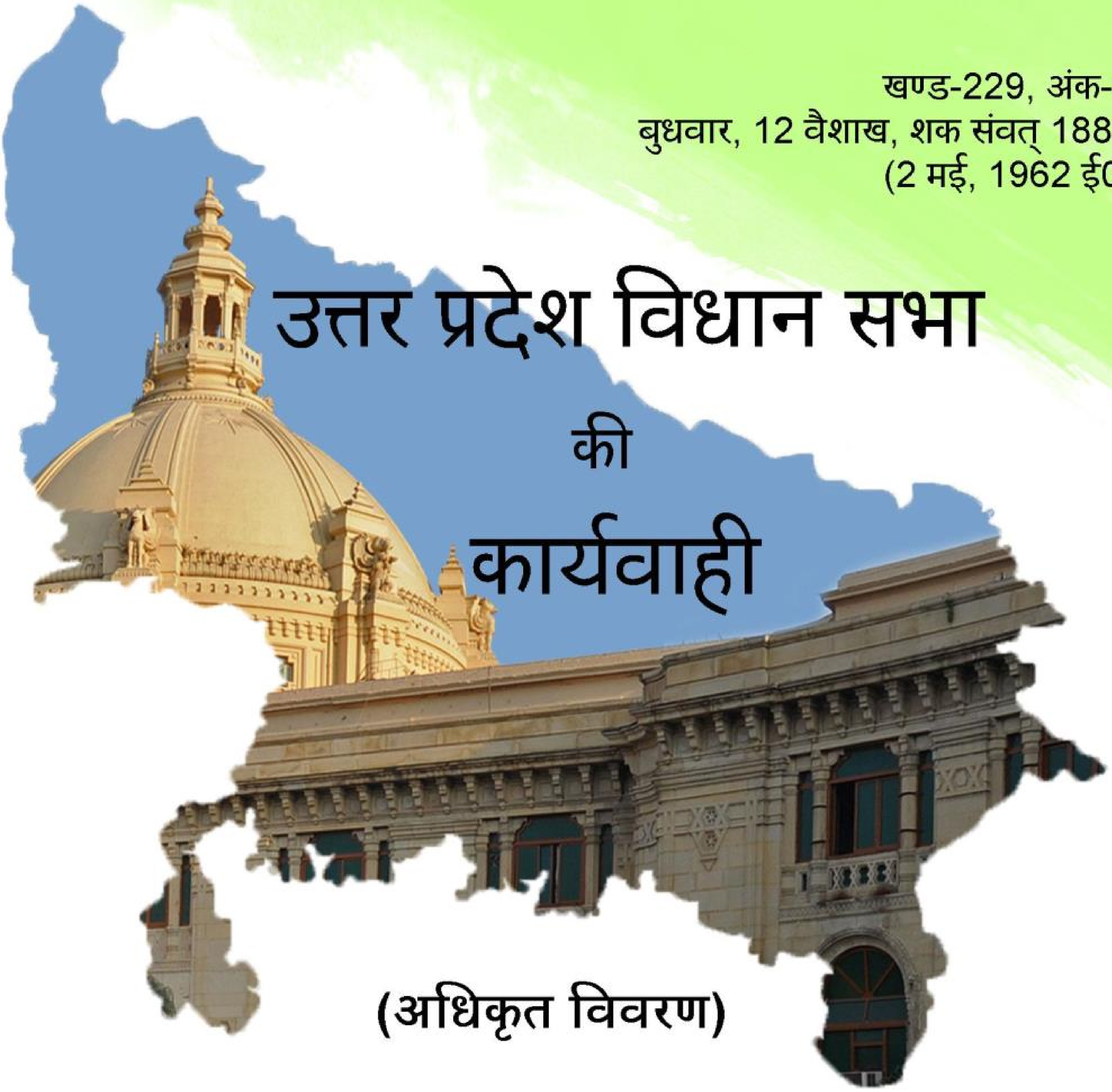

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 229 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	६५५–६५९
प्रश्नोत्तर	६५९–६७२
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये) ..	६७३
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	६७३–६७४
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	६७४
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	६७५–६७६
विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन	६७६–६७९
उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित श्री होतीलाल अग्रवाल को बधाई	६७९–६८१
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या ११—आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन (स्वीकृत)	६८१–७२२
आश्वासन, प्रतिनिहित विधायन, विशेषाधिकार तथा आवास मंत्रणा समितियों के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा	७२३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---३९१

अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श ,श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरी प्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)

गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री

नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह, वद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भगवानदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य

मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तलानायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद , श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल , श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज , श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २ मई, १९६२

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

अमरोहा चीनी मिल से मजदूरों का हटाया जाना

**१—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अमरोहा शुगर मिल, जिला मुरादाबाद के मालिक ने अप्रैल के दूसरे सप्ताह में एक सौ से अधिक मजदूरों को नौकरी से अलग कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---जनवरी से अप्रैल सन् १९६२ तक इस मिल ने ८८ मजदूर कार्य से पृथक किये हैं जिनमें ४८ अस्थायी थे और शेष ४० की उम्र ५८ वर्ष पूरी हो गई थी।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या मंत्री जी बताने की कोशिश करेंगे कि जिन मजदूरों को नोटिस दिया गया है सर्विस से अलग करने का वह क्या सभी को एक ही प्रकार का दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---टेम्पोरेरी वर्कर्स को अलग करने के लिये किसी नोटिस की जरूरत नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या मंत्री जी बताने की कोशिश करेंगे कि मजदूरों को जो नोटिस दिये गये हैं उन सब में लिखा है कि उन की उम्र ५८ साल हो गई है इसलिये उनको अलग किया जाता है, क्या इसकी कोई सूचना उन को है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---मैंने उत्तर में साफ बता दिया था कि उसमें से ४८ मजदूर अस्थायी थे जिन को अलग किया गया है और बाकी ४० के ५८ साल पूरे हो गये थे इस लिये सुपरएनुएशन कानून के अनुसार उन को सुपरएनुएट किया गया है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जो अस्थायी कर्मचारी थे उन का अधिक से अधिक सर्विस का कार्य काल कितना था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---मेरे पास पूरी फेहरिस्त है कि इन ४८ वर्कर्स ने कब से कब तक काम किया, समय अधिक लगेगा यदि वह चाहें और आप इजाजत दें तो मैं पूरी लिस्ट पढ़ दूं। इन में से कुछ आदमियों ने बहुत से बहुत २-३ महीने ही काम किया है।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शुगर वेज बोर्ड ने सुपरएनुएशन की उम्र ५८ साल की मुकर्रर कर दी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां, ५८ साल पर सुपरएनुएशन करने की उन्होंने सिफारिश की है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वेज बोर्ड ने ५८ साल की उम्र रखी है तो ५८ वर्ष पूरे होने से पहले ही उन को क्यों निकाला गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि कोई ५८ साल से पहले ही निकाला गया है। हमें सूचना है कि कानून के अनुसार ५८ साल पूरे होने पर ही नोटिस दिया गया है और उन को सहूलियत दी गई है कि वह चाहें तो आब्जेक्शन कर सकते हैं और अपने को सिविल सर्जन के पास जाकर एग्जामिन करा सकते हैं और एज सर्टिफिकेट ला सकते हैं लेकिन किसी वर्कर ने न तो कोई आब्जेक्शन किया, न सिविल सर्जन से अपने को एग्जामिन करा के सर्टिफिकेट दिया है और न कोई शिकायत की है और न किसी इन्डिविजुअल की कोई शिकायत ही इस संबंध में आई है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ४० मजदूर एक ही समय में ५८ वर्ष में हो गये या साल, दो साल के अन्तर से हुए ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---सब की अलग-अलग तारीख दी हुई है।

श्री उग्रसेन---मंत्री जी बतायेंगे उन्हें कितने दिन की नोटिस दी गई थी कि आपकी नौकरी इस तारीख से समाप्त की जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---इसकी तो सूचना नहीं, मगर जिस तारीख से उनको डिस्चार्ज किया गया उसकी डिटेल मेरे पास है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या यह सही है कि मिल मालिक ने मुरादाबाद के सिविल सर्जन के अलावा दूसरे जिले के सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर दिया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इसके बारे में कोई सूचना नहीं है ।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)—मंत्री जी बतायेंगे कि मजदूर जो निकाले गये उन्हें कब निकाला गया है और वह कब से काम करते थे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बता दिया कि लम्बी फेहरिस्त है जिसको मैंने पढ़ने से मना कर दिया है ।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है यूनियन में नेतागीरी करने की वजह से निकाले गये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

पे कमीशन बैठाने की प्रार्थना

**२—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन क्रमों के पुनर्निर्धारण हेतु एक पे कमीशन (Pay Commission) बिठाने की आवश्यकता अनुभव करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक सरकार पे कमीशन बैठायेगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—सरकार पे कमीशन बैठाने की आवश्यकता अनुभव नहीं करती है क्योंकि जिन पदों के वेतन क्रमों में revision की आवश्यकता समझी जाती है उन्हें revise कर दिया जाता है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या यह सही है कि चपरासियों का वेतन-क्रम २७ रु० से तथा लोवर डिवीजन के कर्मचारियों को ६० और ८० रु० से प्रारम्भ होता है ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसा तो नहीं है कि सब का ८० रु० से ही प्रारम्भ होता हो । ८० रु० से कम भी प्रारम्भिक वेतन रुटीन क्लर्क्स का है और सब चपरासियों का वेतन २७ रु० ही से प्रारम्भ होता हो ऐसा नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जिनका वेतन २७ रु० और ६० रु० से प्रारम्भ होता है उनके वेतन क्रमों को ठीक करने के लिये मंत्री जी पे कमीशन बैठाने या कोई अन्य कमेटी का विचार रखते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—जैसा पहले बताया गया है, ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि पिछली बार जो पे कमीशन नियुक्त हुआ था उसकी सिपारिशों के साथ उसे कार्यान्वित किया गया । उसके बाद कई बार ऐसे कर्मचारियों के वेतन में और उनके एलाउन्सेज में आवश्यकतानुसार वृद्धि की गई ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं और उनके लिये निम्नतम वेतन कमेटी की सिफारिश है कि उनके वेतन बढ़ाये जांय, उसको रिवाइज करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जयराम वर्मा—इस वक्त यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री उग्रसेन—माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रथम पे कमेटी १९४७ में बैठी थी और उसके बाद जो विभाग नये बनाये गये तो क्या उन विभागीय कर्मचारियों के पदों की पदोन्नति या ग्रेड बढ़ा दिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—जो नई जगहें बनायीं गयी उनका वेतन उसके अनुसार ही रखा गया है और जिसकी आवश्यकता प्रतीत हुई उसको बढ़ाया भी गया ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या यह सही है कि पहले पे कमीशन ने यह स्पष्ट कहा है कि वह केवल आगामी १० वर्षों तक के हिसाब से वेतनक्रमों को निर्धारित कर रहा है, उसके बाद अन्य पे कमीशन बैठाना होगा ?

श्री जयराम वर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गेंदासिंह—जिस निम्नतम वेतन कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश का मैंने जिक्र किया, क्या माननीय मंत्री ने कभी उसका अवलोकन किया है, अध्ययन किया है ? यदि नहीं, तो उसको फिर देखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—पहले वह प्रश्न पूछ लीजिये कि निम्नतम वेतन क्या रखा है, तब आगे पूछिये तो ठीक होगा ।

श्री गेंदासिंह—वह जवाब दे दें तो वैसे पूछ लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न है वैसा ?

श्री गेंदासिंह—जी हां, है ।

श्री जयराम वर्मा—निम्नतम वेतन कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों में क्या निम्नतम वेतन रखा गया है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—यह जो फोर्थ क्लास एम्पलाईज, चपरासी हैं उनके वेतनक्रम को बढ़ाने के प्रश्न पर अभी तक विचार क्यों नहीं किया गया और उसमें क्या कठिनाई है ?

श्री जयराम वर्मा—मैंने पहले ही यह बतला दिया कि सन् ४७ के बाद कई बार उनके वेतन में और अलाउन्सेज में वृद्धियां हुई हैं और यह पे कमीशन बैठाने की जरूरत तब पड़ती है जब कि वेतन के सम्पूर्ण ढांचे में फिर से विचार करने की आवश्यकता हो और उस वक्त भी जरूरत पड़ती है जब कि हमारे पास साधन हों, हम उसे कर सकते हों । दूसरी बात यह भी होती है कि गवर्नमेंट सर्विस में जो कर्मचारी हैं अगर उनका वेतन स्केल ऐसा है कि जो सर्विसेज के बाहर बहुत फर्क मालूम पड़ता हो, ऐसी बात भी नहीं है । हमारे साधन सीमित हैं । इन्हीं साधनों में हमें अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये साधन जुटाने हैं और इस साल के बजट में जो १३ करोड़ ३५ लाख का घाटा है, उसका भी हमें प्रबन्ध करना है । तीसरे हमारी स्टेट के जो वेतनक्रम हैं दूसरी स्टेट्स के वेतनक्रमों के मुकाबले में कोई खराब नहीं हैं, कई मामले में अच्छे भी हैं ।

श्री रामायण—मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि स्टेट मंत्रियों और माननीय सदन के सदस्यों के वेतन बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है । ऐसी स्थिति में इन निम्न वेतन क्रमों के बढ़ाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

इटावा जिले के मृत अमीन, श्री गुरुप्रसाद के वारिसान को कलेक्शन कमीशन का रुपया देने का आदेश

*१—**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग के एक 'कलेक्शन अमीन' का कत्ल, अगस्त, १९५८ में इटावा जिले में हो गया था ?

न्याय मंत्री के सभा-सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—जी हां ।

*२—श्री सहदेवसिंह—क्या सहकारिता मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त मृत अमीन श्री गुरुप्रसाद के कलेक्शन कमीशन का लगभग पांच सौ रुपया सहकारी विभाग के पास पड़ा हुआ है और विगत लगभग चार साल में वह उसकी पत्नी अथवा उत्तराधिकारी को नहीं दिया गया है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—जी हां, कमीशन की रकम ६०० रुपया ४ न० पै० के भुगतान के लिये सहकारी बैंक इटावा को लिख दिया गया है।

श्री सहदेवसिंह—क्या सहकारिता मंत्री बतलायेंगे कि अगस्त, ५८ में कत्ल हुआ था तब से रुपया बराबर मांगा जाता रहा, तो चार साल बाद सहकारी बैंक को क्यों लिखा गया, इससे पहले क्यों नहीं लिखा गया ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—इससे पहले इसलिये नहीं लिखा गया क्योंकि उसमें इंक्वायरी की जा रही है। कुर्क अमीन जो थे उनके खिलाफ सरकार का रुपया तो नहीं निकलता है इसकी भी जांच की गयी और इसलिये समय लगा।

श्री सहदेवसिंह—यह जो कलेक्शन अमीन हैं उनके पास रुपया रहता है, इसलिये उनको खतरा रहता है और बदमाश लूट सकते हैं। क्या सरकार कोई ऐसा प्रबन्ध करेगी कि उनके पास आर्म्स रहें जिनसे वे अपनी रक्षा कर सकें ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—अगर जरूरत समझी गयी तो उसकी व्यवस्था की जायगी।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कमीशन का रुपया देने का आदेश प्रश्न करने के बाद भेजा गया है ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—प्रश्न करने के बाद तो नहीं, लेकिन २० अप्रैल, १९६२ को उनके वारिसान को नोटिस दे दिया गया है कि वे अपना रुपया वापस ले लें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या यह सही है कि जिस समय कुर्क अमीनों को यह काम सौंपा जाता है उस समय उनसे अलग जमानत ली जाती है उस धन के लिये जो उनके पास रहता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, जमानत लेने का नियम है।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी ने जवाब में बताया कि चार साल के अन्दर अभीतक इस बात की जांच न हो सकी कि कुर्क अमीन का रुपया देय है या नहीं। तो जिन विभागीय अधिकारियों ने इस जांच में इतनी ढिलाई की है उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—असल में बात यह है कि आर्डर यह था कि जो रुपया उन्होंने वसूल किया या जो उनका कमीशन होता है और जो रुपया उनके पास रह गया हो उसकी तफतीश कर ली जाय। तो कागजात से तो पता लगा नहीं क्योंकि कागजात सब गायब हो चुके थे। फिर गांव-गांव में पता लगाया गया, कर्मचारी गये कि कहीं रसीदें वगैरह मिल जायं। तो उससे मालूम हुआ कि जो रुपया उन्होंने जमा किया है वह सही किया है।

श्री सहदेवसिंह—क्या यह बात सही नहीं है कि उस कलेक्शन अमीन ने चार्ज दे दिया था और उसके दूसरे दिन उसका कत्ल हुआ जबकि वह कमीशन लेने के लिये इटावा जा रहा था और ऐसी स्थिति में जबकि वह चार्ज दे चुका था तो चार साल का समय क्यों लगा कि जांच की जाय और रसीदें मिलायी जायं ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब वे दे चुके हैं।

[२ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री झिलमिट झिल्लू (जिला गाजीपुर)—[१६ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर में जे०के० ग्रुप तथा लक्ष्मीरतन काटन मिल्स पर बिक्री कर का बकाया

*२—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर), श्री जगन्नाथ (जिला जौनपुर) तथा श्री गयाप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि इस समय कानपुर में जे०के० ग्रुप तथा बी०आई० ग्रुप तथा लक्ष्मीरतन काटन मिल पर प्रदेशीय सरकार का कितना कितना सेल्स टैक्स का देय बाकी है ?

श्री जयराम वर्मा—कानपुर में जे०के० ग्रुप मिल्स तथा लक्ष्मीरतन काटन मिल्स पर सरकार का कुल बकाया सेल्स टैक्स क्रमशः ९,००,३६२ रु० ८९ नये पैसे तथा ५,७०,८७९ रु० ६ नये पैसे हैं।

कानपुर में बी०आई० ग्रुप की मिलें नहीं हैं। इसलिये उन पर बकाया सेल्स टैक्स देय होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह लक्ष्मीरतन काटन मिल्स और जे०के० ग्रुप पर जो .१९ लाख और ५ लाख रुपया सेल्स टैक्स का बकाया रह गया यह क्या एक साल का बकाया है ?

श्री जयराम वर्मा—यह कई साल का बकाया है। जे०के० ग्रुप मिल्स में जे०के० काटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स का बकाया है १९५७–५८ का, जे०के० जूट मिल्स का बकाया है १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ का, जे०के० आयरन ऐंड स्टील कम्पनी पर बकाया है १९५५–५६ का और जे० के० आयल कम्पनी पर बकाया है १९५७–५८ का। और लक्ष्मी रटन काटन मिल्स पर बकाया है १९५६–५७ और १९५७–५८ का।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इतनी बड़ी रकम वसूल न होने के क्या कारण हैं ?

श्री जयराम वर्मा—उनकी वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है और वसूल करने का प्रयत्न होता रहा है। इसमें किसी किसी केस में असेंसमेंट देर में हो पाया जिसकी वजह से देरी हो गई।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि वहां के स्थानीय अधिकारियों ने वसूली की कार्यवाही की है लेकिन यहां से रुकावट डाल दी गई जिससे इतनी बड़ी रकम बकाया पड़ी है ?

श्री जयराम वर्मा—नहीं, ऐसी बात नहीं है और वसूली की कार्यवायीही हो रही है और जैसा कि मैंने बताया कि लक्ष्मीरतन काटन मिल से २५ हजार रुपये माहवार की किस्त में अदा हो रहा है। इसी प्रकार से जे०के० काटन स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स से बकाया रकम १० हजार रुपया माहवार की किस्त में अदा हो रही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—इतनी बड़ी पार्टी है और रकम बहुत ज्यादा नहीं है फिर किस्त करन के क्या कारण हुये ?

श्री जयराम वर्मा—उनकी दिक्कत को देखते हुये और वसूली हो सके इसलिये किस्त करने की जरूरत पड़ी ।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लक्ष्मीरतन काटन मिल ने आपको सूद भी नहीं दिया है तो आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री जयराम वर्मा—जैसा कि मैंने बताया कि उनके ऊपर २५ हजार रुपये माहवार की किस्त हो गई है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जितनी रकम बकाया है उस पर कितना सूद लिया है और क्या रेट आफ इंटरेस्ट है ?

श्री जयराम वर्मा—कोई सूद नहीं लिया जाता है ।

श्री रामायण—मान्यवर, सात साल पहले की रकम बकाया है और मंत्री जी ने बताया कि कुछ केसेज में असेसमेंट में दिक्कत हुई, लेकिन जिनमें असेसमेंट हो गया उनका रुपया क्यों वसूल नहीं हो पाया और सरकार को मिल मालिकों की दिक्कत का पता कब और कैसे हुआ ?

श्री अध्यक्ष—अब यह नहीं बता सकते ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी दिक्कत को देखते हुये किस्त की जो सुविधा दे दी गई है वह कब से दी गई और कितना धन वसूल हो गया ?

†**श्री जयराम वर्मा**—श्रीमान्, तफसील से बताने की जरूरत हो तो जैसा कि मैंने बताया कि जे०के० काटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स से १० हजार रुपये माहवार की किस्त में वसूली हो रही है । यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने वसूली रोक दी है तब भी मिल स्वेच्छा से बकाया कर का किस्तों में भुगतान कर रही है । जे० के० जूट मिल्स से जो रकम बकाया है उसके सिलसिले में १९४८–४९ तथा १९४९–५० का जो असेसमेंट हुआ था उसमें जज पुनरीक्षण ने यह फैसला कर दिया कि यह रिअसेस किया जाय । उसके खिलाफ सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है । जब तक फैसला नहीं होता तब तक उनके कहने के मुताबिक १९४८–४९ तथा १९४९–५० का रुपया बाद वाले सेल्स टैक्स में मुजरा करने में दिक्कत है । इसके अलावा बाकी जो रुपया बचता है उसकी वसूली का सार्टीफिकेट जारी हो गया है और उसकी कार्यवाही की जा रही है ।

इसी तरह से जे० के० आयरन ऐंड स्टील कम्पनी में दिक्कत यह हुई कि यहां असेसमेंट बहुत देर में हुआ । फरवरी, १९६१ में हो पाया । अप्रैल, १९६१ में वसूली का सर्टिफिकेट जारी किया गया । ३० जून को उनके प्रार्थना-पत्र पर वसूली स्टे हो गयी । नवम्बर में स्टे वैकेट हो गया और दिसम्बर, १९६१ से वसूली की कार्यवाही हो रही है ।

इसी तरह से जे०के० आयल कम्पनी, कानपुर में भी सितम्बर, १९६१ में असेसमेंट हो पाया । उसके बाद उन्होंने किस्तों के लिये प्रार्थनापत्र दिया । किस्तें फरवरी और मार्च, १९६२ के लिये की गयीं । लेकिन चूंकि किस्तों की अदायगी नहीं हो पायी है, अब उनकी वसूली के लिये कार्यवाही हो रही है और वसूली का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है ।

लक्ष्मीरतन काटन मिल्स में जैसा कि मैंने बताया २५ हजार रुपये माहवारी के हिसाब से वसूली हो रही है । असेसमेंट १९६० में हो पाया था, उसमें भी असेसमेंट में देर हो गयी थी ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अभी मंत्री जी ने यह बताया कि असेसमेंट में बिलम्ब हुआ, तो मिल मालिकों ने अपनी तरफ से असेसमेंट करवाने में विलम्ब करवाया या सरकार द्वारा विलम्ब किया गया ?

---

† जून, १९६२ को वित्त उप-मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित ।

श्री अध्यक्ष—सरकार का सवाल क्या है ? जो बात है वह यह है कि असेसमेंट में बिलम्ब हुआ । उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं । सरकार से क्या मतलब ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, यह बता दें कि कौन कारण हैं ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो उन्होंने कहा कि किस्तों में वसूली के लिये आदेश दे दिया गया है, जब कि इस वर्ष गरीब किसान के लगान और तकावी की वसूली किस्तों पर नहीं हुई, सख्ती के साथ उसकी वसूली कर रहे हैं, इन मिल मालिकों की किस्तों में वसूली के आदेश इसलिये दे दिये हैं क्योंकि चुनाव में उन्होंने शासक दल को फंड दिया था ?

श्री जयराम वर्मा—मेरे लिये यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों के हिसाब से किन-किन पार्टियों को चन्दा दिया । हो सकता है कि कांग्रेस को दिया हो, या और किसी पार्टी को दिया हो । उनके राजनीतिक विचार क्या हैं, किस को चन्दा देते हैं, उसका कोई असर हमारी वसूली पर नहीं पड़ता ।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वसूली में देरी क्यों हुई, उसके कारण क्या हैं, स्पष्ट बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बता दिया है । वसूल कर रहे हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने पहले किया था । उन्होंने केवल यही कहा कि असेसमेंट में देर हुई । क्यों देर हुई, इस पर प्रश्न है । इसका उत्तर मंत्री जी दें ।

श्री जयराम वर्मा—१९५६ में सेल्स टैक्स के कानून में कुछ परिवर्तन हुए जिसके हिसाब से यहां पहले सेल्स टैक्स १५ हजार के टर्न ओवर पर लगता था, वह अब १२ हजार पर कर दिया गया, इसलिये नये केसेज बहुत ज्यादा हो गये और कुछ आर्टिकिल्स जिनके ऊपर सेल्स टैक्स लगता था उनकी संख्या बढ़ गई, इससे काम काफी बढ़ गया । नये केसेज को देखकर तय करना था कि कितने नये नये केसेज में सेल्स टैक्स लगे, कितने में न लगे, इसलिये हमारे अधिकारी ही सब कामों में लगे रहे और काम की ज्यादती की वजह से कुछ पुराने मामलों में असेसमेंट करने में जरा देर हो गई ।

श्री ऊदल—क्या माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो बकाया की रकम है यह कब तक वसूल हो जाने की संभावना है ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन् जी, वसूली की कार्यवाही की जा रही है यह बताया गया कि कहीं पर किस्त बंध गई है और कहीं हाई कोर्ट के आदेश से वसूली रुकी हुई है । तो इस तरह वसूली की कार्यवाही चल रही है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—इस बात को देखते हुये कि सेल्स टैक्स का इतना रुपया इन मिल मालिकों पर बकाया है क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि योजना के अन्तर्गत उद्योग के कोई नये कर्ज इनको अब न दिये जायं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप सुझाव दे रहे हैं । वह आगे याद रखे जायेंगे ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या इस प्रकार के आदेश सरकार देगी ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—सरकार स्वतः अब इन संस्थाओं और इन व्यक्तियों को कर्ज नहीं देगी । यह व्यक्ति कर्ज लेते हैं उन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस से जो कि केंद्रीय सरकार या प्रदेशीय सरकार द्वारा स्थापित किये गये हैं ।

*३—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—[१६ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

सहकारी समितियों में सीनियर आडिटरों की भरती व उन्नति

*४—श्री नाथूराम (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहकारी समितियों के आडिट आर्गनाइजेशन में सीनियर आडिटरों की कितनी जगहें हैं और उनके रिक्रूटमेंट में बाहरी और विभाग के तरक्की शुदा लोगों का क्या अनुपात है । क्या इस अनुपात को बनाये रखने की कोशिश की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—सहकारी समितियों के लेखा परीक्षा संगठन में, सीनियर आडिटरों की कुल ६९ जगहें हैं । इन में ११ ऐसी भी जगहें शामिल हैं जो कि या तो बिलकुल ही अस्थायी हैं या जो कि अवकाश अथवा पदोन्नति के कारण अभी ही खाली हुई हैं । लोक सेवा आयोग द्वारा चुने हुये विभागीय अथवा बाहर से भर्ती किये हुये उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण इन जगहों को तदर्थ (Ad hoc) रीति से विभागीय पदोन्नति द्वारा फिलहाल भरा गया है । सीनियर आडिटरों की भरती में बाहरी तथा विभागीय भरती का अनुपात ५०:५० है । यदि उपरोक्त ११ जगहों को छोड़ दिया जाय तो शेष ५८ जगहें रह जाती हैं जिनमें कि ५०:५० के अनुपात में २९ बाहरी तथा २९ विभागीय सीनियर आडिटर काम कर रहे हैं ।

*५—श्री नाथूराम—आजकल लोक सेवा आयोग द्वारा चुने हुये एवं direct recruitment द्वारा लिये गये कितने-कितने सीनियर आडिटर विभाग में कार्य कर रहे हैं ? लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये लोगों में से जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है उनके स्थान पर क्या दोबारा भरती की गई ?

श्री जयराम वर्मा—आजकल लोक सेवा आयोग की सहमति से विभागीय पदोन्नति द्वारा नियुक्त २९ तथा लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर बाहर से भरती किये गये २९ सीनियर आडिटर काम कर रहे हैं । लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया हो । अतः दोबारा भरती करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री नाथूराम—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन ५८ जगहों में भरती की गयी उनका विस्तार क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—इनमें से ५१ जगहें पहली बार सन् १९५८ में भरी गई थीं जिनमें से २६ डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट से और २५ विभागीय प्रोमोशन से भरी गईं । तीन जगहें उत्तराखंड डिवीजन बनने पर हुई जिन पर डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले रखे गये और चार नये रेंज खुलने पर चार और जगहें हुई । इस तरह से ५८ जगहों की भरती की गई ।

श्री नरसिंहनारायण—जिन जगहों के लिये यह आवेदन-पत्र दिये गये थे और नियुक्तियां की गईं उनमें कितना परसेंटेज हरिजनों का था ?

श्री जयराम वर्मा—इस संबंध में नोटिस की आवश्यकता होगी ।

*६-७—श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—[१६ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*८-९—श्री चन्द्रजीत—[२४ मई, १९६२ के लिये प्रश्न १५-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बनस्पति घी में रंग मिलाने का सुझाव

*१०—श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर के यह बतायेंगे कि बनस्पती आयल को घी के स्थान पर कोई बेच न सके, इस काम को पूरा करने के लिये सरकार बनस्पति आयल में कोई रंग डालना चाहती है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—जी हां ।

*११—श्री उमाशंकर—क्या यह सही है कि बनस्पति आयल में रंग डालने का निर्णय इस सरकार से पहले की सरकारों ने किया था ? यदि हां, तो विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां । बनस्पति आयल को रंगने का विचार सन् १९५० से चल रहा है परन्तु कोई संतोषजनक रंग न मिलने के कारण इस विषय पर निर्णय अभी तक नहीं हो सका ।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार के स्वास्थ्य विभाग को रतन जोत नामक कोई बूटी का सजेशन दिया गया कि उसमें डाली जाय ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां, रतन जोत नामक बूटी का सजेशन आया था मगर जब वह एकजामिन किया गया तो यह निकला कि ठीक नहीं है । ऐब्जार्ब्ड एक्टीवेटेड तारकोल से वह हटाया जा सकता है, इसलिये वह मुनासिब नहीं है ।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार ने कोई ऐसी कार्यवाही या कोई सलाह स्वास्थ्य बोर्ड से मांगी है कि वह कोई और चीज की तलाश करे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने यह बताया कि अन्वेषण हो रहा है ।

श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार का कोई सजेशन आया है या नहीं कि जब तक इस प्रकार का कोई रंग नहीं मिलता है तब तक यह बनस्पति जमने न दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ लोग ऐसा सजेशन देते रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बनस्पति को पसन्द नहीं करते हैं। वह सुझाव देते रहते हैं कि इसका बनना बन्द कर दिया जाय ।

श्री दयाराम—प्रश्न यह है कि ऐसा कोई सजेशन आया कि यह बनस्पति घी जमने न दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसा भी सुझाव आया है ।

श्री चन्द्रजीत—क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि जब राज्य सरकार के १० वर्ष के अन्वेषण के बावजूद भी ऐसा रंग नहीं मिला तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि वैदेशिक विशेषज्ञों से इस सम्बन्ध में राय ली जाय ताकि ऐसा रंग प्राप्त करने में सहूलियत हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन्द्रीय सरकार ने भी इस ओर प्रयास किया है । मैं माननीय सदस्यों को एक नई बात बतला दूं कि अभी एक महीने की बात है, जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डाइरेक्टर मि० मुकर्जी हैं, उन्होंने मुझे बतलाया कि वह कोई चीज ऐसी निकाल सके हैं जिससे कदाचित यह सम्भव हो सके कि यदि बनस्पति को रंग दिया जाय तो जो लोगों की ख्वाहिश है वह पूरी की जा सके । इस वक्त मैं उस चीज का नाम भूल रहा हूं । उस चीज को उन्होंने निकाला है और विदेश में भेजा है । उस पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के सिलसिले में वह विदेशों के विशेषज्ञों से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—बनस्पति की शुद्ध घी में मिलावट की समस्या को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार भविष्य के लिये ऐसा कोई कदम उठाने जा रही है कि जब तक रंग न मिल सके इसमें मिलावट को रोक दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रश्न प्रदेशीय सरकार से ही सम्बन्ध नहीं रखता है। यह मसला ऐसा है कि बिना केन्द्रीय सरकार की इजाजत के कोई कदम इस सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार नहीं उठा सकती क्योंकि यह तो एक उद्योग है और उद्योगों के सम्बन्ध में नीति केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है। वही कोई कदम यदि लेना चाहे तो उस दिशा में उठा सकती है। प्रदेशीय सरकार को कोई ऐसा कदम उठाने का अधिकार नहीं है।

*१२-१३—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—[१६ मई, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

सरकारी खजाने के स्टाफ के लिये सेवा नियम

*१४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रांतीय खजाने के कार्यालय को कलेक्टरी कार्यालय से १ फरवरी, १९५८ को जी०ओ०न० ए-१-५६७१। एक्स-यस(ख)-५७, दिनांक १ फरवरी, १९५८ के द्वारा अलग किया गया था ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत क्या सरकार ने नये सेवा नियम घोषित करने का बचन भी दिया था ? यदि हां, तो वह घोषणा कब की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—राजाज्ञा सं० ए०-५६७१/१०-५ (२९)-१९५७, दिनांक १ फरवरी, १९५८ द्वारा सरकारी खजाने के स्टाफ और कलेक्टरी के स्टाफ के कैडर को १ अप्रैल, १९५८ से अलग किया गया है।

सरकारी खजाने के स्टाफ के नये सेवा नियम बनाये जाने का संकेत उपर्युक्त राजाज्ञा में किया गया था और इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*१५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रांतीय खजाने के कर्मचारियों और अन्य सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों के छुट्टी तथा कार्य करने के समय आदि में भिन्नता रखी गई है ? यदि हां, तो वह भिन्नता क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

श्री जयराम वर्मा—सरकारी खजाने के कर्मचारियों व अन्य प्रदेशीय सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों की केवल छुट्टियों में विभिन्नता है। इसका कारण यह है कि खजाने के कर्मचारियों की छुट्टियां "निगोशियेबिल एन्सट्रमेंट्स ऐक्ट" के अन्तर्गत दी जाती हैं। उनके कार्य करने के समय में कोई भिन्नता नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सेवा नियम कब तक बन जायेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—नियमों का आलेख तैयार है, लेकिन अभी चूंकि वित्त विभाग, न्याय विभाग, महालेखापाल और लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता है इसलिये लगभग एक वर्ष का समय और लगने की आशा है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सरकारी खजाने के कर्मचारी छुट्टी के दिनों में भी काम करते हैं और उनको किसी प्रकार का भत्ता या एलाउन्स नहीं दिया जाता है ?

श्री जयराम वर्मा—इसकी जानकारी तो नहीं है कि वह पब्लिक हालीडेज में भी काम करते हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि यह नियम बनाने के लिये कोई कमेटी बनायी गयी थी ?

श्री जयराम वर्मा—कोई कमेटी नहीं बनायी गयी थी । वित्त विभाग द्वारा राजस्व विभाग की सलाह से यह नियम बनाये गये हैं और आलेख उनका तैयार है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह नियम जो वित्त और राजस्व विभाग की सलाह से बन रहे हैं यह कब से बन रहे हैं और कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—यह मैंने बतलाया कि सन् ५८ में यह दोनों कैडर अलग हुये थे और यह भी बतलाया कि अभी इसमें एक वर्ष लगने की और संभावना है ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन चार सालों में इन कर्मचारियों का कैडर किस विभाग में रखा गया है, कलेक्टरी में या खजाना विभाग में ?

श्री जयराम वर्मा—कैडर तो अलग-अलग हो गया है लेकिन जो पहले के नियम थे उनसे और सरकारी आदेशों से उनके लिये व्यवस्था होती है ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या वित्त मंत्री इस बात को सूचना मान कर कि सन् ५८ के वर्ष में एक ट्रेजरी आफिसर की अध्यक्षता में एक कमेटी इन चीजों की जांच करने के लिये बनायी गयी थी, उस कमेटी की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—कोई कमेटी इसकी जांच करने के लिये नियुक्त नहीं हुई थी बल्कि रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर ने उनके बारे में रिपोर्ट दी थी और उसी हिसाब से यह कार्यवाही हुई । कोई अलग से रिपोर्ट नहीं आई ।

ट्रेजरी दफ्तरों के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की प्रार्थना

*१६—श्री नरसिंहनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ट्रेजरी दफ्तरों में कार्य करने वाले तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को क्या-क्या तनख्वाहें दी जाती हैं ?

श्री जयराम वर्मा—ट्रेजरी दफ्तरों के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रम इस प्रकार हैं:—

(१) ट्रेजरी हेड क्लर्क व एडीशनल ट्रेजरी हेड क्लर्क :— रु० १७५–१५–२५० तथा बड़े जिलों में ३० रु० विशेष मासिक वेतन और छोटे जिलों में २० रु० मासिक विशेष वेतन है ।

(२) असिस्टेंट ट्रेजरी हेड क्लर्क (Z. A. C.):—रु० १००–१०–१५० ।

(३) बिल पासिंग व सीनियर क्लर्क :—रु० ८५–६–१४५ ।

(४) रूटीन या जूनियर क्लर्क :—रु० ६०–४–८०–५–१२० ।

*१७—श्री नरसिंहनारायण—क्या सरकार उपरोक्त कर्मचारियों के कार्य करने की क्षमता को देखते हुये इनकी तनख्वाह में किसी प्रकार के सुधार करने पर वह विचार कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं ।

*१८—श्री नरसिंह नारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोई कमेटी अप्रैल, सन् १९५८ के बाद उपर्युक्त कर्मचारियों की तनख्वाह आदि के सुधार के लिये बनाई गई थी? यदि हां, तो उस कमेटी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं।

श्री नरसिंहनारायण—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से जिलों में ३० रुपया विशेष वेतन दिया जाता है और कौन जिलों में २० रुपये विशेष वेतन के दिये जाते हैं?

श्री जयराम वर्मा—जिलों की संख्या निश्चित रूप से मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि कबाल टाउन्स में और मेरठ में तीस रुपया मिलता है। और जिलों में भी हो सकता है, मगर उसकी सूची मेरे पास इस समय नहीं है।

हरिजन व पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के नियमों में शोधन की आवश्यकता

*१९—श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो हरिजन व पिछड़ी जाति के छात्रों को सरकार द्वारा छात्र-वृत्ति दी जाती है वह किस कारण से किसी को ९ महीने की, किसी को १० महीने और किसी को ११ महीने की दी जाती है?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—जी हां। यह सत्य है कि सरकार द्वारा जो दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति दी जाती है वह कुछ विद्यार्थियों को ९ महीने की और कुछ को दस महीने की और कुछ को ११ महीने की दी जाती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

इंटर प्रथम वर्ष व बी०ए०प्रथम वर्ष	जुलाई से अप्रैल तक जो १० महीने के बराबर होता है अथवा प्रवेश की तिथि से।
इंटर द्वितीय वर्ष व बी०ए० द्वितीय वर्ष	मई से मार्च तक जो ११ माह के बराबर होता है। जिन विद्यार्थियों ने द्वितीय वर्ष में सीधा प्रवेश लिया हो अथवा जिन विद्यार्थियों को किन्हीं कारणों से प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति न मिली हो उनको जुलाई से मार्च तक, जो ९ माह के बराबर है।
एम०ए० प्रथम वर्ष	जुलाई से मार्च तक जो ९ माह के बराबर होता है।
एम०ए०द्वितीय वर्ष	अप्रैल से मार्च तक, जो १२ माह का होता है। जो विद्यार्थी एम०ए० द्वितीय वर्ष में सीधा प्रवेश लेंगे या किन्हीं कारणों से प्रथम वर्ष में न मिला हो उनको जुलाई से मार्च तक जो ९ माह के बराबर होता है।

*२०—श्री बलवीरसिंह—क्या यह सही है कि जो छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाती है वह उसी साल पूरी हो जाती है या उसका कुछ भाग दूसरे साल मिल पाता है जिससे विद्यार्थियों को असुविधा होती है? यदि ऐसा है, तो क्यों?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी हां। यह सही है कि जो छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाती है उसका कुछ भाग दूसरे साल पूरा होता है इसका कारण यह है कि वित्तीय वर्ष व शैक्षिक वर्ष एक नहीं है। फिर भी विद्यार्थियों को कोई असुविधा नहीं होती, क्योंकि उनको उसी शैक्षिक वर्ष में जुलाई से फरवरी तक तथा बाद में मार्च और अप्रैल का साधारणतया मई तक में मिल जाता है।

श्री बलवीर सिंह--क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इन्टर और बी० ए० प्रथम वर्ष को १० महीने और एम०ए० को ९ महीने का पैसा किस आधार पर दिया जाता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--जिस दिन से उनका दाखला होता है उस दिन से या मार्च से उनको दिया जाता है । अभी मैंने पूरा ब्यौरा बतला दिया है ।

श्री बलवीरसिंह--मंत्री महोदया मेरे प्रश्न को नहीं समझीं । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इंटर तथा बी०ए० प्रथम वर्ष की १० महीने की और एम०ए० प्रथम वर्ष की ९ महीने की छात्रवृत्ति किस आधार पर दी जाती है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--चूंकि उनके दाखिले जिस समय से होते हैं उस समय से ये महीने गिने जाते हैं, इस वजह से ऐसा होता है । कुछ विद्यार्थी देर में दाखिला पा पाते हैं, इस वास्ते उनको नहीं मिल पाता ।

श्री रामायण--क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही जिससे कि इन छात्रों की छात्रवृत्ति का निश्चय जल्दी हो सके, क्योंकि आम तौर से ऐसा होता है कि ८-९ महीने का इकट्ठा उनको पैसा मिलता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--चेष्टा तो इसी तरह से की जाती है कि जल्दी से जल्दी छात्रवृत्ति दी जा सके ।

श्री चंद्रबली (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि छात्रवृत्ति देने के क्या नियम हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--केन्द्रीय शिक्षा विभाग से नियमावली बनी है १९५९ में । उन नियमों के अनुसार प्रदेश में यह छात्रवृत्ति दी जाती है ।

श्री चन्द्रबली--क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि दो छात्र हैं, जिनमें एक के नम्बर ज्यादा हैं, दूसरे के कम, तो छात्रवृत्ति नम्बर के हिसाब से दी जाती है या अधिकारी की मरजी से ?

श्री अध्यक्ष--आप नाम देख लीजिये ।

सहकारी भण्डार, कमल सागर का चीनी मिल, भटनी पर बकाया

*२१--**श्री रामसुन्दर**--क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामोन्नति सहकारी भंडार कमल सागर, पो० रामपुर, जिला आजमगढ़ की चीनी मिल भटनी, जिला देवरिया की विकास परिषद् के जिम्मे १० हजार रुपये से अधिक पड़ा हुआ है ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२२--**श्री रामसुन्दर**--क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रुपये से बनने वाले कार्यों का तखमीना बना कर उक्त भंडार द्वारा परिषद् तथा अन्य गन्ना अधिकारियों के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया किन्तु अब तक स्वीकृति नहीं मिली है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--यह क्या उत्तर हुआ ?

श्री अध्यक्ष--यह फिर आयेंगे ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन*

श्रम मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) नियमावली, १९६२ में स्वायत्त शासन (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १३१५—जी/९—ए—५—आर—१९६१, दिनांक १५ अप्रैल, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना आयी है जो माननीय बैजनाथ सिंह ने प्रेषित की है। यह सूचना इस प्रकार से है—

दिनाँक १९ अप्रैल, १९६२ के साप्ताहिक "नया संसार" के प्रथम पृष्ठ पर यह समाचार छपवाया गया है जिसकी हेडलाइन है "जिले मुजफ्फरनगर में तीन साल से अधिक के आफिसर क्यों?"

उत्तर प्रदेश विधान सभा में साम्यवादी सदस्य द्वारा प्रश्न।

मुजफ्फरनगर, १३ अप्रैल, १९६२।.....,

उपरोक्त प्रश्न जो माननीय सदस्य, श्री विजयपाल एम० एल० ए० ने किया है, सदन के समक्ष वह प्रश्न या उसका उत्तर नियमतः आने के पूर्व ही उल्लिखित समाचार-पत्र में उसका प्रकाशन होना प्रस्तुत सदन के विशेषाधिकार की खुली अवहेलना है जिसके दोषी माननीय विजयपालसिंह, एम० एल० ए० तथा उक्त पत्र के प्रकाशक व सम्पादक होते हैं। ऐसी स्थिति में विनम्र प्रार्थना है कि प्रस्तुत सदन की उल्लिखित अवहेलना के लिये नियमतः कार्यवाही करने की आप कृपा करें।

आपके अवलोकनार्थ समाचार-पत्र की संबंधित प्रतिलिपि संलग्न है।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, कवेश्चन तो मैंने जरूर किया है लेकिन अखबार से न मेरा कोई सम्बन्ध है न मौखिक रूप से मैंने कहा और न लिख कर दिया और न घर ही पड़ोस में है।

श्री अध्यक्ष—"नया संसार" पत्र में छपा है वह भी मैं पढ़कर सुना दूं—

जिले मुजफ्फरनगर में तीन साल से अधिक के आफिसर क्यों?

उत्तर प्रदेश विधान सभा में साम्यवादी सदस्य द्वारा प्रश्न।

मुजफ्फरनगर १३ अप्रैल, १९६२।

पता चला है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में बुढ़ाना-कांधला से निर्वाचित साम्यवादी सदस्य, श्री विजयपालसिंह ने प्रश्न रखा है कि मुजफ्फरनगर जिले में तीन वर्ष से अधिक समय से चलने वाले गजटेड आफिसर कितने और कहां-कहां हैं और इतने समय से वे इस जिले में क्यों जमे हुए हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां से जिले भर की जानकारी मांगी थी जो कि प्रदेश सरकार को भेज दी गई है।

तो क्या मैं यह समझूं कि आप का यह कहना है कि आप ने यह सूचना स्वयं किसी को नहीं दी यानी पत्रकार को नहीं दी?

श्री विजयपालसिंह—जी नहीं, मैंने कोई सूचना नहीं दी और न मैं जिम्मेदार हूं।

---

*छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष--नियम ५१ इस प्रकार से है--प्रश्न जिनकी सदस्यों ने सूचना दी हो, और उनके उत्तर जो मंत्री सदन में देना चाहते हों तब तक प्रकाशनार्थ नहीं दिये जायेंगे जब तक कि सदन में प्रश्न न ले लिये जायं और उनके उत्तर न दे दिये जायं या मेज पर न रख दिये जायं।

पिछली बार जब यह प्रश्न आया तब मैंने यह निर्णय किया था कि प्रश्न जो किये जाते हैं इस सदन में, उनकी सूचना समाचार-पत्रों में नहीं देनी चाहिये और उस सिलसिले में माननीय सदस्य ने बहुत ही समझदारी से इस सदन के समक्ष क्षमा याचना की और मान लिया था कि उनसे गलती हुई और वह विषय समाप्त हो गया। उस समय मैं यह कहने से भूल गया कि जहां पर ऐसा नियम हो और सदस्यों के ऊपर ऐसी पाबन्दी हो कि वह ऐसे प्रश्नों को समाचार पत्रों में न दें ऐसे नियम के होते हुए समाचार-पत्रों के सम्पादकों को भी समझना चाहिये कि इस सदन का मत है कि प्रश्न जो हुये हों पूर्व इसके कि उनके उत्तर आ जांय, उनको स्वयं नहीं छापना चाहिये। अतः मैं समाचार-पत्र जो इस प्रदेश के हैं या उसके बाहर के हैं उनसे निवेदन करूंगा, कि अगर इस नियम के होते हुये समाचार-पत्रों में ऐसे प्रश्न पूर्व इसके कि उनके उत्तर इस सदन में दिये जांय, छापे जाते हैं तो वह भी इस आदरणीय सदन की विशेषाधिकार की अवहेलना के अन्तर्गत आ सकते हैं। मैं आशा करूंगा कि समाचार-पत्रों के सम्पादक इस बात का ध्यान रखेंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास आज कई एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आए हैं। मेरा ऐसा मत है कि जब बजट के संबंध में विचार होता हो और संबंधित विषय की चर्चा आय-व्ययक के सिलसिले में हो सके तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव देना उचित नहीं है। नियमों में यह दिया हुआ है--जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति न हो तब तक अनुदानों के ऊपर निश्चित दिवसों पर कोई कार्य नहीं होना चाहिये, कोई बिजनेस नहीं होना चाहिये अलावा उन अनुदानों के ऊपर विचार-विनिमय या बहस के। यह नियम १८९ का उपखंड (३) है। तो जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये उनको बतौर कार्य-स्थगन प्रस्ताव के मैंने अस्वीकृत किया है। लेकिन माननीय संतसिंह यूसूफ ने मुझे यह सूचना दी है कि अगर माननीय संबंधित मंत्री केवल अपना स्टेटमेन्ट सदन के समक्ष दे देंगे तो भी उनको संतोष हो जायगा। उनकी सूचना इस प्रकार है--

"हमारे राज्य के मुख्य औद्योगिक केन्द्र कानपुर में एम्प्लायर एसोसियेशन ने हर मिल में एक नोटिस जारी किया है कि जो मजदूर बूढ़े हो चुके हैं उन्हें १२ दिन का वेतन देकर नौकरी से अलहदा कर दिया जाय। इस नोटिस के फलस्वरूप ३० और ४० वर्षों से काम करने वाले मजदूरों को हटाने का क्रम जारी हो चुका है। जे० के० जूट मिल और जे० के० काटन मिल में इस प्रकार के कदम उठाये जा चुके हैं। एम्प्लायर एसोसियेशन का यह नोटिस न्यायसंगत नहीं है जब कि वृद्धावस्था के कारण सेवा-निवृत्त होने वाले मजदूरों को दिये जाने वाली ग्रेचुटी का प्रश्न आर्बीट्रेशन के लिये राजस्थान के राज्यपाल डाक्टर संपूर्णानन्द को सुपुर्द है। एसोसियेशन के इस अन्यायपूर्ण कदम से कानपुर के लगभग २ हजार मजदूर शिकार होंगे जिसका प्रभाव संपूर्ण प्रदेश पर पड़ेगा और औद्योगिक शांति भंग होगी।

अतः मैं इस सिलसिले में महत्व के प्रश्न पर विचार के हेतु सदन का कार्य स्थगित करना चाहता हूं।"

अब क्योंकि वे एक वक्तव्य से ही संतुष्ट होंगे, अतः मैं संबंधित मंत्री के पास उसको भेज दूंगा कि उनके पास वे अपना वक्तव्य भेज दें।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--मैं जानना चाहूंगा कि कब तक उनका स्टेटमेन्ट आ जायगा। एक प्रार्थना कर दूं कि इसकी वजह से वहां बड़ी अशान्ति है।

श्री अध्यक्ष--अभी मैं उनके पास भेज दूंगा। भेजने के बाद ही वे बतला सकेंगे कि वे किस दिन वक्तव्य देंगे। अभी मैंने इसे उनके पास भेजा नहीं है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास अनेक सूचनायें आयी हैं। उनमें से जे० जे० आर० इंडस्ट्रीज दुलहीपुर, वाराणसी में चल रही हड़ताल के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर तिवारी के प्रश्न को मैंने स्वीकार किया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, अगर नाम पढ़ने में ही आपको आनन्द आता है तो मैं सब नामों को भी पढ़ दूंगा, लेकिन विषय को मैं ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं। ऐसी अवस्था में जो प्रश्न मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया है उसे पढ़ कर सुना देता हूं जो इस प्रकार है—

"जे० जे० आर० इंडस्ट्रीज दुलहीपुर, वाराणसी में, दिनांक २९ अप्रैल, ६ बजे सुबह से पूर्ण हड़ताल चल रही है। लगभग एक साल पूर्व कुछ मजदूरों के निष्कासन तथा मजदूरी और स्टैंडिंग आर्डर लागू करने को लेकर श्री आदित्य नारायण जी अध्यक्ष हिन्द मजदूर सभा ने अनशन प्रारम्भ कर दिया था जो ११ दिन के बाद जिलाधीश की मध्यस्थता से इस शर्त पर तोड़ दिया गया था कि मजदूरों और मिल, मालिकों के इस झगड़े को कमिश्नर, इलाहाबाद, श्री पांडेय की अध्यक्षता में तय किया जाय। इस निर्णय की घोषणा सरकार ने समय के अन्दर गजट में नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप प्रबन्धक फैक्टरी ने इस मध्यस्थ को मानने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप मजदूरों ने हड़ताल की नोटिस देकर २९ अप्रैल से हड़ताल प्रारम्भ कर दी। यह परिस्थिति सरकार की असावधानी से उत्पन्न हुई है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उपस्थित कर नियम ५२ के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

अब माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी चाहते थे कि मैं उनका भी नाम बतला दूं, तो इस पर उग्रसेन जी के भी हस्ताक्षर हैं।

माननीय मंत्री जी कब तक इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे सकेंगे?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—इस सम्बन्ध में एक सवाल पहले से आया हुआ है और उस सवाल का जवाब मैं १० तारीख को दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो दोनों में उसी दिन दे दूंगी।

श्री उग्रसेन—नियमानुसार वक्तव्य तो जल्दी ही होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—वे चाहती हैं कि १० तारीख को प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा तो उसी के साथ वह भी हो जायगा।

श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैंने ही वह प्रश्न पूछा है कि हड़ताल की नोटिस दे दी गयी है इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? लेकिन अब तो हड़ताल हो गयी है और परिस्थिति ऐसी पैदा हो गयी है कि वहां ३०० मजदूर बेकार हैं और दिन व दिन परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। तो हमारी समझ में १० तारीख तक उसके लिये इन्तजार करना प्रदेश तथा उद्योग दोनों के लिये खतरनाक है।

श्री अध्यक्ष—(श्री उग्रसेन से) क्या आप को यह स्वीकार है कि १० तारीख को वक्तव्य हो?

श्री उग्रसेन—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—(श्रीमती सुचेता कृपालानी से) आप १० तारीख के पहले कब तक वक्तव्य दे सकेंगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ऐसे तो मैं चाहती थी कि दोनों १० तारीख को ही एक ही साथ हो जाते, लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं ८ तारीख को वक्तव्य दे सकूंगी।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, कल परसों में क्या दिक्कत है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा मजदूरों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें।

विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष—अब आपके समक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये, उपाध्यक्ष पद के लिये नाम निर्देशित अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा होगी। मेरे पास तीन नाम आये थे। माननीय होतीलाल जी अग्रवाल जिनके दो नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुये, एक के प्रस्थापक हैं श्री बनारसीदास तथा समर्थक हैं डाक्टर सीताराम जी और दूसरे के प्रस्थापक श्री नवलकिशोर जी और समर्थक श्री माधोनारायण जी। दूसरा नाम-निर्देशन पत्र श्री केसरीप्रसाद जी का आया था जिसके प्रस्थापक श्री मैनेजरसिंह जी थे और समर्थक श्री रामसुन्दर जी। माननीय केसरीप्रसाद जी ने कल ही पत्र द्वारा अपने नाम को वापस ले लिया। वे इस उपाध्यक्ष के चुनाव में सम्मिलित नहीं होना चाहते।

तीसरा नाम माननीय भगवानसहाय जी का आया है जिनके लिये कई नाम-निर्देशन पत्र आये हैं। इनके प्रस्थापक हैं श्री रामायण, श्री कृष्णपालसिंह, श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री नेकराम शर्मा, श्री काशीनाथ मिश्र, श्री गेंदासिंह, श्री पशुपतिनाथशरणसिंह तथा श्री प्रेमसुन्दर। इनके समर्थक क्रमशः श्री रियासत हुसैन, श्री गेंदासिंह, श्री ऊदल, श्री शारदाभक्तसिंह, श्री भानुप्रतापसिंह, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री ब्रह्मदत्त नायर तथा श्री लखपतराम शर्मा जी हैं।

तो वर्तमान स्थिति में दो नाम आपके सामने हैं जिन पर आपको विचार करके अपना निर्णय देना है। अब माननीय बनारसीदास जी अपना प्रस्ताव उपस्थित करें।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिये श्री होतीलाल जी का नाम प्रस्तुत करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैं श्री भगवानसहाय जी का नाम उपाध्यक्ष पद के लिये प्रस्तावित करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसमें समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब ३ मिनट तक घंटी बजेगी और माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठे रहें। घंटी जब बजना बन्द हो जायगी तब चुनाव के सम्बन्ध में कार्यवाही होगी।

श्री नेकराम शर्मा—अगर ५ मिनट तक घंटी बजवा दें, अध्यक्ष महोदय, तो सदस्यों को यहां तक आने में सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष—अगर आप को शौक हो तो मैं ५ मिनट क्या १० मिनट घंटी बजवा दूं, लेकिन मैं समझता हूं कि सभी आदरणीय सदन के सदस्य इतने जागरूक हैं कि सभी अपने स्थान पर होंगे।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह सब क्यों घूम-फिर रहे हैं? यह क्या गड़बड़ हो रहा है?

श्री अध्यक्ष—जब तक घंटी बज रही है इसका कोई प्रश्न नहीं है, सब ठीक है। क्या उनको आप बात भी न करने दीजियेगा ?

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, उम्मीदवार सदस्यों के चेहरे सामने आ जायं तो अच्छा है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों उम्मीदवार खड़े कर दिये जायं, हम उनको देखना चाहते हैं।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष—अब वोटिंग बक्स रखा हुआ है। अगर आदरणीय नेता विरोधी दल या पार्लियामेंटरी अफ़ेयर्स के मंत्री महोदय देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं इसके बाद इसमें ताला लगा दिया जायगा।

श्री उग्रसेन—श्रीमन् . . . . . .

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

(पेटिका को सदन में उल्टा कर के दिखाने पर)

इसे उल्टा-सीधा न करें। जो देखना चाहें, देख लें, यह मैंने कह दिया। हमें इस सदन की मर्यादा को रखना चाहिये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मेरी प्रार्थना है कि माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय पार्लियामेंटरी अफ़ेयर्स के सेक्रेटरी को कृपा कर यह आदेश दे दें कि दोनों उम्मीदवार ही स्वयं आ कर बक्स देख लें इससे हम लोग भी उनको देख लेंगे और वह बक्स देख लें।

श्री अध्यक्ष—जिसका मन चाहे देख सकता है, १ मिनट का समय है। मैं आदेश नहीं दे सकता कि तुम आओ और देखो।

अब इसमें ताला लगाया जाय।

(ताला लगाया गया।)

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, कौन-सी पद्धति अपनायी जा रही है चुनाव की, क्योंकि हमने तो पहले ऐसा देखा नहीं। यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी के राज्य में नई परम्परा हो रही है, जरा सदस्यों को जानकारी करा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—जो नियम है उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है। इसके अतिरिक्त और कोई बात यहां नहीं होनी चाहिये। इस समय मैं चुनाव करा रहा हूं और आशा करूंगा जो मर्यादायें इस सदन की हैं उनका पालन करेंगे। यहां पर नियम यह था आप केवल प्रस्ताव करेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि सदस्यों ने एक मर्यादा का पालन किया, केवल एक नाम प्रस्तुत कर दिया जिसको वह चाहते हैं। उसके अतिरिक्त किसी ने और कुछ नहीं कहा। अब मैं चाहता हूं सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक कार्यवाही होती है। अब बैलट पेपर बांटे जायं जिस की प्राप्ति पर माननीय सदस्य कागज पर हस्ताक्षर कर देंगे।

जो बैलट पेपर आप को मिल रहा है उस पर जिस अभ्यर्थी को आप को मत देना हो उसके नाम के सामने × चिन्ह लगाने की कृपा करें।

श्री उग्रसेन—यह गुप्त मतदान कैसा हुआ जब कि तरह-तरह की स्याही का इस्तेमाल हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष---पहले बट जाने दें। अगर किसी को गुप्त मतदान करना है तो आ कर यहां कर दे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, तरह-तरह की स्याही से तो पता लग जायेगा किसने किसको वोट दिया। गुप्त मतदान कहां हुआ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठ जायं।

(मतदान के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

मैं आशा करता हूं कि आदरणीय सदस्यगण ने मतदान कर दिया है। अगर कोई अभी मतदान न कर पाये हों और उनके पास बैलट पेपर मौजूद हो, तो कृपया आकर इस बक्स में डाल दें।

(कुछ क्षण पश्चात्) अब मतदान हो चुका और आपके सामने यह पेटी खोली जायगी और जिसको आप उचित समझें या जो आदरणीय सदस्य यहां उपस्थित रहना चाहें, वह आ सकते हैं।

(श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार मत पेटी का खोली गयी और मत गणना होने के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष---जो माननीय सदन में सदस्य उपस्थित थे उनकी कुल संख्या ३५३ है और उनके हस्ताक्षर हैं। पेटिका में से एक बैलट पेपर ऐसा निकला जिसके ऊपर कोई चिह्न नहीं बना था और एक कम निकला है, जो कि होना चाहिए था, लेकिन किसी माननीय सदस्य ने अपना वोट नहीं दिया। शेष ३५१ में से माननीय श्री होतीलाल अग्रवाल को २२४ मत मिले, श्री भगवान सहाय को १२७। इस परिणाम को देखते हुए मैं माननीय श्री होतीलाल को उपाध्यक्ष चुना हुआ घोषित करता हूं।

(तालियां)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मुझे निवेदन करना है इसी चुनाव के विषय में। इसी के बाद की चीज है। आपके पास एक पत्र जा ही रहा है जिसमें हम सब विरोधी दल के लोगों ने अपनी बात कही है। लेकिन अब मैं अपनी बात कहता हूं कि जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने यहां की पुरानी परम्परा को नष्ट किया है और जब कि पहले विरोधी दल के वोट से उपाध्यक्ष होता था, आज अपनी संख्या के बल पर उस परम्परा को खत्म कर दिया, उसके खिलाफ जो सारे विरोधी दल के कार्य-परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं या अधिष्ठाता मंडल के सदस्य हैं वह अपना त्याग-पत्र श्रीमन् की सेवा में भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष---इस घोषणा के साथ-साथ मैं केवल इतना ही कहना पर्याप्त समझूंगा कि जो चुनाव इस समय हुआ है उसको हम सबको स्पोर्टिंग स्पिरिट में लेना चाहिए और माननीय होतीलाल जी को, जो अब वैधानिक रूप से चुन गये हैं, उनके प्रति या उनको हमें बधाई देनी चाहिए।

माननीय होतीलाल जी दीर्घ काल से अपने देश और इस राष्ट्र की सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना यौवनकाल, प्रौढ़ता और आज तक का समय व्यतीत किया। उन्होंने यद्यपि बहुत ऊंचे विश्वविद्यालय की उपाधि उपलब्ध की और एम० ए०, एल-एल० बी० हैं, किन्तु बजाय इसके कि वह धनोपार्जन में, जो अपने सबसे सुन्दर और सबसे अधिक आशावान दिवस थे, उनको व्यतीत करते, उन्होंने देश की सेवा में बिताया। माननीय होतीलाल जी इस सदन के भी सदस्य रहे हैं, लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं और फिर अब इस सदन के सदस्य हुए हैं। आज उपाध्यक्ष की हैसियत से मुझे विश्वास है कि हम सब उनके अनुभवों से और उनकी व्यवहार-कुशलता से लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। इन शब्दों के साथ मैं उनको बधाई देता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं कि वह आकर इस आसन को ग्रहण करें और आज की कार्यवाही संचालित करें।

माननीय होतीलाल जी आयें ।

(इस समय १ बजकर १२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है । हम लोग आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आज यहां एक जनतांत्रिक परम्परा का हनन किया गया है । हम आपके प्रति आदर का भाव रखते हुए एक सिम्बालिक प्रोटेस्ट के रूप में १० मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं ।

(समाजवादी दल के सदस्यों को छोड़ कर अन्य विरोधी दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया ।)

श्री उग्रसेन—मुझे भी निवेदन करना है कि आज चन्द्रभानु गुप्त जी महाराज ने जो परम्परा यहां कायम की उसके लिए बधाई तो आपको क्या दूं, उनको देता हूं । अगर इसी तरह से सदन की परम्पराएं जो जनतांत्रिक रही हैं माननीय मुख्य मंत्री तोड़ते रहेंगे तो जनतांत्रिक क्रान्ति अवश्य यहां होगी । मैं एक बात कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि इंगलैंड में नेता विरोधी दल की राय से उपाध्यक्ष होना चाहिए । मैं दिखा सकता हूं, मेरे पास किताब है, सन् १९५१ में जब विंस्टन चर्चिल प्रधान मंत्री के पद पर थे तो हापकिन मारसिन साहब मजदूर दल के सदस्य अध्यक्ष पद पर थे । माननीय मुख्य मंत्री ने जानकर उस परम्परा का हनन किया, जिसे सम्पूर्णानन्द जी ने यहां स्थापित किया था । मैं सोशलिस्ट पार्टी की पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करता हूं और हम सभी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य १० मिनट के लिए सदन के बाहर जाते हैं ।

(समाजवादी दल के समस्त सदस्यों ने सदन का त्याग किया ।)

उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित श्री होतीलाल अग्रवाल को बधाई

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका स्वागत करता हूं, इस पद पर आपके आसीन होने के लिये और सदन को बधायी देता हूं कि उसने आपको इस पद पर आसीन किया । आप हमारे प्रदेश के उन कर्मठ सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्तियों में से रहे हैं जिन्होंने यौवन काल से सदा देश की समस्याओं को सुलझाने में, देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने में अपना अधिक जीवन-काल व्यतीत किया है । जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि विश्वविद्यालय की ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करके आपने प्रारम्भ से ही सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेना प्रारम्भ किया और उसके फलस्वरूप जब-जब परिस्थितियों ने आपको अवसर दिया, आप इस विधान सभा के सदस्य के नाते कार्य करते रहे और लोक सभा में लोक सभा के सदस्य के नाते कार्य करते रहे । आप जिस आसन पर आसीन हैं वह आसन उत्तरदायित्वपूर्ण आसन है और आज के समय में जब हम परम्पराओं और मर्यादाओं की रचना की चेष्टा कर रहे हैं वह आसन और भी आपके उत्तरदायित्व को गुरुतर बना देता है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आसन पर रहते हुये आप सदा उन परम्पराओं और आदर्शों की रचना की चेष्टा करेंगे जो उच्चादर्श और परम्परायें इस सदन में रची गयी हैं ।

हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे साथीगण जो हमारे सामने बैठते हैं उन्होंने आज यह कहकर कि इधर के बैठने वालों ने या मैंने इस सदन की किसी परम्परा को धक्का पहुंचाया है, आज स्वतः ऐसा कार्य करके जो सदन की शोभा और गौरव को नहीं बढ़ाता है, इस सदन की प्रचलित परम्पराओं को धक्का पहुंचाया है । न तो कभी इस सदन की परम्परा रही है कि विरोधी दल का ही व्यक्ति उपाध्यक्ष के पद पर आसीन किया गया हो और न ऐसी परम्परा भारतवर्ष में, जब से हम स्वतंत्र हुये हैं और विधान सभा की रचना हुई है, अन्य प्रदेशों में रची गई है और न कोई ऐसी परम्परा लोक सभा में हुई है कि विरोधी दल की ही तरफ से उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होना चाहिए । इसलिये इस तरफ के बैठने वालों ने कोई अनुचित बात नहीं की है ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

यदि उन्होंने अपने में से एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया तो मैं समझ नहीं पाता कि जब लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया और चुनाव में हिस्सा लेकर मतदान में हिस्सा लिया और उसके बाद जब चुनाव का नतीजा निकला तो माननीय सदस्यगण इस प्रकार की घोषणा करके कि वह इसलिये सदन में १० मिनट के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप जो इस दल में थे, इस दल की ओर से चुने गये हैं और चूंकि आपके चुने जाने से इस दल के सदस्यों ने इस सदन की प्रचलित परम्पराओं को धक्का पहुंचाया, सदन के बाहर चले गये। उपाध्यक्ष महोदय, न तो मैं इस तर्क को मानता हूं और न इस बात को स्वीकार करता हूं कि सदन की ऐसी कोई परम्परा रही है। सारे भारतवर्ष की विधान सभाओं में से किसी भी विधान सभा में जिसके लिये कहा जाता है कि उपाध्यक्ष पद के लिये सदा विरोधी दलों में से ही किसी व्यक्ति को चुना जाता रहा है। इसलिये मैं तीव्र विरोध करता हूं उस बात का जो माननीय उग्रसेन जी ने कही और जो बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही।

इस सदन का और अधिक समय न लेते हुए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं और इस विश्वास के साथ अपनी जगह पर बैठता हूं कि इस पद पर बैठे हुए आप सदा उन्हीं आदर्शों से प्रेरित होते रहेंगे जिन आदर्शों से प्रेरित होकर अपने जीवन पर्यन्त देश की सेवा की और देश की सेवा करने के साथ ही साथ देश में गणतंत्र लाने का प्रयास किया। यह विधान सभा गणतंत्र की द्योतक है, ऐसी हालत में वे सारी बातें जो गणतंत्र को बढ़ाती हैं, प्रगति के मार्ग पर ले जाती हैं उनके द्वारा सदा सदन के मूल्यों की रक्षा की जायगी। मैं फिर से आपको इस पद के ऊपर आसीन होने पर बधाई देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आज इस सदन ने मुझमें विश्वास करके जो इस पद पर बैठाया है, उसके लिये मैं उसका आभार प्रकट करता हूं। मैं सदन को धन्यवाद देता हूं कि मुझे सदन ने इस पद के लिये चुन कर एक गौरव प्रदान किया है। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैंने अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगाया है और मैं यह जानता हूं कि आज मुझे सदन इस पद के लिये चुन कर एक बड़ा भार मेरे ऊपर डाला है। मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह से उसको संभाल सकूंगा। मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा कि इस भार को मैं पूरे तौर से निभा सकूं और इस आदरणीय सदन में जो-जो परम्पराएं कायम हुई हैं, उनको कायम रख सकूं।

मुझे थोड़ा-सा इस बात का दुःख हुआ कि कुछ हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों ने एक ऐसी बात को लेकर जो सारे भारत में नहीं हैं और दूसरे देशों में भी सब जगह नहीं है, एक आध जगह किसी समय हो गयी हो तो उससे परम्परा कायम नहीं हो सकती, वाक आउट कर दिया। जो कुछ उन्होंने उचित समझा, वह किया, उससे मुझे कोई रंज नहीं है। मैं समझता हूं कि वे एक भावना अपने दिल में लाये कि अल्पमत वालों को ही अपना उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है और यह कि वह परम्परा कायम हो चुकी है, इसके लिये वे सदन से १० मिनट के लिये चले गये।

यहां के लिये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो परम्परायें हैं वे तो हमारे माननीय टंडन जी और दूसरे लोग जो मुझसे पहले इस पद पर आसीन रहे, कायम कर चुके हैं। टंडन जी १९३७ में यह कह चुके हैं कि मैं जिस पार्टी का मेम्बर हूं, उस पार्टी का मेम्बर तो रहूंगा और उसमें काम भी करूंगा, लेकिन इस आसन पर जब तक रहूंगा निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। सारा देश इस बात को जानता है कि टंडन जी ने जो बात कही थी वह उन्होंने अक्षरशः निभाई और इस आसन पर बैठकर उन्होंने जो मान्यताएं दीं, वे अल्पमत को सदैव मंजूर हुईं। उनका कहना यह था कि एक भी सदस्य यदि यह कह देगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है वह रिजाइन कर देंगे। मुझे ऐसा कोई समय याद नहीं आता जब टंडन जी के बारे में भी किसी ने ऐसी बात कही हो। तो मेरा भार बहुत कम हो जाता है जब इस तरह की परम्परायें हमारे सामने हैं। टंडन जी ने जो परम्परा हमारे सामने रखी है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको पूरी तरह से निभाऊं और मैं सरकारी पक्ष तथा विरोधी पक्ष, दोनों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि किसी तरह से भी पक्षपात लेकर कोई बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा विरोधी दल

व अल्पमत वालों के लिये कोशिश करूंगा कि उनको पूरा मौका इस बात के लिये मिले कि वे अपनी बातें पूरी तरह से कह सकें। कोई मौका ऐसा न होगा जबकि उनको बोलने के लिये मौका न दिया जाय। पूरा मौका उनको मिलेगा। कोई बात ऐसी नहीं होने पावेगी जिससे उनको किसी प्रकार का दुख हो।

मैं फिर एक बार आदरणीय सदन को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे इस पद के लिये चुना। मैं आभारी हूं उन सभी सदस्यों का जिन्होंने मुझे वोट दिया और उनका भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। क्योंकि अब मैं समझता हूं कि पूरे सदन के जरिये मैं इस पद पर चुना गया हूं और मैं पूरे सदन का ही प्रतिनिधित्व करूंगा। तो इतनी बातों के बाद मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या ११—आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन (क्रमागत)*

श्री उपाध्यक्ष—अब सन् १९६२-६३ के बजट पर बहस शुरू होगी।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन अनुदान के सम्बन्ध में कल से जो विवाद चल रहा है, उसको मैंने ध्यान से सुना। मान्यवर, कल जिस समय नेता विरोधी दल अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ विशेष कृपा मेरे ऊपर की थी और वह इस माने में कि उन्होंने मेरी किसी स्पीच का उद्धरण कई जगह और कई मौकों पर यहां दिया। उनकी सब बातों का उत्तर देना तो सम्भव नहीं है, लेकिन फिर भी चार-पांच प्वाइंट्स में उठाऊंगा। मैं इतने थोड़े समय में बहुत थोड़ी बातें ही कह सकूंगा फिर भी मैं आशा करता हूं कि आप मुझे दो चार मिनट ज्यादा देने की कृपा करेंगे।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल माननीय सदस्य कमलासिंह जी यादव बोल रहे थे। उनका भाषण अभी समाप्त नहीं हुआ था..

श्री उपाध्यक्ष—जिस वक्त मैंने श्री नवलकिशोर जी को पुकारा उस समय माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं थे।

श्री रामायण—जैसे ही आपने घोषणा की कि अब बजट पर बहस शुरू होगी वैसे ही हम लोग आ गये थे। मान्यवर, यह तो माननीय सदस्य के अधिकार का अपहरण है।

श्री उपाध्यक्ष—चीज यह है कि जब श्री नवलकिशोर जी बोलने के लिये उठे उस समय आपको यह सवाल उठाना चाहिये था।

श्री रामायण—मुझे पता नहीं चला कि वे क्या बोल रहे हैं। मैंने तो समझा कि वे धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—उसी वक्त आप कहते तो बहुत ठीक रहता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, अगर देर से ही उठे तो इसमें क्या आपत्ति है, जब उनका ध्यान उधर गया तो फिर आपका ध्यान उन्होंने उस तरफ दिलाया। अब आप श्री कमलासिंह यादव को बोलने के लिये कह सकते हैं। इसमें दिक्कत ही क्या है?

---

*१ मई, १९६२ की कार्यवाही से।

श्री उपाध्यक्ष—यहां से सभी विरोधी दल के सदस्य वाक आउट करके बाहर चले गये थे और ऐसे समय में जब मैंने श्री नवल किशोर जी को पुकारा तो वे बोलने के लिये खड़े हो गये और अपनी बात कहने भी लगे। जैसे ही वे बोलने के लिये खड़े हुए उसी समय यह प्रश्न पैदा हो सकता था और अगर मेरा ध्यान उस तरफ दिलाया जाता तो मैं अवश्य इस पर विचार करता और उनको बोलने का मौका दता। लेकिन मुझ से कहा गया है कि वे करीब-करीब अपना भाषण कल समाप्त कर चुके थे और दो मिनट ही शेष रह गये थे और वे चले गये, यहां सदन से वाक आउट करके। इसलिये.....

श्री रामायण—कल वाक आउट नहीं हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष—जिस समय मैंने श्री नवल किशोर जी को बोलने के लिये पुकारा वैसे ही आपने मेरा ध्यान उस तरफ आकृष्ट नहीं किया। मेरी समझ में तो माननीय सदस्य श्री कमलासिंह यादव यहां थे ही नहीं, या अगर थे तो मैंने उधर ध्यान नहीं दिया।

श्री रामायण—वह मौजूद थे।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने नहीं देखा।

श्री रामायण—जैसे ही आपने कहा कि आय-व्ययक पर विचार आरम्भ होता है, वह आ गये थे।

श्री उपाध्यक्ष—अब नवलकिशोर जी का भाषण प्रारम्भ हो गया है वह भाषण करेंगे।

श्री रामायण—मैं, मान्यवर, आपसे विवाद तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसे आप पूरा सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं उसके लिये कह चुका कि माननीय नवलकिशोर जी बोल रहे हैं, वे बोलेंगे।

श्री रामायण—तो मैं एक माननीय सदस्य के अधिकारों के अपहरण की आपको सूचना देना चाहता हूं कि आपने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने उन्हें एक मौका दिया, किन्तु यदि स्वयं उनके ही कारण किसी उनके अधिकार का अपहरण हुआ तो मैं उसकी व्यवस्था नहीं कर सकता हूं। जब माननीय सदस्य वाक आउट करके चले गये और मैंने माननीय नवलकिशोर जी को पुकारा तो वे उस वक्त यहां नहीं थे और इसलिये मैंने नवल किशोर जी को मौका दे दिया।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—माननीय सदस्य जिनका सम्बन्ध है जब वह स्वयं कह रहे हैं कि वह यहां पर मौजूद थे और जब उनका भाषण चल रहा था तो इसके पहले कि आप किसी और सदस्य को बुलाते आपको उनको बुलाना चाहिये था और अगर वह अनुपस्थित होते तो आप दूसरे को बुलाते। लेकिन आपने उनको बुलाने का भी कष्ट नहीं किया और माननीय नवलकिशोर जी को आपने बुला लिया। अभी वे दो एक वाक्य ही बोले हैं इस लिये माननीय सदस्य जिनको अभी दो मिनट बोलना शेष है पता नहीं है कि वे दो मिनट में कौन सा उपयोगी सुझाव देने वाले होंगे। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर फिर से विचार करें और जब माननीय सदस्य स्वयं कह रहे हैं कि वे मौजूद थे तो उसको मान लें और उनको मौका दें।

श्री नवलकिशोर—यदि माननीय कमलासिंह जी बोल रहे थे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनके भाषण की समाप्ति के बाद मैं आपनी बात कह सकता हूं।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)––एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय सदस्य नवल किशोर जी आपकी आज्ञा से बोलने के लिये खड़े हो गये ? यह तो अनुचित है कि बिना आपकी आज्ञा के लोग इस तरह से खड़े हो जाया करें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा––बैठ जाइये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद––आप कौन होते हैं ? उपाध्यक्ष जी, आपके होते हुये लोग इस तरह से गलत बात करते हैं।

(श्री उपाध्यक्ष ने श्री कमलासिंह से अपना भाषण पूरा करने को कहा।)

***श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)––उपाध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस हुकूमत आयी थी, तब बार-बार उसका नारा यह था कि जब हमारे हाथ में हुकूमत आयेगी तब सस्ता न्याय होगा और हम जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को सेपरेट करेंगे। लेकिन आज जब हमारी निगाह कचेहरियों की ओर जाती है तो हम देखते हैं कि न्याय सस्ता होने के बजाय मंहगा से मंहगा होता जा रहा है और वह एक तरह से रोजगार हो गया है। कोर्ट फीस इतनी बढ़ाई गयी है कि आज गरीब कचेहरियों में जाकर न्याय की प्राप्ति नहीं कर सकता। साथ ही साथ, कितने लोग बाहर ही धारा १०९,११० के अन्तर्गत गिरफ्तार हो जाते हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। बहुत-सी धारायें ऐसी हैं कि जहां पर लोग गरीबी के कारण अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते। कचेहरियों में, जिनके पास धन नहीं है, वह अपने मुकदमें को लड़ नहीं सकते और वह बेचारे जेल में ठूंस दिये जाते हैं। आज उनके साथ हर तरह का अन्याय हो रहा है।

जहां तक जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपेरेशन की बात है, एक अभिशाप कांग्रेस सरकार ने और किया है। जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स को ए० डी० एम० (जे०) के मातहत रखा है मैं जानना चाहता हूं कि ए०डी०एम० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में क्या फर्क होगा। अगर वाकई जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को सेपरेट करना है तो सबसे पहले जो स्टेप लेना चाहिये था वह यह था कि जुडीशियरी को हाई कोर्ट के नीचे रखते और डिस्ट्रिक्ट जज के अन्डर में उसको रखते। आज जितने जुडीशियल आफिसर्स हैं उनका प्रोमोशन कन्विक्शन के ऊपर होता है। आज जितने यह आफिसरान होते हैं उनको अन्तरिम जिला परिषदों के सदस्यों को चुनने का अधिकार होता है, उनको वोट देने का अधिकार है। इसीलिये मैं कहता हूं कि अगर जुडीशियरी को आपने एक्जीक्यूटिव से सेपरेट न किया, उसको हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज के अन्डर न रखा तो मेरा खयाल है कि हर तरह से अन्याय ही होगा, क्योंकि उन पर दमनचक्र चल रहा है। उन पर हर तरह का दबाव है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के नीचे से आज जमीन खिसकती जा रही है, आज वोट का सवाल है अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य कमेटियों के चुनाव का सवाल है, वहां पर जनता के नुमाइन्दे जाते हैं लेकिन वहां कम से कम नुमाइन्दे कांग्रेस के जा रहे हैं इसलिये अब कमी को पूरा करने के लिये अफसरों और मेम्बरों को अधिकार दिया गया है कि वह भी वोट दे सकें। यह कहां का न्याय है ? अगर जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को पूरी तरह से अलग न किया गया तो बहुत ही बड़ा खतरा देश के सामने है।

साथ ही मैं यह भी बता दूं कि पहले इस स्टेट को पुलिस स्टेट कहा जाता था और आज इसको वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। जब यह पुलिस स्टेट थी तो अफसर जनता से बहुत दूर थे और एक बहुत बड़ी खाई बीच में रहती थी, लेकिन वही खाई आज भी मौजूद है और वह अधिक बढ़ती जा रही है। आप के हाकिम आज गांव के लोगों से बात करना नहीं चाहते, उन की बातों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

को सुनना नहीं चाहते। गांव के लोग उनके पास आते हुये डरते हैं इस तरह की दिक्कत हमारे सामने आ रही है। जब यह प्लानिंग का युग है और आप सारे देश में सोशलिज्म लाना चाहते हैं तो जब तक अधिकारियों और पब्लिक के बीच की खाई कम नहीं होती तो आप किस तरह से सोशलिज्म यहां ला सकते हैं? मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर वाकई आप को इस देश को रास्ते पर लाना है तो आप का यह सब से पहला कदम होना चाहिये कि किसानों के लड़के जो गांवों में रहते हैं और आप के यहां ऊंची से ऊंची डिग्री हासिल करते हैं उनको सब से पहले प्लानिंग सर्विसेज में रखा जाय, क्योंकि वह लोग गांव के रहन-सहन को जानते हैं और देश के निर्माण की भावना से वह प्रेरित होते हैं।

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के अनुदान के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद दो दिन से चल रहा है उसको मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की है और माननीय नेता विरोधी दल ने कल अपने भाषण में मेरे ऊपर एक विशेष कृपा की और उन्होंने मेरे किसी भाषण का हवाला देते हुये कई प्वाइंट उठाये और यह साबित करने की कोशिश की कि जब मैं गवर्नमेन्ट का सदस्य नहीं था तो मेरा विचार और था और अब जब मैं गवर्नमेन्ट का सदस्य हो गया हूं तो मेरा विचार बदल गया है। लेकिन मैं आप के द्वारा, श्रीमन्, उनको बताना चाहता हूं कि बुनियादी तौर से जो बुनियादी सवाल हैं उनपर मेरे विचार आज भी वही हैं जो पहले थे, लेकिन साथ ही साथ यह बात भी सही है कि आज हम एक डाइनेमिक सोसायटी के अन्दर रहते हैं, समाज तेजी से बदल रहा है और परिस्थितियां भी बदल रही है डाइनामिक सोसाइटी में विचारों का बदलना तो एक क्रेडिट की बात है। सब से पहले उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि मैंने यह कहा था बजट के सम्बन्ध में कि आय का अनुपात जो है वह १०० और १००० का यानी १ और १० का होना चाहिये। मैं आज भी उस बात को मानता हूं। आज भी वही कल्पना, लक्ष्य और आदर्श मेरे दिमाग में हैं लेकिन उस तक पहुंचने में कठिनाई है और यह हमारा एक ट्रांनजिसनल पीरियड है हम उस तरफ चलने की कोशिश में हैं बाकी जो साम्यवादी देश चीन और रूस हैं उन तक में अभी तक आय का वह १–१० का अनुपात कायम नहीं हो सका है बल्कि कहीं अधिक विषमता है। हम चाहते हैं कि हमारे यहां अनुपात १–१० का हो जाय, पर समय लगेगा।

विषमता वेतनों में है और निजी आय में भी जहां तक वेतनों का सम्बन्ध है, कुछ कठिनाई है और वह यह है कि केन्द्रीय सरकार के वेतन-क्रम दूसरे होते हैं और प्रदेशीय सरकार के वेतन क्रम दूसरे होते हैं। केन्द्रीय सरकार यदि कोई कदम न उठाये और प्रादेशिक सरकार उठाये तो दो दिक्कतें होती हैं, एक तो सर्विसेज के साथ एक डिसक्रिमिनेशन होगा, क्योंकि केन्द्र में दूसरा वेतन-क्रम होगा, दूसरे स्टेट्स में दूसरा और हमारे यहां दूसरा होगा। दूसरी बात यह भी होगी, जो अच्छे लोग हैं वे हमारी सर्विसेज में रहेंगे नहीं। इस सबन्ध में एक बात और कहूंगा कि केवल सर्विसेज के जो वेतन-क्रम हैं उसी के अन्दर विषमता नहीं है बल्कि बाहर भी जो प्राइवेट इनकम हैं उनके अन्दर और भी ज्यादा विषमता है। मैं समझता हूं जब विषमता को दूर करने की बात उठायेंगे तो इंटेग्रेटेड पिक्चर रखनी होगी। मैं चाहता हूं प्राइवेट इनकम पर सीलिंग होनी चाहिये लेकिन यह कदम भी केन्द्रीय सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है। यह कहा जा सकता है। कि आप अपने यहां कम से कम तनख्वाह १०० रु० कर दें। इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं कि इस समय जो हमारे पास कर्मचारियों की संख्या है जिनकी तनख्वाह १०० रु० से कम है यदि उसको जोड़ें और सब की तनख्वाह १०० रु० कर दें तो कम से कम १७,१८, करोड़ रु० का बोझ पड़ेगा जो अभी आप बरदाश्त नहीं कर सकते प्लानिंग की अन्य जरूरतों को देखते हुए।

एक बात यह भी कही गई कि मैंने शायद अपने किसी भाषण में कहा था कि ब्यूरोक्रेसी का प्रीडोमीनेशन हो रहा है। जब हम एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना दिमाग में रखते हैं और नियोजित विकास के द्वारा तेजी से समाजवादी समाज स्थापित करना चाहते हैं तो ऐसी

भावना होना कि ब्यूरोक्रेसी का प्रीडोमिनेशन है, स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में आम तौर से यह होता है कि जब हम प्लान्ड इकोनामी के जरिये समाजवाद की तरफ चलते हैं तो सर्विसेज बढ़ती हैं, उनके हाथ में कार्यभार बढ़ जाता है, उनके हाथ में इनीशियेटिव होता है और वह स्थिति उस समय तक रहती है जब तक गैर सरकारी संस्थायें पैदा न हों, विकसित न हों और उनके अन्दर योग्य नेतृत्व पैदा न हो सके। मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता है और सरकार का इस दिशा में कदम उठा है, सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की ओर सरकार कोशिश कर रही है, ग्राम स्तर पर, क्षेत्र समिति स्तर पर, जिला परिषद् स्तर पर, प्रदेश और केन्द्र के स्तर पर जिससे नये नेतृत्व का विकास हो और वह विकसित हो। मैं समझता हूं कि ज्यों-ज्यों वह विकसित होता जायगा त्यों-त्यों ब्यूरोक्रेसी की शक्ति भी कम होती चली जायगी।

यह कहा गया कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया महाराष्ट्र का और यह साबित किया कि महाराष्ट्र एक औद्योगिक और प्रोग्रेसिव स्टेट है, वहां बड़ी प्रगति हुई है मगर वहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा यू०पी० के हिसाब से बहुत कम है। मुझे इस सम्बन्ध में कहना है कि जब आम बहस हो रही थी उस समय मैंने और मेरे कई साथियों ने कहा था और वित्त मंत्री जी ने भी बताया था कि जहां १९५१–५२ के अन्दर खर्चे का बजट से प्रोपोर्शन २५.२ परसेंट था वह १९६०–६१ में घट कर १४.२ परसेंट हो गया और जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है उसके आंकड़े मेरे पास हैं लेकिन समय कम होने की वजह से न बता सकूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि आबादी के हिसाब से भी, जिसके आंकड़े मेरे पास हैं, यही साबित होता है कि बम्बई, मद्रास और आंध्र, जबकि उनसे हमारी आबादी कहीं ज्यादा है, उसके अनुपात में जो यू०पी० का ऐडमिनिस्ट्रेशन का ऐक्सपेंडिचर है वह कहीं कम है। इसी तरह से जो आंकड़े मेरे पास हैं, जो बजट ऐक्सपेंडिचर है उसके अनुपात में जो हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन का ऐक्सपेन्डिचर है केरल और मद्रास को छोड़कर हिन्दुस्तान में जितनी स्टेट्स हैं, सब से कम है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि यदि कोशिश की जाय तो उसके अन्दर और भी इकोनामी हो सकती है। मगर अफसोस यह है कि इस तरह के कोई सुझाव विरोधी दल की तरफ से नहीं आये।

एक बात सेक्रेटेरियट रीआर्गेनाइजेशन के बारे में कही गई, बल्कि शिकायत-सी की गई। जहां तक मुझे याद है, सेक्रेटेरियट के रीआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में कोई कमेटी हमारे यहां स्थापित नहीं की गयी। यह सही है केन्द्र ने कुछ कमेटीज स्थापित की थीं, जैसे एपिल बी और गोरेवाला कमेटियां। मगर इस सरकार ने इतना जरूर किया था कि श्री के०के० दास को रीआर्गनाइजेशन कमिश्नर नियुक्त किया था और उन्होंने कुछ बिहार के पेटर्न पर सेक्रेटेरियट को रिआर्गनाइज करने की चेष्टा की थी और इस बात की चेष्टा की थी कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, उसमें कमी हो, तनख्वाहें बढ़ाई जायं और काम में एफिशियेंसी हो। जहां तक मुझे मालूम है उनकी सिफारिशों से डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर दो लाख, सवा दो लाख की बचत हुई थी। उनकी सिफारिश पर सेक्रेटेरियट में भी एक्सपेरीमेंट किया गया और तीन विभागों को टेक-अप किया गया। उनका कहना यह था कि हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स पत्र न भेज कर अपनी पूरी फाइल भेज दिया करें लेकिन वह एक्सपेरीमेंट कामयाब नहीं हुआ। इसलिये वह छोड़ दिया गया। जहां तक एफिशियेंसी का सवाल है, यहां पर आर्गनाइजेशन और मेथड स्कीम चालू है। वह एक अंग है चीफ सेक्रेटरी की शाखा का। उसके द्वारा क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और सेक्रेटेरियट में असिस्टेन्ट्स को कुछ ट्रेनिंग के लिये भी इंतजाम किया जा रहा है। इकोनामी के सम्बन्ध में मैं यह बतलाऊं कि डिस्पिलीनरी इंक्वायरी कमेटी बैठी थी। उसकी सिफारिशें सरकार ने मंजूर की हैं और चपरासियों में कमी की गयी है। उसमें और भी बचत की गयी है।

इकोनामी के सम्बन्ध में मुझे एक बात और कहनी है। हमारे जो साथी पुराने हैं वे इस बात को जानते हैं कि इसी सरकार ने एक इकोनामी कमेटी बैठाई थी। उसकी सिफारिशें सरकार के सामने आईं और उनमें बहुतों को कार्यान्वित करने की कोशिश की गयी। इसके

[श्री नवलकिशोर]

अलावा एस्टिमेट कमेटी है जिसका सबसे बड़ा काम है इस्टिमेट्स की जांच करना और जहां तक संभव हो सके बचत के सुझाव देना। उसकी सिफारिशें सरकार के सामने आती हैं। मुख्य मंत्री ने जब यहां का पद भार संभाला था तब से उन्होंने ६०,६५, लाख की बचत इसी सिलसिले में करने की कोशिश की। बहुत-सी पोस्ट्स को एबालिश किया, कुछ का ग्रेड गिराया गया और सेक्रेटेरियट के अन्दर ट्रेवलिंग एलाउन्स को फिर से रिवाइज किया गया। इकोनामी की तरफ सरकार का ध्यान इतना है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि एक-एक पाई जो खर्च की जाय उसकी जांच की जाय और उसमें यथा सम्भव इकोनामी की जाय। मैं यह दावत देता हूं इधर और उधर के साथियों को कि यदि कोई ठोस सुझाव वे सरकार के सामने पेश करेंगे तो सरकार जरूर उस पर ध्यान देगी। कमिश्नर की पोस्ट को खत्म करने के लिये कहा गया। हो सकता है कि इस पर दो मत हों। यह भी मैं जानता हूं कि इस सरकार ने एक बार कमिश्नर के पद को तोड़ भी दिया था, लेकिन विकास के कार्यों को देखते हुये, शासन की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को देखते हुये, उन्हें उसको पुनर्जीवित करना पड़ा और आज की स्थिति को देखते हुये उसके अन्दर तबदीली करना फिलहाल मुनासिब नहीं होगा।

एक बात और कही गयी कि काम के अन्दर डुप्लीकेशन होता है। जिस समय विकास का कार्य तेजी से बढ़ता है, नये-नये डिपार्टमेंट खुलते हैं तो यह भी संभव है कि कहीं-कहीं काम के अन्दर ओवरलेपिंग हो जाय। मैं इस बात को मान कर चलता हूं, लेकिन यह भी मैं बतलाऊं कि सरकार का ध्यान इस तरफ है। एक ही एग्जाम्पिल मैं इस सम्बन्ध में पेश करूंगा कि इसी सरकार ने सोशल वेलफेयर और हरिजन वेलफेयर के दो डायरेक्टोरेट थे, उनको इंटिग्रेट करके एक बना दिया। इसी तरह से और भी विभाग हैं जिनको सरकार रेशनलाइज कर सकती है और करना भी चाहती है। उचित यह होता अगर माननीय नेता विरोधी दल कुछ ठोस सुझाव देते कि ये-ये विभाग हैं जिनमें डुप्लीकेशन होता है। उन्होंने एक वेग सी बात कह दी कि डुप्लीकेशन आफ वर्क होता है जिससे हमारा मार्गदर्शन नहीं होता। लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का ध्यान अपनी जगह इस तरफ है और यह कोशिश वह कर रही है कि जहां तक हो सके यह किया जाय।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह मांग की गयी कि पे कमीशन बैठाया जाय। यह पे कमीशन की बात कई बार आ चुकी है। मैं समझता हूं कि जो मौजूदा स्थिति है उसके अन्दर पे कमीशन बैठाने से कोई हित होने वाला नहीं है। उसूलन हो सकता है इसमें मतभेद होने की बात न हो। इसका कारण यह है कि पे स्केल्स को यदि देखा जाय तब जो बेसिक पे है, मेरा यह विश्वास है कि हमारे प्रदेश के अन्दर हमारे देश के किसी भी प्रदेश से कम नहीं है। श्रीमन्, जहां तक सेक्रेटेरियट का सम्बन्ध है, मेरा यह विश्वास है कि हिन्दुस्तान के अन्दर हायस्ट पेड सेक्रेटेरियट अगर कोई है तो वह यू० पी० का सेक्रेटेरियट है। एक बात सही है कि जो डियरनेस एलाउन्स केन्द्र का और प्रदेश का है उसमें काफी अन्तर है और जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने बताया था कि अगर हम उसको मान लें तो हमको फौरन ९ करोड़ रुपया और खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जब आलरेडी हमारा एक डेफिसिट बजट है और हम नये टैक्सेशन की बात सोच रहे हैं तो यह बुद्धिमानी नहीं होगी। इसके अलावा जब पे कमीशन बैठता है तो कर्मचारियों को एक आशा होती है कि हमारी तनख्वाह में कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी होगी। लेकिन अगर हम उनको कुछ दे न पायें और पे कमीशन बिठा कर उनकी आशाओं को पूरा न कर सकें तो उससे अधिक फ्रस्ट्रेशन होगा। लिहाजा पे कमीशन की बात मौजूदा परिस्थिति में सम्भव नहीं है।

एक बात सेपरेशन आफ जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव की बड़े जोरों से कही गयी। यह बहुत दिनों से चल रहा है और सन् ४९ से हमने इस सिद्धांत को माना है। सब से पहले हमने ८ जिलों को लिया था और आज इस स्थिति में पहुंच गये हैं कि पहाड़ के जिलों को छोड़ कर प्रदेश के जितने बाकी जिले हैं उनके अन्दर जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन कर दिया है और इन जिलों में जुडिशियल आफिसर्स ए०डी०एम० (जे०) के अन्डर हैं। ऐसी हालत में जो यह स्लोगन बार-बार आता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर विरोधी दल की मंशा क्या है?

अन्त में मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि आपने लाल बत्ती भी दिखा दी है। सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में शुरू में ही मुख्य मंत्री जी ने कहा कि प्रशासकीय ढांचा हमारे प्रदेश का बैकबोन है और जिस दिशा में यह चलता है उससे हमको अन्दाज होता है कि हमारा प्रदेश किस दिशा में चल रहा है। और इसका महत्व इसलिये और बढ़ गया है कि हम आजकल विकास के युग में हैं। ऐसे मौके पर मैं समझता हूं कि इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिये हमारे देश के नेताओं को कि उन्होंने उस मशीनरी को, ऐसे आयरन फ्रेम को जिसको अंग्रेजों ने एक क्लोनियल कंट्री के लिये बनाया था आज के नियोजन के अन्दर इस्तेमाल किया। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि जितने अफसरान हैं उनकी विचाराधायें बदल गयी हैं लेकिन यह बात अपनी जगह पर सही है कि जितने अफसरान हैं वे कुछ न कुछ बदल रहे हैं और इस नये युग की जो पुकार है, जो जिम्मेदारियां हैं उसको दिन व दिन समझते जा रहे हैं और जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वह भी उस तरफ उनको बढ़ाने की कोशिश में हैं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से सामान्य प्रशासन के अनुदान पर विवाद चल रहा है। नेता, विरोधी दल के द्वारा कटौती का प्रस्ताव रखा गया है और दोनों पक्षों की ओर से कुछ सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। उधर के पक्ष की ओर से बार-बार यह कहा जाता है कि वही पुरानी बातें, वही पिटी पिटाई बातें बार-बार कही जाती हैं। एक बात तो यह है कि हर बार अधिक खर्चा और नौकरशाही का बोलबाला करने का प्रयत्न सरकार की ओर से किया जाता है और यदि उनके बारे में सुधार करने की बात कही जाती है तो यह कहना पड़ता है उधर के लोगों की यह तो पिटी पिटाई बातें हैं। सरकार अगर कोई सुधार करती, कोई परिवर्तन लाती जिससे पता चलता कि सामान्य प्रशासन के अन्दर उनकी ओर से कुछ सुधार करने की दिशा में कार्य हुआ है तो संभवतः इधर के लोगों को बार-बार यह बात न कहनी पड़ती।

श्रीमन्, मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आज सरकार की ओर से जो कुछ भी किया जाता है उसमें प्रदेश का हित तो कम रहता है परन्तु अपने दल का हित सर्वोपरि रहता है। श्रीमान्जी, आज यहां पर चुनाव हुआ। हमारे यहां के विरोधी दल के किसी सदस्य को यह स्थान प्राप्त होता था परन्तु श्रीमन्, आज कांग्रेस की ओर से, मुख्य मंत्री जी की ओर से इसमें परिवर्तन करने की बात सोची गई। अभी हमारे प्रदेश की साधारण जनता में यह विश्वास था कि विधान सभा का अध्यक्ष पद निष्पक्ष होता है और इस पर किसी प्रकार का किसी का प्रभाव या पक्ष नहीं होता और यह सदन की कार्यवाही चलाने के लिये हुआ करता है। लेकिन आज सरकार की ओर से जिद होती है कि वहां पर हम अपना ही आदमी बिठायेंगे तो इससे जनता में यह विश्वास पैदा होता है और माननीय सदस्यों में भी यह बात जड़ पकड़ रही है कि ऐसी बात क्यों की जाती है ?

श्रीमन्, मैं देखता हूं कि प्रशासन के सम्बन्ध में बात बताई जाती है लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। आज भी श्रीमन्, सरकारी कर्मचारी साधारण जनता के बीच में जब जाता है तो उसकी बात सुन नहीं पाता है और उसमें अफसरियत की बू भरी हुई है। श्रीमन्, उनमें यह भावना कि वे पब्लिक सरवेंट हैं, जनता के जनसेवक हैं, अभी दिखाई नहीं देती है और वे जनता के अधिकारी हैं और उनको जनता के ऊपर शासन करने के लिये बनाया गया है। इसी प्रकार से हमारी सरकार को उसकी योजना में जनता का सहयोग नहीं मिल पाता है। इसीलिये कई स्थानों पर सफलता नहीं मिल पाती है।

श्रीमन्, इसके अलावा एक बात और है और वह यह है कि उनके ऊपर जो अधिकारी हैं वे किसी बात को कराना चाहते हैं और उनके न करने पर उन पर एक्शन लेते हैं या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होती है तो राज्य की ओर से या दल की ओर से उनके काम में हस्तक्षेप किया जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि कोई कार्य आसानी से हो सकता है, लेकिन वह किसी

[श्री रक्षपालसिंह]

प्रकार के प्रभाव के बिना नहीं हो पाता है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि हमारी तरफ अंतरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष चुने गये, इसी के साथ-साथ उन्होंने यह नारा लगाया कि नौकरशाही को खत्म करने के लिये ऐसा किया गया। लेकिन उसके पीछे दूसरी भावना थी और वह यह थी कि कलेक्टर किसी प्रकार दबाव या प्रभाव डालने पर भी कांग्रेस दल की वोट नहीं दिला सकेंगे। इसलिये अगर यह रहेगा तो हमारे दल के अधिक लोग वहां पहुंच जायेंगे क्योंकि वह स्थिति को जानते थे कि जो पुराने बोर्ड के चुने हुये आदमी थे उनकी संख्या अधिक थी और वे जानते थे कि चुनाव के दिनों में वे अपना प्रभाव अधिक डाल सकेंगे, इसीलिये चुनाव किये गये। मैं अपने फतेहपुर जिले की एक बात का उल्लेख कर देना चाहता हूं कि जो कार्यालय के सेक्रेटरी थे, वे जब बाहर जाते थे तो उनके पास बोर्ड के चेयरमैन का लिखित पत्र होता था। पंचायतों के चुनाव के सिलसिले में वे उस पत्र को अध्यापक को दिखाते थे कि चेयरमैन का आदेश है आपको यह करना होगा। उस समय बैलट पेपर्स से चुनाव नहीं होता था बल्कि हाथ उठाकर चुनाव होता था। इस प्रकार जिला बोर्ड के अध्यक्षों के द्वारा गांव सभाओं को प्रभावित करने की बात की जाती थी जिससे कांग्रेस दल के लोगों को शक्ति मिल सके। पहले पब्लिक सर्विस कमीशन में दो आफिशियल और एक नान आफिशियल सदस्य होते थे लेकिन अब उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। तीन आफिशियल और दो नान आफिशियल कर दिये हैं। राजनीतिक पीड़ित लोगों में यह होता है कि वे किसी न किसी आधार से किसी अमुक व्यक्ति के सम्बन्धी होते हैं और उनकी नियुक्ति ऊंची जगहों पर कर दी जाती है। कई मजिस्ट्रेट ऐसे देखने में आये कि उनको फैसला लिखना नहीं आता है। इसलिये श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये और योग्यता के आधार पर नियुक्ति करनी चाहिये।

कल जांच कमेटी के बारे में भी कहा गया। वह बहुत आवश्यक है। मैं एक उदाहरण फतेहपुर जिले का देना चाहता हूं। कागजात दुरुस्ती के मुकदमे में दोनों पक्षों से पैसा लेने की शिकायत हुई। जांच हुई। कई साल तक जांच चली। तब तक चुनाव आ गया। कई लोगों ने कहा कि इनको बहाल कर दीजिये। कई साल तक इनक्वायरी चलने के बाद यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि वह बहाल कर दिये गये। एक-एक बच्चा जानता था कि उन्होंने रिश्वत ली थी, लेकिन फिर भी वह बहाल कर दिये जाते हैं। श्रीमन्, जांच कमेटी होना नितांत आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)——उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं और वह यह है कि सामान्य प्रशासन किस प्रकार चले। उसमें किस प्रकार खर्चा हो। यह हम सब मानते हैं कि अगर सामान्य प्रशासन हमारे सूबे में अच्छा होगा तो हमारा काम उतना ही अच्छा चलेगा। जो कटौती का प्रस्ताव दूसरी तरफ से आया है मैंने उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा। उसके दो उद्देश्य बताये गये—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मुझे ऐसा लगा कि जो विरोधी सदस्यगण बोल रहे हैं उन्होंने उसके आधे हिस्से पर ही भाषण दिये लेकिन उसके साथ-साथ जो दूसरा हिस्सा था कि सुझाव भी देना है, उसकी तरफ हमारा कम ध्यान गया। अच्छा यह हो कि आलोचना भी की जाय और उसके साथ-साथ सुझाव भी दिये जायं।

सबसे बड़ा सुझाव यह आया कि खर्चा बढ़ता जा रहा है उसको थोड़ा सा कम किया जाय। यह एक ऐसी चीज है जिस को हर आदमी कह सकता है खर्चा तो बढ़ेगा ही। १९५१ से बढ़ते बढ़ते इस वक्त हमारा बजट करीब दो अरब के पहुंच रहा है। तो यह मानी हुई बात है कि जब हमारी आमदनी बढ़ेगी तब हमारा खर्चा भी बढ़ेगा जो लोकोपकारी काम है उनमें खर्चा बढ़ेगा।

श्री चन्द्रजीत---प्वाइंट आफ आर्डर।

इस सदन में यह व्यवस्था का प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है कि जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर विवाद हो तो किसी न किसी कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर का रहना आवश्यक है। सामान्य प्रशासन पर विवाद हो रहा है जो अनुदानों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस सदन में यह बार-बार व्यवस्था दी जा चुकी है कि किसी न किसी कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर का रहना आवश्यक है क्योंकि कैबिनेट की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस व्यवस्था को मानते हुये इस बात का आदेश दें कि कोई न कोई कैबिनेट मिनिस्टर आये तब विवाद आगे चले।

श्री उपाध्यक्ष---यह अच्छा हो कि यहां मिनिस्टर साहबान रहें। लेकिन जहां तक व्यवस्था की बात है, इसमें कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री चन्द्रजीत---यह तो व्यवस्था हो चुकी है। या तो उस व्यवस्था को बदल दें, इस पर इस सदन में व्यवस्था दी जा चुकी है कि जब कोई कैबिनेट मिनिस्टर यहां नहीं था तो कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाने का आदेश दिया गया था। यह प्रश्न उठाया गया था कि मिनिस्टर इंचार्ज का रहना आवश्यक है। अगर संबंधित मंत्री नहीं रहते हैं तो कैबिनेट के दूसरे सदस्य हैं, वह रहें क्योंकि ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है। लेकिन इस समय ४५ में से केवल एक डिप्टी मिनिस्टर को छोड़ कर कोई भी सदन के अन्दर उपस्थित नहीं है। अगर आप व्यवस्था नहीं देंगे तो बड़ा अनर्थ होगा और यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं होगी।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं आपको जानकारी करा दूं कि वह प्रश्न मैंने उठाया था

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष---यह तो कोई मर्यादा की बात नहीं है कि दो सदस्य एक साथ खड़े हैं।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)------मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय हाउस में सरकारी पक्ष का बहुमत नहीं है इसलिये माननीय नेता विरोधी दल ने मुख्य मंत्री का आसन ग्रहण कर लिया है। आप कार्यवाही चालू करें।

श्री उग्रसेन---यह प्रश्न मैंने ही उठाया था जबकि माननीय कमलापति जी सदन से चले गये थे और उस समय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि. . . .

श्री उपाध्यक्ष---मैंने तो सवाल सुन लिया, समझ लिया। अब आप मेरी बात भी तो सुनें। यह ठीक बात है, अच्छा है कि माननीय मंत्री जी यहां जरूर रहें। यह तो सदन के लिये बहुत जरूरी है और उनका रहना आवश्यक है लेकिन साथ ही साथ जब तक कि उनको रिप्रेजेंट करने वाले डिप्टी मिनिस्टर मौजूद हैं और दूसरे लोग मौजूद हैं. . . .

श्री चन्द्रजीत---कोई मंत्री कैबिनेट स्तर का यहां नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---यह आवश्यक नहीं है कि कैबिनेट स्तर के ही वह हों और चीफ मिनिस्टर अब आ भी गये हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं और वह यह है, श्रीमन्, कि आपके साथ में बैठे हुए उपसचिव महोदय, मैं यहां से देख रहा हूं, हर समय आपके कान में कुछ न कुछ कहते रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि न तो आप सदन के सदस्यों की बात सुन पाते हैं कि वह क्या कह रहे हैं और न आप अपनी बात कह पाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जहां तक मुझे जरूरत होगी, मैं जरूर सचिव से कंसल्ट करूंगा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। बहुत-सी बातों में अगर कोई बात पूछनी है तो वह उनसे पूछना जरूरी है। इसलिये इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है।

श्री मूलचन्द शास्त्री—श्रीमन्, जैसा मैं अभी कह रहा था कि मांग यह पेश की जाती है कि हमारे सामान्य प्रशासन में एफिश्यैंसी आनी चाहिये और यह मानी हुई बात है जब तक उसमें योग्य अधिकारी न होंगे, योग्य आफिसर्स न होंगे तब तक उसमें किसी तरह की एफिश्यैंसी आ नहीं सकती। लेकिन उसके साथ-साथ फिर यह मांग की जाती है कि आफिसर्स की तादाद कम कर दी जावे। मैंसमझा नहीं कि एक तरफ तो यह मांग है कि हमारे काम में कुशलता आये, योग्यता आये और दूसरी तरफ हम खर्चे में कमी की बात करते हैं। और उसमें दक्षता बढ़े और दूसरी तरफ जिन लोगों में वह दक्षता आ सकती है उनको कम करने की बात की जाती है।

एक और अजीब बात है कि एक तरफ यह कहा जाय कि हम यह चाहते हैं कि इस तरह से खर्चे में कमी की जावे, और उसके साथ साथ सुझाव कुछ ऐसे दे दिये जायं कि अगर उनको मान लिया जाय तो खर्चे और बढ़ जायं। अगर उनकी बातों को मान लिया जाय तो उससे खर्चे और बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। अजीब सी बात है, सोचना तो यह है कि खर्चा कैसे कम हो, लेकिन उपाय ऐसे बताये जाते हैं कि जिससे खर्चे और बढ़ें। मैं यह समझता हूं कि हम लोग जनता के प्रतिनिधि बनकर यहां आये हैं तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य यह है कि यहां बैठकर जनता के हित की जो आवश्यक बातें हैं उन्हें हम सरकार के सामने रखकर सरकार को इस बात के लिये प्रेरित करें कि वह उन सुझावों पर अमल करे। हम लोगों को आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि किस तरह से प्रशासन में अच्छाई आवे, उसके लिये हम सुझाव दें।

मैं एक दो बात इस विषय में कहना चाहता हूं। हमारे यहां ब्लाक्स खुल रहे हैं और इसमें संदेह नहीं कि यह ब्लाक्स इसलिये खोले जा रहे हैं कि गांवों की किस तरह से उन्नति हो। हिन्दुस्तान में तब तक कोई भी उन्नति नहीं हो सकती जब तक कि उसका असर हमारे ग्राम्य जीवन पर न पड़े। सबसे पहले हम लोगों को यह देखने की आवश्यकता है कि जिस अभिप्राय से एक ब्लाक खोला जाता है, उससे हमारी इच्छा पूरी हो रही है या नहीं। अगर आज गांव वाला किसी तरह से एक रुपया कमाता है और हमारे जितने ये ब्लाक्स खुल रहे हैं उनके खुलने के बाद अगर वह सवा रुपये की आमदनी उसकी हो जाती है तो मैं समझता हूं कि इसका लाभ उसको हो रहा है और गांव वालों की माली हालत सुधर रही है।

अब मैं कुछ सुझाव सामान्य प्रशासन के बारे में देना चाहता हूं। सबसे पहिले हमें यह देखना है कि क्या ब्लाकों से वह मंशा पूरी हो रही है जिसके लिये वे खोले गये हैं। तभी हम यह कह सकते हैं कि उन ब्लाकों का संचालन उस प्रगति के लिये हो रहा है जिसके लिये वे खोले गये हैं। अपने गांवों की दशा सुधारने के लिये सबसे बड़ी चीज जो हमने सोची है और सबसे बड़ा काम जो उनके बीच में हम करना चाहते हैं वह इन ब्लाकों के द्वारा ही करना चाहते हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि हमारी सरकार इस ओर अधिक ध्यान दे और यह देखे कि जितने हमारे ब्लाक खुलते हैं उनसे हमारे यहां लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी है और कितनी सुख सुविधा लोगों की बढ़ रही है।

दूसरी चीज मैं यह चाहता हूं कि कई बार मुकदमों में साल दो साल से अधिक समय लग जाता है। मैं समझता हूं कि इस तरह के २,४ केसेज को लेकर यह देखना आवश्यक है कि इसमें किस तरह से देर हुई। आया हमारे जो न्यायाधीश हैं उनकी वजह से देर हुई या वकीलों की वजह से देर हुई या और किसी वजह से देर हुई और कोई ऐसा उपाय निकालना होगा जिससे इस तरह की व्यवस्था हो कि इन केसेज में लोगों को जल्दी न्याय मिले और किसी तरह से देर न होकर वक्त पर फैसला हो। मैं समझता हूं कि इस तरह की अगर व्यवस्था की जायगी तो उससे प्रशासन में एफिशियैंसी बढ़ेगी और लोगों की सुख सुविधा बढ़ेगी।

एक चीज और है और वह यह है कि कई बार एक गलती हो जाती है और उस गलती के हो जाने पर यह जानने की आवश्यकता होती है कि यह गलती किस तरह से हुई और किस आफिसर ने और किस क्लर्क ने या किसी और ने यह गलती की। इस तरह के यदि कुछ केसेज को हम ले लें और उन केसेज को लेकर छानबीन करें और छानबीन करने पर जब इस नतीजे पर पहुंचे कि अमुक अफसर ने या अमुक क्लर्क ने केवल उस व्यक्ति को तंग करने के लिये उस चीज को बढ़ाया है या केवल उस व्यक्ति को परेशान करने के लिये इतने दिन लगाये हैं तो मैं समझता हूं कि उनके लिये उचित सजा की व्यवस्था होनी चाहिये। यह बहुत आवश्यक है।

जहां तक खर्चे की बात है, सबसे बड़ी चीज यह है कि हमें यह विश्वास करना होगा कि किन अधिकारियों के द्वारा हम खर्च करावें। जिन अधिकारियों को हम रखना चाहते हैं और जिनके द्वारा हम खर्चा करना चाहते हैं, यह मानी हुई बात है कि उनके ऊपर यकीन करना होगा। अगर हम सब लोगों पर या अपने अफसरों पर अविश्वास करने लगें और हर अधिकारी को बुरा भला कहने लगें तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे याद है कि एलेक्शन के दिनों में हमारे जिले के कलेक्टर और कुछ अधिकारी जा रहे थे। उधर से कुछ लोग यह कहते आ रहे थे कि बड़ा अन्याय हो रहा है, तरह-तरह की दिक्कतें पैदा की जा रही हैं और चुनाव में कितनी बेईमानी हो रही है। उन कलेक्टर साहब ने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि न्याय हो और किसी के साथ पक्षपात न हो लेकिन इतने पर भी बुराई दी जाती है तो हम लोगों को तकलीफ होती है कि आखिर हम किस तरह से काम करें। मैं समझता हूं इस तरह से हमारी सर्विसेज डिमोरलाइज हो जायेंगी और किसी तरह से यदि वे यह बात समझ जायें कि उनका कोई अधिकार नहीं है और जो कुछ वे करेंगे उससे उनके मार्ग में दिक्कत ही पैदा होगी तो उससे एफिशियेंसी बढ़ेगी नहीं बल्कि और घटेगी। जहां जहां वे गलती करते हैं उनको बतलाया जाय और गलतियां को बतलाना हमारा और विरोधी पक्ष का कर्त्तव्य है क्योंकि हम दोनों ही मिलकर चाहते हैं कि यहां का प्रशासन अच्छा हो, दक्ष हो और किसी तरह से भी शासन की एफिशियेंसी बढ़े ताकि हमारी इंडस्ट्री बढ़े और जो जीवन संबंधी आवश्यकतायें हैं, वे बढ़ें। मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक हमारे सामान्य प्रशासन में दक्षता नहीं आयेगी तब तक वे बातें नहीं आ सकतीं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)––उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर हमारे नेता विरोधीदल ने अपनी कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और यह कहने के लिये तैयार हूं कि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां तक सामान्य प्रशासन का सवाल है, एक प्रजातंत्र राज्य में जहां पर गणतंत्र अभी स्थापित हुआ है यह परमावश्यक है कि प्रशासन हमेशा ऐसा हो कि उसमें किसी के साथ रूरियायत, तरफदारी या पक्षपात नहीं रहना चाहिये। आज जो प्रजातंत्र है इसका सब से बड़ा खम्बा हमारी सर्विसेज हैं। जब तक सर्विसेज माकूल नहीं होंगी, साफ और निष्पक्ष नहीं होंगी, यह मानी हुई बात है कि प्रजातंत्र कभी खड़ा नहीं रह सकता और वह लड़खड़ा जायगा।

हमारे देश में, खास कर उत्तर प्रदेश में, यह भी मानी हुई बात है कि हमारे अफसरान बहुत ही योग्य और काम करने के इच्छुक हैं, परन्तु जो रवैया सरकार का हो रहा है और दलबन्दी का जो असर पड़ रहा है यह एक सोचनीय बात है। मुझे उम्मीद है कि हमारे कर्मठ मुख्य मंत्री श्री गुप्त जी के जमाने में एक स्वच्छ और अच्छी प्रणाली कायम होगी। उनसे मुझे बड़ी आशा है। मैं यह भी जानता हूं कि यह दलबन्दी प्रजातंत्र का अभिशाप है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रिगण दलबन्दी का शिकार होते चले जा रहे हैं और वह असली रास्ते से हट कर दूसरे रास्ते पर चले जा रहे हैं और इसका परिणाम है कि आज प्रशासन में एक भयंकर मानसिक क्रांति पैदा हो रही है। वह लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

हमारा कर्त्तव्य क्या है और हम किस रास्ते पर चल कर अपनी सेवायें अर्पण कर सकते हैं। मनुष्य मात्र में यह स्वाभाविक है कि वह अपनी हितचिन्तना करे। यदि वह समझें कि हम सुरक्षित हैं और सही काम करने से हमारी तरक्की हो सकती है तभी वे अच्छा और सही काम करेंगे। आज अधिकारीगण देखते हैं कि शासकीय दल के जो प्रतिनिधि जिले में हैं उनकी खुशामद कर के ही, उनको प्रसन्न करके ही वे अपनी तरक्की कर सकते हैं तो मानी हुई बात है कि इसके परिणामस्वरूप प्रशासन दूसरे रास्ते पर जायगा। आज होता क्या है? सारे अफसरान यह महसूस करते हैं कि जब तक हम राजकीय दल को खुश नहीं रखेंगे हमारी नौकरी बरकरार नहीं रह सकती, हम तरक्की नहीं कर सकते।

आज हर ट्रांसफर में हस्तक्षेप होता है। हमारे नवयुवकों में एक मानसिक विकृति पैदा हो गई है कि जब तक सिफारिश नहीं होगी उनका कोई काम नहीं हो सकता। वे हमसे सिफारिश लिखाने आते हैं और कहते हैं कि सिफारिश के बिना गाड़ी आगे नहीं चल सकती। कितनी शोचनीय बात है कि हमारे नवयुवकों में यह बात पैदा हो जाय कि हम योग्यता और कर्मठता के बल पर नहीं खड़े हो सकते, हम केवल सिफारिश के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। इसे हमें दूर करना चाहिये और इसकी जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वालों की है। जरूरत है कि वे इस बात पर सोचें। विरोधी दल भी शासन का एक अंग है और हम आपको सुझाव दे सकते हैं, आपको सही रास्ते का दिग्दर्शन करा सकते हैं कि देश में क्या हालत है। धीरे-धीरे शासन के लोगों का विश्वास होता जा रहा है, और अधिकारियों में धारणा बनती जा रही है कि यदि राजकीय दल को खुश नहीं रखेंगे, हमारी स्थिति कायम नहीं रह सकती है।

मैं गोंडा के संसदीय चुनाव की एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं। जो भयंकर कांड वहां हुआ है उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वे गुप्त जांच उसकी वहां करायें। गोंडा जिले में बच्चे-बच्चे के दिल से प्रशासन में विश्वास हट गया है। लोग जान चुके हैं कि न्याय और कर्त्तव्य बेकार चीजें हैं। महज एक रास्ता है कि कांग्रेस को खुश रखा जाय तभी उनकी तरक्की हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमारा देश कहां जायगा, इसे सोचना है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। कर्मचारी का नैतिक पतन होता जा रहा है। तो वह सोचता है कि जब हम अपने कर्त्तव्य से हटे तो अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि क्यों न कर लें और यही कारण है कि आज हमारे यहां भ्रष्टाचार एक अजगर सांप-सा बढ़ता चला जा रहा है और उसका शरीर विकराल होता चला जा रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो परिस्थिति कायम हो गयी है उसको अगर इस दल वाले ही शासक बन जायें तो एकदम दूर करना खेल नहीं होगा। इसलिये इसको रोकिये। आज उसको रोकने के बजाय उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रोत्साहन इस रूप में दिया जा रहा है कि सरकारी अहलकार लोग आप लोगों को खुश करते रहें और जो चाहें करते रहें। आज वह जो चाहते हैं उस पर कोई रोक नहीं है।

भ्रष्टाचार की बदौलत, जिस समाजवाद की स्थापना हमारी सरकार करना चाहती है वह नहीं हो पा रही है। परन्तु आज एक पेशकार की जितनी आमदनी है उतनी डिप्टी साहब की नहीं है और एक चपरासी की जितनी आमदनी है उतनी पेशकार की नहीं है। यह सब भ्रष्टाचार की बदौलत ही है। आज आप लोग भले ही ज्यादा तादाद में जीत कर आये हैं, मगर आप ३६ फीसदी वोटों के आधार पर आये हैं और जब कि ५० फीसदी वोटिंग हुई है। अगर इस ५० फीसदी के हिसाब से देखा जाये तो आप १८ फीसदी वोट प्राप्त करके ही आये हैं। सरकार को खुश करने के लिये सरकारी कर्मचारी काम करते हैं और उनकी मदद की बदौलत आप यहां पर आये हैं। इस तरह से प्रशासन में धीरे-धीरे जो अच्छे कर्मचारी हैं उनका भी मानसिक पतन होता जा रहा है और शासन की प्रणाली को धक्का लग रहा है।

श्रीमन्, मैं एक दो बात जिलाधीशों और कमिश्नरों के बारे में भी कहना चाहता हूं। आज यह सिस्टम ऊंट की तरह से करवट बदल रहा है। एक जमाना था जब यह कहा जाता था कि कमिश्नरों के पद समाप्त कर दिये जायेंगे। दो-दो, तीन-तीन कमिश्नरियों को मिला कर एक-एक कमिश्नर वहां रख दिया जायेगा और धीरे-धीरे उनको भी तोड़ दिया जायेगा। मगर आज फिर कमिश्नरों की बाढ़ सी आ गयी है। एक-एक कमिश्नरी में दो-दो कमिश्नर रखे जा रहे हैं। डेवलपमेंट के लिये अलग कमिश्नर है। हर सेक्रेटरी कमिश्नर होता जा रहा है।

जो जिलों में, श्रीमन्, जिलाधीश हैं उनको वहां का ईश बना दिया गया है, वहां का भगवान बना दिया गया है। प्रजातंत्र में इस नाम के स्थान पर अगर जिलाधिकारी होता तो अधिक अच्छा होता। उनका नाम जिलाधीश रखकर यह कह दिया गया है कि वे सर्व-गुण सम्पन्न हैं और जो चाहें कर सकते हैं, उनको जिले का मालिक बना दिया गया है। अगर उनके नाम को बदल दिया जाय तो उससे भी जनता को लाभ पहुंच सकता है, जनता पर उसका असर पड़ सकता है क्योंकि जनता जानती है कि सामन्तशाही की जो कड़ियां हैं वे अब भी मौजूद हैं। अगर देखा जाय तो आज जिलाधीशों का कोई स्थान नहीं रह गया है, उनका-कोई कर्त्तव्य नहीं रह गया है क्योंकि आज हर चीज के लिये अलग-अलग विभाग हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं और उनके अलग-अलग आफिसर्स होते हैं जो अपने विभाग के कार्यों को देखते हैं। जिलाधीश आदि तो अंग्रेजों की देन है। जिस तरह से वाइसराय पहले देहली में बैठा रहता था और राज्य किया करता था, आज जिलाधीश जिलों में बिठा दिये गये हैं। जो भी आप कानून बनाते हैं, अन्त में लिख देते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहेगा वह करेगा। हर कानून की सब धारायें एक तरफ होती हैं और उसके अधिकार एक तरफ। आपने उसको बादशाह बना दिया है, भगवान बना दिया है।

मुझे यह कहना है कि आज नौकरशाही धीरे-धीरे बढ़ती चली जा रही है। यही नहीं, इसका आपके राजकोष पर भी असर पड़ रहा है। जनता विकल हो रही है, वह चुसती चली जा रही है। आज आपके कर्मचारियों को ऊपरी आमदनी की सबसे पहले फिक्र होती है। आज जो फिगर्स हैं वे यह बताते हैं कि प्रत्येक गांव में ११ कर्मचारियों का औसत जाकर पड़ रहा है। सोचिये इसका नतीजा क्या हो रहा है। आज एक गरीब किसान जो दलबन्दी का शिकार हो जाता है उसको ११ आदमी नोंचने के लिये तैयार रहते हैं। एक गांव में, उदाहरण के लिए, एक काम के लिए पटवारी भी है, सेक्रेटरी भी है, ग्राम सेवक भी है। कोई समझ नहीं सकता कि किसका कौन काम है। कागज पर पटवारी भले ही हो, लेकिन जब नोंच-खसोट होती है तो हर एक शख्स चाहता है कि हम इसमें से हिस्सा लें और हिस्सा लगने लगता है और वह हिस्सा बढ़ता चला जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन चीजों की तरफ विशेष ध्यान देना है।

एक तरफ बढ़े हुए खर्चे की बात कही जाती है कि खर्चा कम करना है और एक तरफ निरन्तर इन चीजों का विस्तार होता जा रहा है जिसके कारण एक बड़ा भारी बोझ हमारे ऊपर है। हमें कर्मचारी बढ़ाने पर एतराज नहीं है, जरूर बढ़ा दें, मगर उनका इंडिपेंडेंट रहना बहुत आवश्यक है। उनका राजकीय दल से सम्पर्क और उनके इशारे पर चलना, यह रोका जाना बहुत ही आवश्यक है। जैसा मैंने कहा, अभी एक सामान्तशाही प्रणाली चली आ रही है। आज आई० ए० एस० क्लास जो है वह आई० सी० एस० क्लास की जगह लेती जा रही है, जो कि गिफ्टेड क्लास कही जाती थी, और एक गाड-गिविन सर्विस के नाम से पुकारी जाती थी। आज ऐसा समझा जाता है कि जिसने आई० ए० एस० कर लिया उसे सारी नालिज हो गयी है, वह टेक्निकल एक्सपर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट हो गया, पी०डब्ल्यू०डी० के इंजीनियर्स से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गया। इस चीज पर विचार करना है। इससे जो नीचे की

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

सर्विसेज हैं उनमें एक इनफीरिआरिटी कम्पलेक्स पैदा होता है । अगर आप चाहते हैं कि यह वास्तव में सामान्य प्रशासन हो जिसमें हर एक को अवसर मिले तो आज जो आपके सेक्रेटरीज हैं जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक के या पी० डब्ल्यू० डी० के उस पद के लिये उन लोगों को अवसर मिलना चाहिए जो टेक्निकल एक्सपर्ट हों, जो कि टेक्निकल नालिज और एक्सपीरिएंस वाले हों । वह भी डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर्स रह चुके हैं, हेड आफ दिडिपार्टमेंट रह चुके हैं। अगर इसी क्लास को लिया जाय तो वास्तविक तरक्की हो सकती है और वह अच्छे सुझाव दे सकते हैं । जो हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं उनका दृष्टिकोण अलग होता है । उनका एक्सपीरिएंस और उनकी नालिज ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुन्दर और जरूर अच्छी है, मगर मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि साथ-साथ टेक्निकल नालिज भी उनकी देन हो जाती है । तो मेरा सुझाव है कि इस चीज पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो नियोजन विभाग है, ठीक है यह आवश्यक है, लेकिन वह ऐसा स्थान ले रहा है कि एक दूसरी गवर्नमेंट इस्टैब्लिस होती चली जा रही है । प्रत्येक डिपार्टमेंट से उसका वास्ता है । आज जितने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं, ऐग्रिकल्चर, कोआपरेटिव, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत, इन सब के जो नीचे स्तर के ब्लाक डेवलपमेंट स्तर पर कर्मचारी है वह शशोपंज में रहते हैं । वह समझ नहीं पाते कि वह किसके मातहत हैं । उसे डिप्टी डायरेक्टर का मुंह देखना पड़ता है, डारेक्टर के हेड का देखना पड़ता है, नियोजन विभाग के जो इन्चार्ज हैं और उस कैडर के जितने अधिकारी हैंउनका मुंह देखना पड़ता है । यह एक डुप्लीकेशन आफ वर्क है, एक नयी गवर्नमेंट बन रही है । जिस तरह से सेंटर में प्लानिंग कमीशन एक पैरेलल गवर्नमेंट इस्टैब्लिश हो रही है, आज वही यहां हो रहा है । न किसी की रेस्पांसिबिलिटी है, न उत्तरदायित्व है। जिस तरह से वहां है उसी तरह से नियोजन विभाग यहां बन रहा है। आज जो उनका हस्तक्षेप है उसमें मेरा अनुमान है कि बजाय अच्छा असर होने के बुराई बढ़ती चली जा रही और जो आपके डिपार्टमेंटल विभाग हैं वह निराश होते जा रहे हैं । वह समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां कम होती चली जा रही हैं, इसलिए वह फर्ज अदायगी की तरफ चल रहे हैं, वास्तविक काम नहीं कर रहे हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया । श्रीमन्, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

सदन में काफी वाद-विवाद शासन प्रणाली के सम्बन्ध में किया गया है लेकिन जब तक हम यह नहीं देखेंगे कि किस सेट-अप में शासन व्यवस्था चल रही है तब तक हम सही दृष्टिकोण नहीं अपना सकते । डेमोक्रेटिक सेट-अप में शासन-प्रणाली दो पहियों पर चलती है, एक तरफ तो आफिशियल्स होते हैं और दूसरी तरफ नान-आफिशियल्स । साथ ही जो जुडिशियरी है उसको स्वतंत्र रखा गया है । दोनों पहियों का ठीक होना इस बात पर निर्भर करता है कि एक दूसरे का दोनों पर प्रभाव पड़ता रहे। केवल हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी जहां डेमोक्रेसी काफी तरक्की कर चुकी है, उदाहरण के लिये इंग्लैंड, अमेरिका और रूस में यह समस्या है कि दोनों पहियों को कैसे संतुलित किया जाय ।

अफसरों के मुताल्लिक जो शिकायत की गई है, मैं समझता हूं कि अगर वाकई हम नान-आफिशियल्स कोई सही रास्ता उनको दिखा सकें तो कोई वजह नहीं है कि उनको ठीक न किया जा सके, लेकिन कमजोरी हम सब की है । जब देश का बटवारा हुआ तब कितनी कठिन समस्यायें हमारे सामने आईं लेकिन तब आफिशियल्स और नान आफिशियल्स दोनों ने अन्दरूनी और बाहरी आपदाओं से इस देश की रक्षा की । इससे साफ जाहिर है कि अंग्रेजों के मातहत जो अफसर काम करते रहे, स्वतंत्रता हासिल होने के बाद यकायक उनकी मनोवृत्ति में

तब्दीली आई है और उसका परिचय उन्होंने ठीक स्वतंत्रता के बाद जो हमारे सामने परिस्थितियां आई उसका मुकाबला करने में दिया। हम समझते हैं कि उनके भीतर भी स्वतंत्रता की आग भड़क रही थी और जब मौका आया तब उन्होंने उसका परिचय दिया। यूं मैं यह कहूंगा कि जब हम चाहते हैं कि हमारी सर्विसेज एफीशिएन्ट हों तो हमें उनको आर्थिक समस्याओं से मुक्त करना पड़ेगा। उनकी पे ज्यादा होनी चाहिये ताकि उसमें बेस्ट ब्रेन्स आ सकें। डेमोक्रेसी में राजनीतिक पार्टियां तो आती जाती रहती हैं लेकिन सर्विसेज अपनी जगह पर कायम रहती हैं। वह स्थायी तरीके से तजुर्बा हासिल करती हैं और अपने अनुभव के आधार पर सलाह देती रहती हैं। इसलिये जरूरी है कि उनको एफीशिएन्ट बनाने के लिये उनकी हाई पे होनी चाहिये ताकि अच्छे लोग उधर आकर्षित हो सकें। यह बात सही है कि इस प्रणाली में देर लगती है। इस तरफ धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और रेट-टेपिज्म दूर होती जा रही है। अगर इस दिशा में इंग्लैंड की प्रणाली को अपनाया जाय तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उससे यहां का शासन अनभिज्ञ हो, ऐसी बात नहीं है। वहां पर बाज वक्त ऐसा होता है कि अगर किसी फायल को किसी बड़े आफीसर के पास ले जाना होता है तो वहां का क्लर्क डायरेक्टली उस अफसर के पास पहुंचा देता है और अपने अनुभव को उस अफसर तक पहुंचा देता है। इससे कार्यक्षमता बढ़ जाती है। लेकिन हमारे यहां एक ढर्रा चला आता है कि छोटे बड़े सब आफीसरों के पास फायल भेजी जाती है ताकि उनके अनुभव उसमें लिखे जा सकें लेकिन उनको निबटारा करने का अधिकार नहीं होता, केवल वह एक नोट उस पर लिख सकते हैं। इस तरह से काफी देर हो जाती है। लेकिन मैं यह साहस के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहां इसके साथ ही साथ इंग्लैंड की प्रणाली भी अपनाई जा रही है। जहां तक टेलीफोन वगैरह का सवाल है अथवा नये अविष्कारों का सवाल है, उनसे इस प्रणाली को काफी बल मिल रहा है क्योंकि इन चीजों के जरिये से डायरेक्ट कान्टेक्ट होता है। इसलिये जैसे जैसे कर्मचारी एफीशियेंट होते जायेंगे हम इंगलैंड की प्रणाली को अपनाते जायेंगे और निकट भविष्य में वर्तमान प्रणाली समाप्त हो जायगी।

एक बात यह कही गयी कि हमारी प्रणाली में भ्रष्टाचार बहुत है। आजकल आप देखें कि हमारे यहां सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है---गांव स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लाक स्तर पर सत्ता को नान-आफिशियल्स के हाथ में सौंपा जा रहा है। जैसे जैसे नान-आफीशियल्स मेशीनरी एफीशियेंट होती जायगी उनके हाथ में अधिक कार्य सौंपा जाता रहेगा। आज भी जहां पंच, सरपंच अनुभवी हैं, ईमानदार हैं वहां काम सुचारु रूप से चल रहा है और वहां पर पटवारी और पुलिस की नहीं चल पाती। अतः जैसे जैसे नान-आफिशियल्स ईमानदार, अनुभवी और लायक मिलते जायेंगे उसी हद तक आफीशियल्स का भार कम होता जायगा। एक समय ऐसा आयेगा जब सर्विसेज के पास बहुत ही कम काम रह जायगा।

(श्री नेकराम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गंगासिंह (जिला पिथौरागढ़)---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आप उन्हीं सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं जिनके नाम आपके पास आये हुए होते हैं अथवा उन लोगों को भी मौका देते हैं जो बोलने का प्रयत्न करते हैं खड़े होकर ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं उनमें से भी लोगों को मौका देता हूं जिनकी चिट मेरे पास लिख कर आ जाती है और उनको भी मौका देता हूं जो खड़े होकर मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसा जिस वक्त मैं उचित समझता हूं, वैसा करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्,

[श्री नेकराम शर्मा]

यह बड़े दु:ख की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब इस प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में ली, उस वक्त यह घोषणा की थी कि इस प्रशासन में जो खराबियां या कमियां हैं, उनको हटाने के लिये वे जल्द से जल्द और ठोस कदम उठायेंगे। माननीय राममूर्ति जी कह रहे हैं कि कल भी उन्होंने अपने भाषण में कहा कि माननीय सिंचाई मंत्री एक ऐसे मंत्री हैं जो सबसे अधिक इस सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं। वही एक ऐसे मंत्री हैं जो सारी डिबेट को सुनते हैं अन्यथा यहां क्या होता है कम मंत्री जानते हैं। जब यहां जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बहस हो रही है, यहां पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, न तो सामने ही कोई नजर आता है और न ऊपर ही। और श्रीमन्, जो कुछ सदन में कहा जाता है, उसके विषय में आफिसर लोग कहते हैं कि ऐसे सदस्य तो बोलते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं और भी बोल लें, दो चार बातें और कह लें। यह मनोवृत्ति आफिसरों की आजकल है। जब जनरल ऐडमिस्ट्रेशन पर बहस हो यहां उस वक्त चीफ मिनिस्टर तो यहां बैठे रहें और विशेष जरूरत पड़ने पर ही कभी बाहर आवें लेकिन चीफ सेक्रेटरी या दूसरे अधिकारी लोग यहां नहीं बैठते क्योंकि जनतंत्र और बहस को पसन्द नहीं करते, आफिसरों की यही मनोवृत्ति हो गयी है। इस मनोवृत्ति को दूर करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री ने संकल्प किया था लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि अपने उस संकल्प को वे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, उसके कई कारण हैं।

जहां तक मैं समझता हूं, पहला कारण यह है कि वे स्वयं शासन में इंटरफियरेंस करते हैं और जब वे आफिसर्स से कोई काम लेते हैं तो प्रोमोशन के समय उन आफिसरों का विशेष तौर से खयाल करना पड़ता है। अभी अभी यह देखने में आया, जहां तक मुझे सूचना मिली है, कि जब कौंसिल के चुनाव हुए तो सरकारी कर्मचारियों के पास बहुत से मंत्रीगण भी गये और उन कर्मचारियों से वोट दिलाया। यह प्रथा बड़ी ही घातक है। अगर आज आप अपने पक्ष में सरकारी कर्मचारियों से गलत काम कराते हैं और उनसे वोट दिलाते हैं, तो हो सकता है कि कल वे ही सरकारी कर्मचारी आपके खिलाफ भी जायं। इस तरह से यह मनोवृत्ति ठीक नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की योग्यता, सीनियारिटी के आधार पर उनको प्रोमोशन होना चाहिये, यह नहीं कि आपके इशारे पर चलें, आपका काम करें उसके बदले में उनको रिवार्ड दिया जाय। यह गलत है।

यह देखने में आया कि जो आफिसर अपनी एज समाप्त कर चुके उनको रिइम्पलायमेंट मिला। कई आफिसर ला कमीशन में रखे गये, बहुत से ऐसे आफिसर हैं जिनको हाईकोर्ट का जज बना दिया गया। तो इस तरह से करप्शन के माने केवल रिश्वत लेना ही नहीं होता है बल्कि उनको किसी तरह का प्रलोभन देना भी करप्शन ही होता है। हाईकोर्ट के जजों को ग्रीष्म की छुट्टी क्यों दी जाती है? इसलिये कि उनके पास काम बहुत है। हाईकोर्ट के जजों की संख्या पहले से दुगुनी तिगुनी इसलिये बढ़ायी गयी है कि वहां काम बहुत ज्यादा है लेकिन उनको डेढ़-डेढ़ और दो-दो महीने की वैकेशन छुट्टी क्यों दी जाती है? जब आई० सी० एस० और पी० सी० एस० आफिसर्स काम करते हैं तो फिर उनको क्यों छुट्टी दी जाती है? यह ग्रीष्मकालीन छुट्टी बंद हो। रिटायर्ड हायर जुडिशिल सर्विस के आफिसरों को हाई कोर्ट के जज बनाने की एक परम्परा चल पड़ी है, वकीलों में से भी हाई कोर्ट के जज बनाने की एक परम्परा चल पड़ी है और मैं समझता हूं कि यह दोनों नीतियां बड़ी ही घातक हैं। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देता हूं कि एक केन्द्रीय पल होना चाहिये आल इंडिया सर्विसेज का और उसी में से हाई कोर्ट के जजेज व पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों आदि की नियुक्ति होनी चाहिये। इसी तरह का बटवारा हमारे सचिवालय के लिये भी होना चाहिये जैसा कि कल शरण जी ने सुझाव दिया था।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि हम इकोनामी करेंगे लेकिन क्या इसी तरह से इकोनामी होगी कि सेक्रेटरी कमिश्नर की तनख्वाह पावे जबकि काम सेक्रेटरी का करे? ऐसे भी लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं सेक्रेटरी का और तनख्वाह पा रहे हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी की।

आखिर यह स्पेशल पे क्यों दी जा रही है, तमाम सेक्रेटरी व एडिशनल सेक्रेटरीज, स्पेशल सचिव आदि क्यों भरे जा रहे हैं ? सन् १९३१ में कुल २४ विभाग थे और बहुत थोड़े आफिसर्स थे लेकिन आज ९० विभाग हैं और २०० के करीब आफिसर्स हैं। ऐडमिनिस्ट्रेशन पर जो इतना ज्यादा खर्च हो रहा है, प्रजातंत्र के लिये यह बड़ा ही घातक है। इस सम्बन्ध में हाउस की एस्टिमेट कमेटी ने ५७ में जो सिफारिश की थी उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अमल करने के लिये कहा था लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया। एस्टिमेट कमेटी में एक आई० सी० एस० आफिसर आये और उन्होंने कहा कि कमिश्नर का पद बिलकुल बेकार है, वे कोई काम नहीं करते। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिये आप डेलीगेशन आफ पावर कीजिये। यह न हो कि एजूकेशन ग्रांट के लिये कोई दौड़ा हुआ एजूकेशन मिनिस्टर के पास आवे या और छोटे छोटे कामों के लिये आवे। आज आवश्यकता यह है कि आपके जो ९० विभाग हैं उनका रिआर्गनाइजेशन किया जाय और विभागों को कम किया जाय। संगठन विभाग का इनचार्ज उच्च अधिकारी को बनाया जाय, क्योंकि कोई सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के विभाग की जांच करने जाय तो वह क्या उसकी जांच कर सकता है ? मैं चाहता हूं कि एक उच्च आई० सी० एस० आफिसर ही इस काम को कर सकता है। एल० एस० जी० इंजीनियरिंग विभाग, हरिजन व सोशल वेलफेयर विभाग को पृथक रखने की क्या जरूरत है। अगर ये छोटे-छोटे विभाग एक में मर्ज हो जायं तो काम चल सकता है और इकोनामी हो सकती है। लेकिन नहीं, मुख्य मंत्री जी किसी मिनिस्टर को बढ़ाते हैं तो उनके लिये उनको एक डिपार्टमेंट क्रियेट करना पड़ता है, यह नीति गलत है। आज जो मनोवृत्ति अफसरान की है वह ठीक नहीं है। मैं यह जानता हूं कि उनमें से बहुत से अच्छे अफसरान भी हैं जिन्होंने प्रदेश का नाम उज्ज्वल किया है जैसे श्री बी० डी० सान्वाल साहब हैं।

(लालबत्ती होने पर)

श्रीमन्, अगर मुझे ५ मिनट और दे देते तो अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष---५ मिनट तो नहीं, आप ४ मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा---मैं यह कह रहा था कि मैं यह मानता हूं कि मुख्य मंत्री जी ईमानदारी से प्रदेश के प्रशासन को ठीक करना चाहते हैं। वह उसकी कमियों को जानते हैं और मेरा यह विश्वास है कि अगर वे उसको ठीक नहीं कर पाये तो शायद उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों तक ऐसा मुख्य मंत्री नहीं आयेगा जो प्रशासन को ठीक कर पावे। उनसे बहुत आशायें थीं लेकिन आज देखने में आ यह रहा है कि वह प्रशासन समाप्त होता चला जा रहा है और उनके इर्द-गिर्द लगे हुये आफिसर आज अपनी तनख्वाहें और अपने एलाउन्सेज बढ़ाने में लगे रहते हैं और उनको उसी तरह से बताते हैं और यहां तक उनके लिये अगर मुख्य मंत्री जी कहें कि ये अफसर इतने जरूरी है कि अगर ३ हजार भी उनको देना पड़े तो वे उनको रखेंगे। यह अफसोस की बात है। किसी की भी इतनी जरूरत नहीं है। जो आफिसर भी आयेगा वह भी जितना हो सकेगा अपना कार्य करेगा।

डिस्पोजल आफ वर्क का क्या होता है ? एक पत्र हेड आफ डिपार्टमेंट्स से चलता है उसको ऊपर सचिवालय में एक्जामिन कौन करता है। ऊपर के दफ्तर का क्लर्क तब वह फिर सेक्रेटरी तक पहुंचता है और इस प्रकार महीनों उसमें लग जाते हैं। मुख्य मंत्री आज शाम को कृपया बतावें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितनी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिन पर निर्णय नहीं हो पाया है।

आपने पेटीशंस विभाग खोल रखा है उसका कोई काम नहीं है। एक माननीय सदस्य अगर मंत्री को लिखेगा तो मंत्री जी उसको जवाब दे देंगे छपा हुआ रखा है कि आपका पत्र मिला और कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है और भविष्य में उनको डाइरेक्ट लिखिये। यह तरीका कितना गलत है। अगर माननीय सदस्य ने गलत सूचना दी है तो आप उसकी

[श्री नेकराम शर्मा]

उपेक्षा कीजिये लेकिन अगर उसकी जांच सही पायी जावे तो दोषी अधिकारियों को दंड दीजिये। मैंने हाउस आफ कामंस में पूछा कि आपके यहां एम० पीज के पत्र का क्या होता है तो वहां के एम० पीज० का कहना था कि हम मिनिस्टर को खत लिखते हैं तो हमारे खत की वकत होती है और उस पर जांच होती है। अगर गलत बात होती है तो कोई फिर उस पर कार्यवाही नहीं होती लेकिन अगर जांच सही पायी जाती है तो उस आफिसर को दंड मिलता है। मैं यही कहता हूं कि अगर आफिसरों में यह मनोवृत्ति फैल जाय कि यह हमारी शिकायत करके क्या करेंगे तो उसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। आज आफिसर हमारे मिनिस्टरों पर हावी हो गये हैं। २९ तारीख का हिन्दुस्तान देख लीजिये उसमें लिखा है कि आफिसर कहते हैं क्या क्या बातें। आज आप के आफिसर कहते हैं कि फलां आपको गदहा कहता है। जब आपके आफिसर मंत्रियों पर इस प्रकार आक्षेप करें तो यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। अथारिटी की रेस्पेक्ट होनी चाहिये। आज जवाहरलाल जी हैं उनके अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि उनकी रेस्पेक्ट करें। इसी तरह से अगर यहां के अधिकारी हमारे मंत्रियों के विषय में इस तरह से बातें करें तो मुझे संदेह है कि ये आफिसरशाही आपके ऊपर हावी होती चली जा रही है और १५ वर्ष आपके सतत् प्रयत्न करने के बावजूद यह नौकरशाही बिलकुल ठीक नहीं हो पायी है और इन पर इतना खर्च हमारा हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि ३४ परसेंट बजट का इन पर खर्च होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं और साबित करूंगा कि ४० से ५० फीसदी तक इन पर जो टैक्स हम देते हैं उसका इस ब्योरोक्रैसी को मजबूत करने में खर्च होता है। तो कृपा करके सुपरफ्लुअस डिपार्टमेंट और सुपरफ्लुअस पोस्टों को खत्म कीजिये, बोर्ड आफ रेवेन्यू को तोड़ दीजिये, हाईकोर्ट के जजों के लिये वैकेशन की छुट्टियां बन्द कीजिये, एक्जीक्यूटिव से, जुडीशियल डिपार्टमेंट से और वकीलों से जजों को रिक्रूट करना बन्द कीजिये और एक सेन्ट्रल फूल बनवाइये और उसमें से एप्वाइन्टमेंट करवाइये और जुडीशियरी को करप्ट मत होने दीजिये और अगर आपने उसको भी एक्जीक्यूटिव की भांति प्रलोभनों में डाल कर करप्ट बना दिया तो फिर यह प्रजातंत्र चल नहीं सकता। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि मेरा कटमोशन नम्बर २ पर है लेकिन दो दिन से अभी तक मुझे मौका नहीं मिला है, आप को याद दिला रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, यह ठीक बात है कि आप बोलना चाहते हैं, आप की बोलने की उत्कट इच्छा है, जहां तक मुझसे बनेगा मैं आप को मौका दूंगा।

***श्री तमेश्वरप्रसाद** (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं....

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, जिनके कटमोशन हैं उनको १५ मिनट का मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—बीच में इस तरह से बोलने का यह तो कोई तरीका नहीं है, आप तशरीफ रखिये।

श्री जगदम्बाप्रसाद—मैं तो तशरीफ रख ही रहा हूं, लेकिन समय १५ मिनट का उन को मिलना ही चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तमेश्वरप्रसाद—मैंने माननीय राजा साहब का भाषण सुना। मैं समझता था कि वह बहुत पुराने लेजिस्लेटर हैं और प्रशासन से काफी उनका सम्बन्ध भी रहा है इसलिये वह कुछ ऐसे रचनात्मक सुझाव देंगे जिनसे कि प्रशासन में स्वच्छता आ सके। आप फरमाते हैं कि जिलाधीश का पद समाप्त करना चाहिये। फिर फरमाते हैं कि कमिश्नरों का पद भी समाप्त करना चाहिये। कहा जा सकता है कि इससे खर्च में बचत होगी लेकिन जो आज की व्यवस्था है और जो विकास का कार्य चल रहा है, उसको दृष्टिकोण में रखते हुये यह आवश्यक मालूम पड़ता है कि कमिश्नरों के पद को कायम रखा गया। कमिश्नर दौरे में विकास के कार्य को देखने के लिये, उसको सुपरवाइज करने के लिये अक्सर जाते हैं और उससे जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, उनको काफी सहायता मिलती है, इसलिये उस पद का कायम रहना बहुत जरूरी है। इसी तरह से जिलाधीश जिन के पद को हटाने की बात कही जाती है उन की बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि उन के स्थान पर वह कौन-सा पद क्रियेट कराना चाहते हैं जिस के द्वारा वह सारे जिले का प्रशासन एक ढांचे में ढाल कर एक नियंत्रित तरीके से चलाना चाहते हैं इस से तो एक अव्यवस्था और गड़बड़ी पैदा होगी।

कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी ठीक नहीं चल रही है, यह सब कहा गया। लेकिन कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिया गया। अभी कहा गया कि बहुत से विभाग खोले गये हैं, लेकिन जब आप ने पंचवर्षीय योजना को पास किया है और उसके अन्दर आप ने अपने यहां ब्लाक वगैरह कायम किये हैं तो उसके लिये कर्मचारियों की नियुक्ति होना आवश्यक ही है और उन के काम की देखरेख के लिये ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति भी आवश्यकीय है। तो यह जो कहा जाता है कि विभागों की संख्या बहुत बढ़ गई है, बात तो ठीक है कि वाकई बढ़ गई है लेकिन साथ ही जब काम बढ़ा है तो वह अनुचित क्या है? बढ़ते हुये काम को दृष्टि में रख कर ही यह विभागीय कर्मचारी और अधिकारी बढ़े हैं, यह कोई अनुपयुक्त बात नहीं है।

साथ ही साथ एक बात जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कही जाती है कि सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते और उनको शासन के लोगों से गलत इन्सपिरेशन मिलता है और वह लोग उनसे गलत काम कराते हैं, मैं इस बात का घोर विरोध करता हूं। एक तरफ से कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी बहुत नालायक हैं और गड़बड़ करते हैं लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि नहीं वह तो अच्छे हैं लेकिन प्रशासन के जो मंत्रिगण हैं वह उन को ग़लत रास्ते पर ले जाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि अगर आप को वास्तव में जनता की सेवा करनी है, अगर आप चाहते हैं कि प्रशासन का काम स्वच्छ रहे तो यह जरूरी है कि जो हमारा काम करने वाले कर्मचारी हैं और जो शासन को चला रहे हैं और जो देश में एक व्यवस्था कायम किये हुये हैं उनके प्रति हर रोज, हर बहस में इस प्रकार की दुर्भावना पैदा करना अच्छा नहीं है, इससे सर्विसेज डिमोरेलाइज हो जायंगी और जो काम देश में होना है वह नहीं हो पायेगा।

माननीय नेकराम जी ने कहा कि वकीलों को हाई कोर्ट का जज नहीं होना चाहिये मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट का जज होने के लिये कानून का जानना नितांत आवश्यक है अन्यथा ठीक काम नहीं हो सकता। इसलिये हाई कोर्ट के जज के लिये आवश्यक है कि वह लीगल प्रोफ़ेशन का हो। आप देखें तो दो साल पहले यह हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जजेज भी पब्लिक के आदमी हो सकते हैं। अगर कोई ऐक्सपीरियेंस्ड लाइयर है उस को भी डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जा सकता है, और बनाये गये हैं। ऐसे ही हाई कोर्ट के जज भी बनाये जाते हैं।

यह कहा गया कि खर्चा कम किया जाय। मैं समझता हूं कि जब आप का काम बढ़ गया है, कल्याणकारी काम हो रहे हैं तो खर्चा कम हो ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त विरोधी दल के सदस्यों ने ऐसे कोई सुझाव भी नहीं दिये जिनसे खर्चा कम किया जा सकता हो और प्रशासन भी अच्छी तरह से चल सके।

[श्री तमेश्वरप्रसाद]

जहां तक घूसखोरी की बात कही जाती है आप जानते हैं १५० साल तक हम अंग्रेजों के भी गुलाम रहे। अभी १५ साल से आजाद हुए हैं जब तक हम सब मिल कर प्रशासन की सहायता नहीं करेंगे, उस को स्वच्छ बनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक खाली विरोध करने से ही कोई लाभ नहीं होगा। इन शब्दों के साथ में मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण कर दूं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि हाई कोर्ट के जज लीगल प्रोफेशन के न हों। लीगल प्रोफेशन के तो होंगे ही। केवल इतना कहा था कि उनका एक सेन्ट्रल पूल हो जिसमें से बनाये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, जो आप की राय है वह तो आप देते रहेंगे।

***श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और आप के द्वारा सरकार का ध्यान प्रदेश में बढ़ती हुई अराजकता, भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं। आदरणीय सम्पूर्णानन्द की मिनिस्ट्री के उपरान्त प्रदेश में लोगों ने यह समझा था कि शायद गुप्ता जी की मिनिस्ट्री आने के बाद प्रदेश में कुछ शान्ति हो। यद्यपि विरोधी दलों को इस बात का विश्वास नहीं था। तब भी लोगों को बहुत आशायें थीं, प्रदेश में लोग यही चर्चा करते थे क्योंकि गुप्ता जी ने लम्बे-चौड़े बयान दिये थे जिसमें प्रशासन में सुधार करने की बातें थीं। उन्होंने फिजूल खर्च को भी कम करने का आश्वासन दिया था। परन्तु हुआ क्या? हुआ वही, प्रदेश में जो पहले मंत्रियों की संख्या थी अब उस से दुगुनी हो गई, अराजकता पूरे तरीके पर बढ़ी हुई है, सरकारी कर्मचारी अपने स्थानपर जीत रहे हैं और दूकानदार अपनी जगह पर परेशान हैं, पुलिस का अत्याचार अपने स्थान पर बढ़ा हुआ है। इस अराजकता की जिम्मेदारी जो आने वाली है वह हमारी सरकार के ऊपर है। मैं इलाहबाद का हूं। उस नगर का हूं जिस नगर ने देश में अगर सब से ज्यादा नहीं तो किसी से कम कुर्बानी भी नहीं की है। आज उसी नगर में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और प्रदेशीय सरकारी कर्मचारी के वेतन तथा भत्ते में अन्तर रखा गया है। दोनों सरकारें कांग्रेस की ही हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण यह है कि यह अन्तर रखा जाय। जो सरकार के पिछलग्गू होते हैं उनको उल्टे सीधे तरीके पर उनके वेतन में वृद्धि करके बढ़ावा दिया जाता है। हमारे प्रदेश में हर जिले का क्लासिफिकेशन होता है और जनगणना के अनुसार यह क्लासिफिकेशन किया जाता है और जिस नगर की संख्या ५ लाख के ऊपर आती है उसका क्लासिफिकेशन बी क्लास में आता है। लेकिन चूंकि इस नगर ने काफी कुर्बानी की है उसका मुआवजा वहां के कर्मचारियों को आज इस प्रकार से दिया जाता है कि उस नगर को सी क्लास में रखा गया। तो यह भिन्नता सरकार के दृष्टिकोण में है।

कल मुख्य मंत्री जी ने कहा कि लोग सुझाव दें। प्रत्येक वर्ष जब यह सामान्य प्रशासन का बजट आता है तो सुझाव के लिये कटौती के प्रस्ताव आते हैं। उनमें कई मर्तबा सरकारी बेंचेज से कहा गया कि गवर्नर तथा कलेक्टर के पद को हटा दिया जाय। परन्तु हुआ क्या? आज तक अपनी जगह पर गवर्नर साहब तथा कलेक्टर साहब दोनों स्थापित हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जो कर्मचारी आजकम काम करते हैं, जो बेईमानी करते हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। चूंकि वे सरकारी पक्ष के समर्थन में रहते हैं और चुनाव के सम्बन्ध में मदद करते हैं इसलिये उन को नीचे पद से ऊंचे पद पर आसीन किया जाता है। सभी कर्मचारी बेईमान हैं ऐसी बात नहीं है। कर्मचारियों में अच्छे और ईमानदार भी हैं लेकिन जो सरकारी पक्ष का समर्थन नहीं करते उनको ऊंचे पद से नीचे पद पर कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ देखे और हमारे नगर का क्लासिफिकेशन भी कर दे, जो भिन्नता वहां रखी गयी है उस को शीघ्रातिशीघ्र दूर कर दे कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिये क्योंकि उनकी मांग सही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। यह कौन कराता है? इन कार्यालयों की मंत्रीगण से सांठगांठ रहती है। जो मंत्रीगण के साथ रहते हैं उनका सब काम करने को मंत्रीगण तैयार रहते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं करते उनका काम नहीं होता है। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गंगासिंह—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिये मैं आप का आभारी हूं। इस सामान्य प्रशासन पर पिछले दो दिनों से जो वाद-विवाद चल रहा है उस सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि वास्तव में शासन में ढिलाई है इस में दो रायें नहीं हो सकती हैं। यह माना जा सकता है कि उसमें पहले की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ है किन्तु उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिये।

मैं पर्वतीय क्षेत्र के विषय में और खासकर उत्तराखंड के विषय में आप से निवेदन करना चाहता हूं। पिथौरागढ़ जिला जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में है वह अल्मोड़ा जिले की एक तहसील था जिसकी आबादी केवल २ लाख ६२ हजार है। वहां का शासन एक एस० डी० एम० और नायब तहसीलदार के द्वारा चलाया जाता था किन्तु आज वहां पर एक जिलाधीश, ४ एस० डी० एम०, ४ तसीलदार, ४ नायब-तहसीलदार और ४ कानूनगो हैं जब कि तहसील वह उस जिले की थी जिसकी तीन तहसीलों की आबादी करीब ७ लाख है और उस तहसील की आबादी करीब २ लाख ६२ हजार है। तो वहां प्रशासन में इतना अधिक व्यय होना मैं समझता हूं, उचित नहीं है।

दूसरा नम्र निवेदन मैं यह करूंगा कि पुलिस गार्ड जो कि डी० एम० और कमिश्नरों के बंगलों पर रहता है उसे तुरन्त हटा लेना चाहिये। अंग्रेजी काल में उनको खतरा था इसलिये उन्होंने सन् २७–२८ के करीब यह व्यवस्था चलायी थी। लेकिन आज उस की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे जनता को बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि पुलिस गार्ड के कारण जनता भयभीत होती है और उसे जनतंत्र का आभास भी नहीं होता है।

मुख्य मंत्री महोदय ने सीमावर्ती क्षेत्र का भी दौरा किया और स्वयं जाकर वहां उन्होंने देखा। प्रति वर्ष करोड़ों रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र की उन्नति के लिये दिया जाता है किन्तु उसका व्यय ठीक से नहीं हो पा रहा है।

सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में कल पी० एस० पी० के एक माननीय सदस्य श्री मैठाणी जी ने वेतन की असमानता की बात कही थी। यह बात सत्य है कि वहां नये खुलने वाले प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को १२० रुपये से १३५ रुपये तक मिलता है लेकिन जो जिला बोर्ड के अध्यापक हैं उन्हें केवल ६० रुपये ही वेतन मिलता है। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो अल्प वेतन भोगी वर्क एजेन्ट्स हैं उन्हें न्यूनतम वेतन मिलता है। इस प्रकार की वेतन में असमानता सीमावर्त्ती क्षेत्र में नहीं होनी चाहिये।

जहां तक विकास के कार्यों का प्रश्न है उसे वहां के कर्मचारियों द्वारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। सीमावर्त्ती क्षेत्र के लिये जो करोड़ों रुपया वहां की सड़कों के निर्माण के वास्ते दिया जाता है उसका सदुपयोग नहीं होता है। मिसाल के तौर पर थल से तेजम तक जो १३ मील की सड़क है उसके लिये ६५ लाख रुपया रखा गया है और उसके दूसरी ओर से बागेश्वर की ओर से कपकोट से शामा होते हुये जाने वाली जो ३८ मील लम्बी सड़क है उसके लिये केवल १२ लाख रुपये का अनुदान है। लेकिन ६५ लाख का अनुदान पाने पर भी वह १३ मील सड़क अभी तक नहीं बन पायी है हालांकि उसके आगे मोटर रोड बनी हुई है। एक ओर तो हम कहते हैं कि हमें सीमावर्त्ती क्षेत्र की रक्षा के लिये सड़कों को बनाना है लेकिन बीच में इस प्रकार सड़कों को न बनाना मैं कार्यक्षमता नहीं मानता हूं। यह सड़क जल्द से जल्द बननी चाहिये ताकि सामान ले जाने में सुविधा हो। होता क्या है कि यह बीच की सड़क न बनने से एक कुली २४ रुपये तक ले लेता है।

श्री भगवान दास—व्यवस्था का प्रश्न है। बात चल रही है कुछ और और माननीय सदस्य बात कर रहे हैं सड़कों की। अरे, सामान्य प्रशासन पर बोलिये हुजूर।

श्री उपाध्यक्ष—आप सामान्य प्रशासन पर आ जाइये।

श्री गंगासिंह—मैं उसी पर हूं।

जो सामान्य प्रशासन पर व्यय अधिक हो रहा है उसके बजाय विकास पर होना चाहिये। इस क्षेत्र की छोटी सी मिसाल मैं आप के सामने रखना चाहता हूं कि वहां की जो आबादी है और वहां के जो लोग हैं वे बहुत सीधे सादे और भोले भाले हैं। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक गरीब किसान ने तहसीलदार साहब को जब एक संतरा दाना देना चाहा तो उन्होंने उसके ऊपर ५० रुपए फाइन कर दिया। कोर्ट में जब वे थे तो एक आदमी का पांव उनकी मेज में लग गया तो इससे उस पर कंटेम्प्ट आफ कोर्ट हो गया और उसके ऊपर २०० रुपये जुरमाना कर दिया, जुरमाना न देने पर उस को सजा हो गई। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से गरीब लोगों को अधिकारियों के अत्याचारों से मुक्त करने की ओर ध्यान दिया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि वे लोग इसके अभ्यस्त नहीं हैं, वे लोग क्रिमिनल माइंडेड नहीं हैं, लोग वे अपने घरों में ताले नहीं लगाते हैं, ऐसी दशा में मुख्य मंत्री जी जिन्होंने सीमावर्ती जिलों को देखा है, एक छोटी सी तहसील में जिसकी आबादी कुल २ लाख ६२ हजार है, वहां पर एक कलेक्टर एस० डी० एम० ४ तहसीलदार, ४ नायब तहसीलदार और ४ कानूनगो न रख कर विकास के कार्य को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। यही निवेदन मुझे करना है।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सामान्य प्रशासन के अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव रखा था। इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, पहले तो मेरा एतराज यह है कि सामान्य प्रशासन का बजट पेश करने से पहले सदन के माननीय सदस्यों के लिये इस की रपट पेश नहीं की गई। श्रीमन्, जितने छोटे-छोटे विभाग हैं, परिवहन, पुलिस, सहकारिता, कृषि और पशुपालन वगैरह इन सब की रपट तो इस आदरणीय सदन के समक्ष आ जाती है। लेकिन पता नहीं मुख्य मंत्री जी क्या सोचते हैं और वे कौन सी पोल छिपाना चाहते हैं जिसकी वजह से सामान्य प्रशासन की रपट नहीं देते हैं। मेरे ही प्रश्न के उत्तर में कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अभी रपट छपी नहीं है। लेकिन मैं आप को बता दूं कि १९५७ में एक रपट इस विभाग की छपी थी और वह भी अंग्रेजी में है श्रीमन्, उसके बाद अब तक सामान्य प्रशासन की कोई भी रपट आदरणीय सदन में नहीं रखी गई है। मैं इसका सख्त एतराज करता हूं और मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसका विधिवत उत्तर देंगे कि वह इसे क्यों नहीं पेश करते हैं? और हिन्दी में पेश करें। श्रीमन्, आप जानते हैं कि सरकार के पास अंग्रेजी की बोली है और बगल में बन्दूक की गोली है, ऐसी जनतंत्र सरकार जो हमारे ऊपर गोली चलाना चाहती है उसका मालिक खुदा ही है और कौन हो सकता है?

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा इस आदरणीय सदन में इस बजट के कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के संबंध में इस बजट पर बहुत खर्च किया गया है। इसके एक आध आइटम देखने के लायक हैं। परदों के नवीनीकरण में १८,६०० रुपया रखा गया है और यदि सभी को जोड़ लिया जाय तो ४ लाख ८३ हजार ८०० रुपया राज्यपाल महोदय के ऊपर खर्च होगा और मंत्रियों पर मतदेय ५ लाख ६७ हजार ४०० रुपया है यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना रुपया राज्यपाल पर रखा गया है उससे कुछ कम मन्त्रियों के ऊपर है। कुल मिला कर १० लाख रुपया है। आप की जो इकोनामी कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट है कि राज्यपाल के खर्चे से कोई वास्ता नहीं है।

श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी ने मांग की है सदन के भीतर और बाहर राज्यपाल का पद वैसे ही बेकार है जैसे जिले में जिलाधीश का पद है और डिवीजन में कमिश्नर का है। मैं कहना चाहता हूं कि ये फिजूलखर्ची जो प्रदेश के राजस्व की की जा रही है उसके लिये मुख्य मंत्री जी

उत्तर देंगे कि यह क्यों की जा रही है। श्रीमन्, मंत्रियों पर खर्चा बढ़ गया है और इस सचिवालय के अन्तर्गत २२९ पदाधिकारी हैं जिनमें मुख्य सचिव, अनुसचिव, अन्य सचिव, सहायक सचिव तथा अधीक्षक आदि हैं। इन पर २५ लाख ३७ हजार ३०० रुपये का खर्चा है और जो सरकारी कर्मचारी हैं वे ३२१२ हैं जिन पर १९६१–६२ में ६३ लाख ८७ हजार ४०० रुपया खर्च हुआ। १९६२ में जब तृतीय योजना यहां आयी तो कम हो कर ६३ लाख २ हजार ३ सौ का खर्चा हो गया। कर्मचारियों का खर्चा घट रहा है और पदाधिकारियों का बढ़ रहा है। मुख्य सचिव ३६ हजार रुपया सालाना पाते हैं। सोशलिस्ट पार्टी की यह मांग रही है कि कम से कम नौकरी करने वाले का वेतन १०० रुपया होना चाहिये और १ हजार से ज्यादा किसी का वेतन नहीं होना चाहिये। अभी तक एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि यह कैसे होगा? शायद माननीय नवल किशोर थे। १०० रुपये अगर वेतन कर दिया जाय तो सात या नौ करोड़ का खर्चा बढ़ जायगा। उन्होंने यह क्यों नहीं उत्तर दिया कि जो एक हजार से ज्यादा तनख्वाह पाते हैं और भत्ता पाते हैं उसको कम कर दिया जाय तो कितनी बचत होगी? प्राक्कलन समिति के सामने एक प्रश्न आया था। उस पर समिति ने यह कहा कि मुख्य सचिव से यह कहा जाय कि पदाधिकारी लोग एअरकंडीशंस्ड रेलगाड़ी के डिब्बों में न चलें। मुख्य सचिव ने उसके उत्तर में यह लिखा कि अगर उसमें यात्रा नहीं करेंगे तो रात में सो नहीं पायेंगे और दूसरे दिन, जिले में जाकर काम नहीं कर पायेंगे। श्रीमन्, भत्ते पर खर्च होने वाली सम्पूर्ण रकम का केवल पांच या सात फीसदी तीसरे दर्जे में चलने वाले कर्मचारियों पर खर्च होती है और शेष ९५ या ९३ फीसदी जो खर्च होता है वह बड़े-बड़े अधिकारियों पर होता है, जो कि उनके शीत ताप नियन्त्रित डिब्बों और कार से सफर करने में खर्च होता है। प्राक्कलन समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि अधिकारीगण जो कार से सफर करते हैं उसके कारण भत्ता ज्यादा बनाते हैं। अच्छा हो कि रेलगाड़ी से सफर करें। लेकिन मुख्य सचिव ने किसी भी प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट को नहीं माना।

इकानामी कमेटी के सम्बन्ध में बहुत बातें कही गयीं। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कहां-कहां मितव्ययिता की दिशा में कार्यवाही की जा सकती है। इसमें चार पांच बातें कही गयी हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है जो डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी प्रोसीडिंग्स कमेटी ने सिफारिश की थी, ६० फीसदी अस्थायी पद स्थायी कर दिये जायं, यदि विभाग स्थायी हों। वह अभी तक स्थायी नहीं किये गये। मैं एक विभाग का उदाहरण देता हूं। रोडवेज में २० हजार कर्मचारियों में १४ हजार कर्मचारी अस्थायी हैं। १९५०–५१ में विभाग स्थायी हो गया था। १५ हजार कर्मचारी ९, १० साल से अस्थायी हैं।

जो जिलाधीश जिले में काम करते हैं, अगर उनका लखनऊ में ट्रांस्फर हो जाता है, तो उनको ३०० रुपया विशेष भत्ता मिलता है। प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उनका भत्ता १०० रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिये। आई०सी० एस० सर्विस रूल में लिखा है कि सौ रुपये से ज्यादा भत्ता नहीं होना चाहिये। लेकिन ३०० रुपया भत्ता दिया जाता है। लखनऊ को कूलरों से नैनीताल बनाया जा रहा है। जब हम कहते हैं कि अध्यापकों का वेतन बढ़ा दिया जाय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी जाय, द्वितीय वेतन कमेटी बैठा दी जाय तो सरकार कहती है कि उसके लिये पैसा भी नहीं है।

एक बात और कह दूं। अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन का प्रश्न है। उन में चार लाख चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। उन्होंने बार बार मांग की कि केंद्र के वेतन और हमारे वेतन में जो अन्तर है उसे मिटा दिया जाय। हमारे लिये दूसरी वेतन समिति बैठायी जाय। लेकिन यह सरकार बराबर इनकार करती चली जा रही है कि हम दूसरी वेतन समिति नहीं बैठायेंगे। मैं बताना चाहता हूं हिन्दुस्तान में जो वेतन कमीशन बने हैं उनका क्या मंशा रहा है और अंग्रेजी जमाने में जो वेतन कमीशन बैठा है उसकी क्या मंशा थी, माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम कमीशन नहीं बैठायेंगे। १९५९ में मध्य प्रदेश में सरकार ने वेतन कमेटी

[श्री उग्रसेन]

बैठायी थी और २ करोड़ ९८ लाख ३७ हजार रुपये की वृद्धि वहां के कर्मचारियों की तनख्वाहों में उन्होंने की। केंद्र ने १९१२-१३ में एक रायल कमीशन बैठाया था पब्लिक सर्विसेज के वेतन के बारे में लार्ड स्लिंग्टन की अध्यक्षता में। उसकी रपट अंग्रेजी में है, वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं—

"The only safe criterion is that the Government should pay so much and so much only to their employees as is necessary to obtain recruits of the right stamp and to maintain them in such a degree of comfort and dignity as will shield them from temptation and keep them efficient for the term of their service."

उन्होंने सिफारिश की है कि उनको उतना ही वेतन मिलना चाहिये जो कि उस पद के योग्य हों और जिससे कि वह अपना जीवनयापन उसके अनुरूप कर सकें। इसके बाद बरदाचारियर कमीशन उन्होंने बैठाया। उसने भी कहा कि जीवन स्तर को ऊंचा रखने के लिये वेतन उसी के अनुसार मिलना चाहिये और उससे नीचे किसी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जाना चाहिये। मगर श्रीमन्, इस प्रदेश में कुछ भी इस सिलसिले में नहीं किया गया। इन्हीं बातों को लेकर कानपुर के साढ़े तीन लाख कर्मचारियों ने मजाहिरा किया जिसको रोकने के लिये उनके नेताओं को निकाल देने का आदेश देते हुए गुप्त चिट्ठी मुख्य सचिव ने लिखी, मेरे पास उसकी नकल है, उसमें लिखा है कि कलेक्टर साहब, आप ऐसा कीजिये कि एक महीने की नोटिस देकर उनको निकाल दीजिये। भारतीय संविधान की धारा १९(१) देख लीजिये। मजाहिरा करने का, अपने हक की मांग करने का, सभा करने का सबको पूरा अधिकार है। लेकिन उसके बाद भी ऐसे-ऐसे पत्र जाते हैं जिसका असर साढ़े तीन लाख कर्मचारियों पर पड़ता है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जनतंत्र हम चला रहे हैं। किस बात का जनतंत्र सरकार चला रही है। बार-बार सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से चौखम्भा राज की मांग होती है। एक माननीय मंत्री ने कहा था कि चौखम्भा राज की जगह हम तो पांच खम्भा राज बनाने जा रहे हैं। केंद्र, राज्य, जिला, क्षेत्र और गांव का राज। लेकिन इसमें हुआ क्या? जिला स्तर पर कलेक्टर का राज्य है और नीचे उससे दरोगा का राज है। दूसरे किसी का राज नहीं है। चौखम्भा राज्य के संबंध में श्रीमन्, हमने अपने घोषणा पत्र में साफ-साफ लिखा है कि चौखम्भा राज में क्या होना चाहिये। आपकी आज्ञा से मैं सोशलिस्ट पार्टी के घोषणा-पत्र से दो पंक्तियां पढ़कर सुना देना चाहता हूं। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे तीन चार मिनट और दे दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—१३ मिनट आप बोल चुके हैं। दो मिनट आपके और हैं।

श्री उग्रसेन—उसके अलावा दो मिनट और दे दीजियेगा। सबको आपने चार मिनट दिये हैं।

"सरकार और योजना के कुल खर्चे में से एक-चौथाई गांव, जिले और शहर पंचायतों के मार्फत हो। पुलिस मातहत हो गांव शहर और जिला पंचायतों या उनकी किसी एजेंसी के। कलेक्टर का पद खत्म किया जाय और उसके सब काम जिले के विभिन्न तंत्रों को सौंप दिये जायं। प्रशासन में, जहां तक हो सके, नामजदगी के बजाय चुनाव सिद्धांत का इस्तेमाल हो।"

हम यह चौखम्भा राज चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं याद दिलाऊं कि जब हम लोगों ने मांग की कि जिलाधीश का पद तोड़ दिया जाय तो माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी उस समय मुख्य मंत्री थे उन्होंने कहा कि यह प्रश्न विचारणीय है कि जिलाधीश का पद समाप्त किया जाय और उन्होंने यह भी कहा था कि जिलाधीश का पद समाप्त किया जाय तो उसकी जगह पर कौन तंत्र रखा जाय, कौन सी संस्था उसकी जगह रखी जाय, यह भी देखना

होगा। तो इस बात का आश्वासन माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने दिया था। लेकिन वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री जी उसको बिलकुल भूल गये।

एक दिन माननीय राम प्रसाद जी ने यह सवाल उठाया था कि सार्वजनिक प्रशासन में कर्मचारियों की जो तादाद है उसमें पिछड़े वर्ग और हरिजनों की क्या हालत है? श्रीमन्, मैं उसके आंकड़े पढ़ देना चाहता हूं कि उनका क्या प्रतिशत हमारे सामान्य प्रशासन में है। तत्कालीन मुख्य मंत्री सम्पूर्णानन्द जी ने ११ मार्च, सन् १९५९ को इसी सदन में ये आंकड़े दिये थे। ५६, ५७, ५८ और १० मार्च, सन् १९५९ तक के आंकड़े ये हैं। पांच इसमें विभाग हैं। जो बड़े बड़े विभाग हैं, उनके अधिकारी छोटे विभागों के अधिकारी, कलेक्टर सेक्रेटरी और सचिवालय के दूसरे अधिकारी।

जाति के हिसाब से देखा जाय तो पता चलेगा कि ५ प्रमुख विभागों में जाति के लोगों की संख्या कितनी है। यह आंकड़े १० मार्च सन् १९५९ तक के हैं जो माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने यहां पर पेश किये थे। इनमें मेजर हेड के अन्दर ब्राह्मण ६, कायस्थ ५, खत्री ५, राजपूत ४, वैश्य २, ईसाई १, मुसलमान १, पिछड़ी जाति शून्य, हरिजन शून्य। माइनर हेड के अन्दर ब्राह्मण ८, कायस्थ ४, खत्री १, वैश्य २, ईसाई १, मुसलमान १, पिछड़ी जाति शून्य, हरिजन शून्य,। जिलाधीश जाति के आधार पर इस तरह से है। ब्राह्मण १५, कायस्थ ९, खत्री ९, राजपूत ५, वैश्य ५, ईसाई २, जाट २, मुसलमान ४, पिछड़ा वर्ग शून्य, हरिजन शून्य। अब आप आप देखिये कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट कितने हैं। ब्राह्मण ३, कायस्थ ३, खत्री ५, राजपूत १, जाट १, मुसलमान १, पिछड़ा वर्ग शून्य, और हरिजन शून्य। दूसरे सेक्रेटरियट के आफिसर्स कितने हैं वह भी देखें कि ब्राह्मण ४०, कायस्थ १७, खत्री १०, राजपूत २, वैश्य ११, ईसाई ३, जाट २, हरिजन २, मुसलमान १५, सिक्ख १।

(इस समय ३ बजकर २८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अब आप देखें कि जिनकी संख्या इस प्रांत के अन्दर ८५ फीसदी है उन हरिजनों के केवल २ स्थान हैं। यह हमारे यहां सामान्य प्रशासन की हालत है। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री हमसे पैसा मांगते हैं और वह उसको दिया जाता है लेकिन जिनकी संख्या इस प्रांत में ८५ फीसदी है उनको इस सामान्य प्रशासन में कोई स्थान नहीं मिलता है। मुख्य मंत्री जी उनको लेना नहीं चाहते हैं। जो हमारे यहां चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं उनको भी कुछ देने के लिये तैयार नहीं हैं। क्या कारण है कि खर्चा तो नित्य प्रति बढ़ता चला जाता है लेकिन जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बात पर ध्यान देने की कृपा करें। कम से कम मुख्य मंत्री जी इतना तो करें कि जो चपरासियों की संख्या कम कर दी है उनका तो आप कुछ ख्याल करें। मंत्रियों की संख्या तो आपने बढ़ा दी और उनके लिये हर आराम का प्रबन्ध कर दिया लेकिन गरीब चपरासियों की मुसीबत का कोई ध्यान नहीं है। मानवता के आधार पर यह सरकार इस राज्य को चलावे जिससे उनकी मुसीबत कुछ कम हो।

एक बात मैं लोक लेखा समिति के विषय में भी निवेदन करना चाहता हूं। समिति ने सन् १९६० में बहुत सी अनियमितताओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया था। एक मुख्य शिकायत उसने यह की थी कि एक सचिव ने गलती से टरपेंटाइन एन्ड रोजिन फैक्ट्री के दो हजार शेयर जिनकी कीमत १०० रुपया थी उनको ७०० रुपये के हिसाब से बेच दिया था। लोक लेखा समिति ने इस पर एतराज किया लेकिन सरकार ने उस एतराज पर कोई कार्यवाही नहीं की। यदि महालेखापाल की सारी आपत्तियां जो सामान्य प्रशासन की अनियमितताओं से संबंध रखती हैं, मान ली जाती तो फिर उस पर अन्वेषण होता तो कितने बाउचर पर दस्तखत हुये और कितनों पर नहीं हुये ये गलतियां हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में निकलतीं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सही माने में

[श्री उग्रसेन]

समाजवादी राज्य की स्थापना करना है तो कम से कम द्वितीय वेतन कमेटी अवश्य नियुक्त की जाय जैसा कि दूसरे प्रांतों में हुआ है। तभी हम कह सकते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी की बात सरकार ने सुनी है और प्रदेश की सरकार भला करना चाहती है।

विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश हम सब का है। इसका प्रशासन सुचारुरूप से चल सके, यह कर्त्तव्य हम सबका है, इस तरफ बैठने वालों का और उस तरफ बैठने वालों का भी। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने इस अनुदान को पेश करते हुये उस तरफ के साथियों से यह प्रार्थना की थी कि ऐसे सुझाव दें जिससे हमारे इस प्रदेश का शासन सुचारुरूप से चल सके और यहां के गरीब और कमजोर लोग यह महसूस करने लगें कि यहां का शासन ठीक तरह से है। जो यहां पर बहस हुई उसमें मैंने यह देखा कि उस तरफ के लोगों की तरफ से एक ही बात आई और वह यह कि यहां पर खर्चा बहुत ज्यादा है और यहां जो आफिसर्स हैं वह बहुत ज्यादा हैं, काम नहीं करते और जो काम करते हैं वह अच्छी तरह से नहीं करते हैं। इस तरह की बातें आईं। जो यह बजट हमारे सामने है उसमें यदि देखा जाय तो आप देखेंगे कि हमारा जो बजट में ज्यादा खर्चा है वह सबसे ज्यादा खर्चा इस वजह से मालूम होता है कि ५ रुपया महंगाई का भत्ता बढ़ाया गया है। इसमें यह रुपया बढ़ गया है। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया गया है और बार्डर के जिलों पर काफी रुपया खर्च किया गया है। बहुत से साथियों ने कहा कि हमारे अफसरान ठीक तरीके से काम नहीं करते और चुनावों में उन्होंने सरकारी पार्टी की तरफ से हिस्सा लिया है। यदि चुनाव में उन्होंने उस तरफ से हिस्सा लिया होता तो आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहां आ नहीं सकते थे।

दूसरी बात यह कही गयी कि कमिश्नरों की कुछ पोस्टें बढ़ गयी हैं। इस बारे में मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे। हमारे वित्त मंत्री जी ने बतलाया था कि सिवाय दो प्रांतों को छोड़कर और प्रांतों के मुकाबले में हमारा खर्च कम है और नवलकिशोर जी ने बतलाया था कि जो खर्च पहले हुआ करता था वह धीरे-धीरे कम होता गया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—विशेष वेतन बंगाल को छोड़कर हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मुख्य मंत्री जी इस बारे में आपको डिटेल में बतलायेंगे, हमारा परसेंटेज खर्च में कम हुआ है दूसरे प्रांतों के हिसाब से। इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग बराबर उधर से और इधर से की जाती रही है और हमारे बजट का सबसे बड़ा खर्च इसी मद में है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की तनख्वाह २४९ रुपये तक है उनको ५ रुपया एडहाक मंहगाई भत्ता भी दिया गया है। तीसरा बड़ा खर्च बार्डर के जिलों पर होने वाला है। वहां सड़कें और स्कूल्स आदि बनाने का काम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ही होता है। इस प्लान में २८ करोड़ रुपया बार्डर पर खर्च होगा। एक इंटरमीडियेड कालेज चमोली में चल रहा है और पिथौरागढ़ में चार सरकारी कालेज हैं और उत्तर काशी में भी कालेज बन गये हैं। तो बार्डर के जिलों पर इसमें काफी खर्च होना है। मैं यह चाहता हूं कि अधिकारियों की आलोचना के साथ-साथ उनमें जो अच्छे हैं और अच्छा काम करते हैं, उस तरफ के बैठने वालों को उनकी सराहना भी करनी चाहिये। किसी ने भी किसी अधिकारी के अच्छा काम करने की बात नहीं कही। अभी हरिद्वार में कुम्भ मेला हो रहा है और उसके इंतजाम की तारीफ इस प्रदेश में ही नहीं चारों तरफ हुई है। बाहर के अखबारों ने और दूसरे लोगों ने इस कुम्भ मेले की तारीफ की। इसी तरह पर मैं चाहता था कि जहां उस तरफ के लोग हमारी कमजोरियों की शिकायत करें उसके साथ-साथ हमारे अच्छे कामों की उनको तारीफ भी करना चाहिये। अगर आप तारीफ नहीं करेंगे और केवल हमारी बुराइयों की तरफ ही देखते रहेंगे तो प्रदेश का काम नहीं चल सकेगा।

यहां बड़े अजीब सुझाव दिये गये। एक साहब ने कहा कि जो पुलिस है उसे ब्लाक में दे दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह सुझाव जिन लोगों ने दिया है वे भी उसको ठीक नहीं समझते होंगे और अगर पुलिस को ब्लाक में दे दिया जाय तो काम चल भी नहीं सकता क्योंकि कोई क्राइम यहां होता है और कोई वहां होता है। पुलिस का विभाग ऐसा है कि वह ब्लाक में जाकर काम कर ही नहीं पायेगा, उसके कर्मचारी इधर से उधर जाते रहते हैं, उसमें बड़ी परेशानी पैदा हो जायगी।

एक साथी ने सुझाव दिया कि सरयू नदी पर जो पुल बन रहा है उसके बारे में रेलवे से नहीं मिला गया और उनसे मिल जुल-कर उस योजना को नहीं बनाया गया। पता करने पर मालूम हुआ कि रेलवे वालों की कोई स्कीम वहां पर पुल बनाने की थी ही नहीं। यह भी कहा गया कि आपने बिजली वालों से भी नहीं पूछा। यहां भी पता किया गया और मालूम हुआ कि बिजली वाले वहां पर लाइन नहीं बना सकते। उसके लिये तो अलग से लाइन बनानी पड़ेगी।

एक बात यह कही गयी कि जो करेक्टर रोल्स हैं उनको इस तरह से न भरा जाय और उनको खत्म किया जाय। करेक्टर रोल्स में इन्टेग्रिटी सार्टिफिकेट तो लगाना ही पड़ता है और उसमें यह भी लिखना पड़ता है कि उस कर्मचारी का काम कैसा रहा है। अगर वह न हो तो फिर कौन सा पैमाना होगा जिससे यह पता चलेगा कि वह आफिसर अच्छा काम करता था? उसके काम की जानकारी किस प्रकार से होगी? आपने यह सुझाव दिया कि करेक्टर रोल्स के बदले सर्विस रोल रख दिये जायं। मैं पूछता हूं कि क्या करेक्टर रोल्स और सर्विस रोल अलग-अलग चीजें हैं? वे तो एक ही हैं।

और भी अलग-अलग सुझाव दिये गये हैं जिनके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जो कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है उसे माननीय सदस्य वापस ले लें और हमारे अनुदान को पास करें।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इस सामान्य प्रशासन के संबंध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, दो दिन की बहस में सभी माननीय सदस्यों के भाषणों में यह ध्वनि निकली कि प्रशासन ढीला है। अतः सदन का और विशेषकर सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उसको सही दिशा में कैसे लाया जाय, उसके लिये कौन से मुनासिब कदम उठायें। आज की परिस्थितियों को देखते हुये इस बात की आवश्यकता है कि प्रशासन में कुछ मौलिक परिवर्तन किये जायं और उसके अनुसार ही उसका स्वरूप हो। तभी हमारे प्रदेश का प्रशासन ठीक हो सकता है। आज हमारे प्रदेश के शासन का स्वरूप वही है जो सन् १९४७ के पूर्व था। अगर आज हमारे कार्य करने का वही पुराना दृष्टिकोण रहता है तो हमारी योजना सफल नहीं हो सकतीं, हमारा काम सफल नहीं हो सकता। आज प्रजातंत्र के युग में, इन योजनाओं के काल में, हमारे प्रशासन का गठन, उसका स्वरूप, और दृष्टिकोण बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ही होना चाहिये और मुख्य-मुख्य पहलुओं को विशेष किस्म की ट्रेनिंग की आवश्यकता है।

आज इस बात की शिकायत की जाती है कि योजनाओं को सफल बनाने के लिये जनता का सहयोग नहीं मिलता। प्रश्न यह है कि जनता का सहयोग कैसे मिले? जनता का सहयोग मंत्रिमंडल को बढ़ाने से नहीं मिलेगा। जनता का सहयोग मुख्य मंत्री जी के सदन में भाषण करने से नहीं मिल सकता। जनता का सहयोग कौन प्राप्त करता है, किसके जरिये से प्राप्त होता है और उसमें क्या कमियां हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये उस नौकरशाही को ठीक करना होगा जो मौके पर काम करती है उस नौकरशाही को आज की परिस्थितियों के अनुरूप बनाना होगा जो जनता के बीच काम करती है, उसके लिये उनको विशेष ट्रेनिंग देना आवश्यक है और उनका दृष्टिकोण बदलने की जरू-

[श्री भीखालाल]

रत है ताकि वह जनता का सहयोग प्राप्त कर सकें । मेरा सुझाव है कि सरकार ऐसा रास्ता निकाले, एक कमेटी का निर्माण करे जो बताये कि प्रशासन में किस किस्म की तबदीलियां की जायं किस प्रकार ट्रेनिंग दी जाय जो उनकी विचारधारा और दृष्टिकोण को बदल सके, जिससे यह समझें कि वह अफसर नहीं हैं, जनता के सेवक हैं, हमारे देश में नियोजन के एक स्थायी रूप धारण करने की सम्भावना है क्योंकि आज की दुनियां के जो आगे बढ़े हुए देश है वहां भी नियोजन स्थायी रूप से चलाया जा रहा है । इसलिये हमारे दश और पिछड़े हुए इस प्रदेश में योजनाओं को लागू करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है । ऐसी हालत में इस कार्य को सफलीभूत बनाने के लिये यह आवश्यक है कि हमको विशेष नियोजन सर्विस का निर्माण करना चाहिये । हमने पुलिस के लिये, इंजीनियरिंग के लिये और दूसरी चीजों के लिये ऐसा किया है तो हमें योजनाओं के लिये विशेष सर्विसेज का निर्माण करना चाहिये ताकि उनको विशेष ट्रेनिंग देकर योजना कार्य को उनसे कार्यान्वित कराया जा सके ।

आज नौकरशाही में जो कार्य-क्षमता घटती जा रही है और प्रशासन ढीला होता जा रहा है उसके कारण अनेक हैं परन्तु समय का कभी के कारण विस्तार में न जाकर केवल एक की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । नीति निर्धारित करना और उसको अमल में लाना दो अलग-अलग प्रश्न हैं । नीति निर्धारण के प्रश्न पर ही अगर सरकार नौकरशाही के सामने घुटने टेक दे तो यह प्रजातंत्र और प्रशासन के लिये बहुत खतरनाक चीज है । जब पालिसीज को अमल में लाने का प्रश्न हो और प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने का प्रश्न हो जो प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी है उसमें अगर सरकार और उसकी पार्टी के लोग दखलअन्दाजी करें तो यह बड़ी खतरनाक चीज है । मैं एक मिसाल देकर इसकी पुष्टि करना चाहता हूं । जब संपूर्णानन्द जी मुख्यमंत्री थे और जिला परिषद् विधेयक का मसविदा तैयार हो रहा था उस समय उनका मत था कि परिषदों में सीधे चुनाव से आने वालों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन हमारे प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनका सुझाव था कि परिषदों में इनडायरेक्ट चुनाव से जो आयें उनकी संख्या ज्यादा हो । अन्त में यही हुआ कि संपूर्ण कैबिनेट को उस नौकरशाही के सामने घुटने टेकने पड़े और चीफ सेक्रेटरी की बात मानी गयी । इससे नौकरशाही को बल मिलता है । सरकारी पक्ष के लोगों की व मंत्रिमंडल के लोगों की प्रशासन के छोटे-छोटे कामों तक में दखलअन्दाजी खतरनाक चीज है ।

उपमंत्री शान्तिप्रपन्न शर्मा कह रहे थे कि आक्षेप लगाया गया कि जिला अधिकारियों ने इलेक्शन में कांग्रेस का साथ दिया । तो क्या यह सच नहीं कि सरकार ने जिला अधिकारियों से कानफिडेंश्यली पूछा है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमे कांग्रेस जीत सकती है, किसमें नहीं जीत सकती है और कौन ऐसे तरीके अपनाये जायं जिसमें कांग्रेस मजबूत हो । जब नौकरशाही से कांग्रेस को जिताने उसे मजबूत करने के तरीके पछे जाते हैं और उन्हें पार्टी के हित में प्रयोग किया जाता है तो क्या यह भष्टाचार नहीं है और अधिकारियों को भ्रष्ट करने में सरकार जिम्मेदार नहीं हैं । इस तरह से नौकरशाही अवश्य भ्रष्ट होगी । काउंसिल के चुनावों की बात आई, अभी-अभी जिला अधिकारियों से वोट डलवाये गये, असेम्बली में प्रश्न उठाया गया । तो यह तरीका है जिस तरह से आज के प्रशासन में दखल देकर पार्टी के हित में उनको इस्तेमाल किया जाता है और उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है । तो इन सब चीजों, मौलिक चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये ।

समय कम है इसलिये ज्यादा न कहकर एक ही बात और कहना चाहता हूं । कल एक माननीय सदस्य महादेव प्रसाद जी वर्मा ने आंकड़े पेश किये कि आज प्रशासन में पिछड़ी जातियों और हरिजनों की जितनी संख्या होनी चाहिये उतनी संख्या नहीं है । सही बात है । आज हरिजनों के लिये विधान के अनुसार जितना प्रितिनिधित्व होना चाहिये उतना सरकारी नौकरियों में नहीं है, पिछड़ी जातियों की संख्या भी बहुत कम है । एक माननीय सदस्य,

उन्नाव जिले के जो इस समय यहां नहीं हैं, उनको बड़ी आपत्ति हुई और उन्होंने कहा कि इस किस्म का सवाल सदन में उठाना अच्छा नहीं है और उन्होंने कारण भी बतलाया कि सवर्ण जातियों ने स्वतन्त्रता की लड़ाई में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। इसलिये अगर उनको सरकारी नौकरियों में अधिक स्थान प्राप्त हैं तो कोई बेजा बात नहीं है। उन्होंने आंकड़े नहीं पेश किये कि स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने वालों में हरिजनों का कितना प्रतिशत था और अन्य लोगों का कितना प्रतिशत था वरना बात साफ हो जाती। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या आजादी की लड़ाई में, महात्मा गांधी के आन्दोलन के पीछे किसान मजदूर, हरिजन और पिछड़े लोग नहीं थे जिन्होंने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। तो यहां पर इस तरह का सवाल उठाना उचित नहीं है। यह कह देना काफी नहीं है कि हरिजनों में नौकरियों के लिये योग्य आदमी नहीं मिलते। पहले अंग्रेज भी यही कहा करते थे कि हिन्दुस्तानी इस योग्य नहीं हैं कि उनको फौज में की पोस्टों पर रखा जाय लेकिन सन् ४७ के बाद वह योग्य हो गये और सारा काम चला रहे हैं। आज वही बात हरिजनों के लिये इस सरकार द्वारा कही जाती है कि वह इस योग्य नहीं हैं कि उनको ऐसी जगहों पर रखा जाय। सदन में रोज प्रश्न उठते हैं कि ऐसी जगहों पर जहां न्यूनतम योग्यता की जरूरत हो और यहां तक कि चपरासियों की जगहों पर, परसेन्टेज पूरा नहीं हो सकता। जो लोग चुनाव का काम करते हैं, सेलेक्शन करते हैं या नौकरियों में भर्ती करते हैं आज उनके दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। अगर मैं यह कहूं कि हरिजनों के साथ सौतेले बेटे का सा व्योहार होता है तो बेजा न होगा। हमारे जिले में पिछले अक्तूबर में १५ क्लर्कों का चुनाव हुआ जिसमें १३ सवर्ण और २ हरिजन थे। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि १५ में से १३ के एप्वाइन्टमेन्ट तो हो गये लेकिन दो हरिजनों के एप्वाइन्टमेन्ट अभी तक नहीं हो पाये है। उनके संबंध में अयोग्यता का दोष तो लगाया नहीं जा सकता क्योंकि वह चुन लिये गये हैं तो फिर क्यों नहीं उनका एप्वाइटमेन्ट किया गया? तो आज दृष्टिकोण में जरूर फर्क है, पक्षपात है जिसको मिटाने के लिये सरकार को ध्यान देना चाहिये। सदन में खाली कह देना कि हमको योग्यता के आदमी नहीं मिलते इससे काम नहीं चल सकता। इस मसले की गहराई तक जाना चाहिये और अमली कदम उठाना चाहिये तभी हमारे प्रदेश की व्यवस्था ठीक हो सकती है, प्रशासन ठीक हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द (जिला झांसी)––माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सामान्य प्रशासन पर विरोधी दल की ओर से जो भाषण हुये हैं उन्हें सुनने का मुझे अवसर मिला। मुझे अत्यंत दुख है कि इन भाषणों में एक बात का प्रयत्न किया गया है और वह यह है कि मंत्रिमंडल और ब्यूरोक्रैसी अथवा नौकरशाही या अधिकारी और कर्मचारियों के बीच एक बारीक दराज डालने की कोशिश की गई है। श्रीमन्, यह कहा जा रहा है कि इस प्रदेश की नौकरशाही बहुत योग्य है, उसमें बहुत क्षमता है, उसमें कार्य करने की शक्ति है किन्तु यह मंत्रिमंडल और खासतौर से माननीय मुख्य मंत्री नौकरशाही को कार्य करने की सुविधा प्रदान नहीं कर रहे हैं। श्रीमन्, मुझे अत्यन्त खेद है कि ऐसे सदस्य हैं, जो प्रजातंत्र में आस्था रखते हैं, जो इस देश के भविष्य में आस्था रखते हैं, शान्तिपूर्ण ढंग से सरकार के निर्माण में और सरकार के बदलने में आस्था रखते हैं, वे इस सदन में यहां आकर यह बराबर कहें, चुने हुए प्रतिनिधि यह कहें, चाहे वे इस तरफ के बैठने वाले हों, अथवा उस तरफ के बैठने वाले हों, कि मंत्रिमंडल में अथवा चुने हुए लोगों में क्षमता की कमी है, इन्टीग्रिटी की कमी है, निष्पक्षता की कमी है लेकिन जो व्यक्ति कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो एक दूसरी ही फिजा में पले हैं, वातावरण में पले हैं, जिन्होंने दूसरे ही स्वप्न देखे हैं, दूसरी ही कल्पनायें की हैं, उनमें अधिक इन्टीग्रिटी है, अधिक क्षमता है, योग्यता है। मैं उस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूं कि अगर इसी प्रकार से केवल आलोचना के लिये ही आलोचना की जाती रही, अथवा केवल आलोचना के अर्थ ही विवाद किया गया तो उसके बहुत से खतरनाक परिणाम हो सकते हैं।

[श्री कृष्णचन्द]

इस नियोजन के काल में जो आज बहुत सी पारस्परिक विरोधी बातें पैदा हो रही हैं उनका कारण यह है कि नियोजन को रूप देने वाला होता है मंत्रिमंडल, और उसको कार्यान्वित करने वाली होती है नौकरशाही। यही कारण है कि नौकरशाही उस सारी कल्पना को साकार रूप प्रदान करने में असमर्थ रहती है और उस कल्पना को कार्यान्वित नहीं कर पाती जिसको गैर सरकारी मंत्रिमंडल, प्लानिंग कमीशन सोचता है अथवा उसको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करता है और इसीलिये ये पारस्परिक विरोधी बातें पैदा हो रही हैं। यह उसी समय तक चलेगा जब तक हम उस स्तर पर पहुंच नहीं जाते हैं। जैसा कि उस दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि समाजवादी समाज जब बन जायगा तो यह स्टेज ही खत्म हो जायगा। इसी प्रकार जब कल्याणकारी राज्य बन जायगा तो राज्य ही खत्म हो जायगा। जब हम उस स्तर पर पहुंच जायेंगे तो उनकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

आज हमें शिकायत है कि नौकरशाही के हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति दी जा रही है। हमें यह शिकायत नहीं है कि मंत्रिमंडल उसके कार्य में हस्तक्षेप करता है। हमें तो शिकायत यह है कि मंत्रिमंडल उसके अनुचित कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है और इसी प्रकार से नौकरशाही मंत्रिमंडल से शक्तिशाली होती जा रही है। जिला स्तर पर जिलाधीश के हाथ में अधिक शक्ति दी जा रही है। सम्पूर्ण प्रशासन का अधिकारी जिलाधीश को बनाया जा रहा है और बना दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से एक व्यक्ति के साथ में सम्पूर्ण शक्ति का दिया जाना खतरे से खाली नहीं है। यद्यपि हम जनतंत्र के ढांचे के अन्तर्गत रहते हैं लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में सम्पूर्ण शक्ति पहुंच जायगी तो किसी भी समय तानाशाही के बीज पैदा हो सकते हैं। इसलिये हम इस बात से मतभेद रखते हैं। अभी एक विरोधी दल के भाई ने कहा कि सरकार नीति को बनाये लेकिन उसको अधिकारीवर्ग को कार्यान्वित करने दे और सरकार उसमें हस्तक्षेप न करे। मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं क्योंकि यह सरकार तो चुन कर आयी है, उसको नीति तो बनाना ही चाहिये किन्तु उस नीति को कार्यान्वित करने के संबंध में अगर सरकार देखे कि उसको ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, उस नीति को ठीक तरह से स्वरूप नहीं दिया जाता है, तो मैं कहता हूं कि सरकार अवश्य ही हस्तक्षेप करे और उस नीति को ठीक तरह से कार्यान्वित करने के लिये प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को विवश करे। यह उसका फर्ज है।

दूसरी बात मैं मंत्रिमंडल के संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं। मंत्रिमंडल के निर्माण और उसके विस्तार के संबंध में इस सदन में और बाहर और अखबारों में इतना कहा गया है कि मेरी समझ में अब उस संबंध में ज्यादा टीका की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह बात मैं जरूर कहना चाहता हूं और मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ वह ठीक हुआ लेकिन इससे निश्चित रूप से ऐसे प्रशासन में मदद मिलनी चाहिये जो स्वस्थ हो, अच्छा हो, ईमानदार हो। इसलिये यह जरूरी है कि जब हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया है तो उनको निश्चित काम सौंपे जाने चाहिये और मंत्रियों, सभासचिवों और उपमंत्रियों को कम से कम दो दो तीन तीन जिले सौंप दिये जायं जहां के प्रशासन का वे निरीक्षण करें। मेरा यह निश्चित सुझाव है कि यदि मंत्रियों, सभा सचिवों व उप मंत्रियों कि को दो-दो तीन-तीन जिले सौंप दिये जायं और असेम्बली के बाद वे अधिक समय उन जिलों में ही रहने का कष्ट करें तो मेरा यह विश्वास है कि जो आज शिकायत है उन शिकायतों में निश्चित रूप से कमी होगी।

तीसरा सुझाव मैं अपने क्षेत्र के बारे में देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ललित पुर सब-डिवीजन को जिला बनाने की कृपा करें। ललितपुर सब-डिवीजन बहुत पहले जिला था। आज वह झांसी जिले का एक हिस्सा हो गया है। झांसी जिले का आधा हिस्सा तो ललितपुर सब-डिवीजन ही है। अगर झांसी से चला जाय तो १३० मील की दूरी पर ललित पुर सब-डिवीजन का आखिरी सिरा है। वहां के लोगों ने बार-बार इस बात की कोशिश की है कि ललितपुर सब-डिवीजन को जिला बना दिया जाय।

वहां के लोग आवाज उठाते हैं कि चूंकि प्रशासन ठीक नहीं हो रहा है, चूंकि वहां सुरक्षा की सुविधा नहीं है, इसलिये इस टुकड़े को मध्य प्रदेश में मिला दिया जाय। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि उस हिस्से की विशेष परिस्थिति को देख कर, वहां की सुरक्षा साधनों की कमी को देख कर, वहां के विस्तार को देख कर, वहां की समस्याओं की गम्भीरता को देख कर, आप इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और ललितपुर सब-डिवीजन को जिला बना दें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज और कल दो दिनों से यह विवाद चल रहा है और मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जो इधर बैठे हैं, या उधर बैठे हैं, जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया। श्रीमन्, साधारणतः एक बात मैंने सब के विचारों में बहुत कामन पायी और अपने-अपने शब्दों में अपने-अपने ढंग से सबने उसी बात को कहा कि प्रशासन बहुत ढीला है, प्रशासन में गड़बड़ियां हैं। मैं अपने मुख्य मंत्री का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि यह नितान्त सत्य है कि प्रान्त का प्रशासन राजनीति के प्रश्न से और पार्टी के प्रश्न से ऊपर है। प्रांत का प्रशासन ठीक रहने पर प्रान्त की स्थिति भी ठीक रहेगी। राजनीतिक पार्टियां और व्यक्ति आते जाते रहते हैं लेकिन प्रान्त एक ऐसी ईकाई है जो स्थिर रहेगी। तो इस ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिये और मैं यह भी जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अगर, प्रयास करेंगे तो निश्चित इस प्रांत के प्रशासन की ढिलाई को वे दूर कर सकते हैं। परन्तु उस प्रयास के लिये आवश्यक है कि माननीय मुख्य मंत्री जी डिटैच होकर विचार करें। सब्जेक्टिव विचार की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना आब्जेक्टिव विचार की। जब इसी सदन में स्पष्टरूप से यह आरोप लगाया गया है कि एक आफिसर से एक सज्जन ने कहा कि हम तुम्हें कलेक्टर बनवा देंगे, एलेक्शन में हमारी मदद करो जिसका कि रिबटल आजतक उधर से नहीं हुआ है तो यह इस बात का द्योतक है कि आफिसरों को राजनीति में खींचा जा रहा है। इसको आप भगवान के लिये समाप्त करें। आज भले ही आपको इससे लाभ हो परन्तु दुनिया के हर देश का इतिहास इसका साक्षी है और उसकी यही सीख है कि अधिकारियों को जिस समय सत्ता का आनन्द प्राप्त हुआ तो एक दिन वे जनतंत्र को समाप्त करके फिर अपने तानाशाही रूप में आ जायेंगे। आपको आज अच्छा लग सकता है परन्तु यह आपके, हमारे लिये और देश के जनतंत्र के लिये बड़ा घातक है। अमेरिका के जो स्प्वायल्स स्कीम है हम आप इस प्रदेश में उसको न लावें क्योंकि एक प्रकार से आज जन-साधारण में यह विश्वास जम गया है कि ऐसा है और अनुभव के कारण वह है। जैसा कि हमारे स्वतंत्र पार्टी के नेता राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी ने कहा था कि आज अधिकारियों के मन में यह भाव आया हुआ है कि अगर हमें नौकरी में बढ़ना है तो सत्तारूढ़ दल की इच्छा के अनुरूप चलना होगा। जो जो जितना ज्यादा उसकी इच्छा के अनुरूप चलेगा उसको उतना ही अधिक अधिकार मिलेगा और यह स्प्वायल्स स्कीम है। इसको आप समाप्त कर दें। मैं किसी दलगत स्वार्थ की दृष्टि से गोंडा का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता परन्तु आपके अधिकारियों के अन्दर भी कई ऐसे हैं जिनसे मैंने जब प्रश्न किया कि गोंडा के अन्दर आपने यह क्या किया तो कुछ अच्छे लोग उनमें हैं जो सरविसेज की ट्रेडीशंस के बारे में विचार करना चाहते हैं, तो उन सबने यह कहा कि हमारा मस्तिष्क झुक जाता है जब हम उसके बारे में सोचते हैं। तो मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गोंडा पार्लियामेंटरी एलेक्शन में जो सारा तमाशा हुआ वह किसकी गलती से और क्यों हुआ परन्तु उससे लोगों के मन के अन्दर एक भाव जम गया। उस भाव के निराकरण की आवश्यकता है। उसके निराकरण के लिये जो भी उचित उपाय मुख्य मंत्री जी समझें जिससे जनता के अन्दर, प्रशासन के ऊपर और उसके द्वारा चालित कार्यों के ऊपर विश्वास जम सके वह उपाय कीजिये और कोई कदम उस ओर अवश्य उठाइये।

श्रीमन्, एक निवेदन मैं मुख्य मंत्री जी से और करूंगा कि जनतंत्र की आत्मा है चुनाव। उसकी निष्पक्षता के लिये आवश्यक है कि एलेक्शन कमीशन पर और एलेक्शन की जो भी मशीनरी

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

है वह सब एक्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होनी चाहिये। एक्जीक्यूटिव के डिपेंडेंस में वह नहीं होनी चाहिये। आज जो उसकी एक सांध्य-कालीन अवस्था है, यह अवस्था समाप्त होनी चाहिये जिससे लोगों में एलेक्शन के प्रति आस्था हो, उसमें विश्वास हो सके।

बहुत बार इस सदन में बैलेट पेपर्स की गड़बड़ी की बात कही गयी। बैलेट पेपर्स अपने स्थान पर न हो कर दूसरे स्थान पर पाये गये और इससे लोगों के मन में शक होना स्वाभाविक है। इसलिय मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी का ध्यान अवश्य आकृष्ट करूंगा कि इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

डिसेंट्रलाइजेशन का बड़ा नारा लगाया गया है। ठीक है विकेन्द्रीकरण हो। किन्तु उसकी दृष्टि से जो भी पग अब तक उठाये गये हैं वे केवल पग मात्र रहे हैं। वास्तविक विकन्द्रीकरण तो तब होगा जब जिसको रिपाजिटरी आफ पावर कहते हैं, मुझे क्षमा करेंगे कि जल्दी में इसके लिये हिन्दी शब्द में नहीं सोच पा रहा हूं लेकिन रिपाजिटरी आफ पावर के स्थान पर स्थान की दृष्टि से आपकी दृष्टि पहुंचे। इस दृष्टि से पंचायतों को, म्यूनिसिपल बोर्ड्स को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को और कारपोरेशंस को ले लीजिये। मैं जानता हूं कि ग्राम में प्रमुखों को चुना गया है परन्तु उसके स्थान पर वहां किसका प्रभाव है। आज पंचायतों में उसका वह स्थान नहीं है जितना गांव में एस०डी०ओज० का है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को ले लीजिये। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सब अधिकार उसमें है, उसके सदस्यों के नहीं। कारपोरेशंस में तो मुख्य नगराधिकारी है। तो यह तो वही तमाशा है कि चीफ मिनिस्टर को तो जनता चुने लेकिन चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार लाकर उनके सिर पर बैठा दें। यह जो कारपोरेशन का रूप खड़ा किया है उसमें आपने क्या ब्यूरोक्रेसी को मजबूत नहीं किया? आपने जनप्रतिनिधियों को कहां मजबूत किया। इसलिये मेरा यह इस विषय में सुझाव है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इतना करें कि जैसे म्युनिसिपैलिटीज का सुपरसेशन है यह कार्य वह अधिकारी की रिपोर्ट पर स्वयं न करें बल्कि तुरन्त इस का निर्णय जनता करे। आप फौरन उन आरोपों को जनता के सामने रखकर एलेक्शन करायें। जनता अगर आरोप सही होंगे तो उन को हटा देगी। अभी तक जो सुपरसेशन होता है उसका आधार वहां के अधिकारियों की सिफारिश और रिपोर्ट ही होती है, यह प्रथा समाप्त होनी चाहिये। इस का सबूत यह है कि जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज का सुपरसेशन हुआ है और उसके खिलाफ रिट हुये हैं। उन में करीब करीब सभी में फैसले सरकार के खिलाफ हुये हैं। यह इस बात का द्योतक है कि गलत कार्यवाहियां होती हैं। सरकारी कर्मचारियों और प्रशासन को दलगत स्वार्थों की दृष्टि से अपने अधिकारों का प्रयोग न करना चाहिये। मैं मानता हूं कि पावर का एक मद होता है लेकिन जनतंत्र में उसकी सीमा होनी चाहिये और स्वस्थ जनतन्त्र की परम्पराओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिये। वह उल्लंघन संख्या के बल पर हम न करें और नियमों को तोड़ मरोड़ कर अपने विशेष हितों के लिये अपने काम में लाना बहुत ही अनुचित है। इस दृष्टि से मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी विचार करें और अगर ऐसा न किया गया तो विकेन्द्रीकरण के कोई माने न होंगे और भारत का जनतंत्र भी सीरिया और मिडिल ईस्ट के जनतंत्र की तरह नष्ट हो जायगा।

सेपरेशन आफ जूडिशियरी ऐन्ड एग्जिक्यूटिव होना चाहिये। ठीक है कि इस दिशा में कदम उठाकर आपने कुछ जुडीशियल आफिसर्स रखे हैं, अच्छा ही किया लेकिन उनकी जो नकेल है, उनका जो कैरेक्टर रोल है, उन की छुट्टी, लीव वगैरह सब कलेक्टर के अधीन हैं। क्यों यह सब हाईकोर्ट के अधीन नहीं किया जाता? आप कहेंगे कि हम धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे चलने के माने क्या यह नहीं हैं कि आप अपनी चाल घोंघे से भी कम कर दें। यह आवश्यक है कि फौरन आप उन जुडीशियल आफिसर्स को हाईकोर्ट के अन्डर सम्पूर्णतः कर दें। उनके सारे सर्विस कानडक्ट, कैरेक्टर रोल, लीव आदि के तमाम विषय हाईकोर्ट के सुपुर्द कर दें।

इसके अतिरिक्त आप ने कलेक्टर को जो सार्वभौम सत्तासम्पन्न और शक्तिशाली व्यक्ति बना रखा है उस के वह अधिकार कम किये जायं। उसका जो आज रूप है वह नहीं होना चाहिये क्योंकि जब आप विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं तो उसकी सत्ता भी कम होनी चाहिये लेकिन ऐसा न होकर विकेन्द्रीकरण के नाम पर कलेक्टर की शक्ति और केन्द्रीभूत होती जाती है। यह एक बड़ा भारी दोष है प्रशासन का जिस को ठीक होना चाहिये।

इसके अलावा भारत सरकार का ह्विटले कौंसिल्स का जो प्रस्ताव था उस के अनुसार इस प्रदेश में सरकार को भी बनाना चाहिये थी। कभी-कभी अधिकारियों पर चार्जेज लगते हैं कि बड़ा फेवरिटिज्म और नेपोटिज्म हो रहा है और उससे उन की सीक्योरिटी आफ सर्विस भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिये जरूरी है कि सरकार का भी ठीक से काम चले और कर्मचारियों के मन में भी भय न हो कि उन के मामलों को ट्विस्ट किया जायगा और प्रशासन अपने हित में ट्विस्ट करेगा, इस सब को दूर करने के लिये यह जरूरी है कि ह्विटले कौंसिल्स बनाई जायं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि वह बनाई जायंगी और मेरे कटौती के प्रस्ताव को सदन स्वीकार करेगा। मुझे विश्वास है कि यह प्रशासन सब का है, इसमें पार्टी का प्रश्न नहीं है और हम सब को निष्पक्ष रूप से इस पर विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—एक सूचना मैं दे दूं, कि इस सदन की बैठक सवा ५ बजे तक या अगर इससे पूर्व कार्यवाही समाप्त हो गई तो उस वक्त तक चलेगी। उस वक्त तक माननीय सदस्य बैठें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं अपना आभार प्रकट करता हूं माननीय नेता विरोधी दल का और अन्य इस सदन के सदस्यों का उनके उन सुझावों के लिए जो उन्होंने इस सामान्य प्रशासन अनुदान की मांग प्रस्तुत करने के उपरान्त सदन में चलेगी। उस वक्त तक प्रस्तुत किये हैं। मैं विभिन्न दलों के नेताओं का आभारी हूं कि उन्होंने अपने विचारों को एक उच्च स्तर पर रखकर इस सदन में रखने की चेष्टा की। भले ही मेरे और उनके विचारों में अन्तर हो, परन्तु विचारों को एक ढंग से नियंत्रित भाषा में यदि व्यक्त किया जाता है तो उससे सदन की मर्यादा बढ़ती है, उत्तरोत्तर उसके गौरव को बढ़ाने में हम सहायक सिद्ध होते हैं। इस कारण से मैं ऐसा समझता हूं कि अब की इस अवसर पर सामान्य प्रशासन के बजट के ऊपर बहस करते समय सामान्यतः और अधिकांश माननीय सदस्यों ने नियंत्रित भाषा का प्रयोग किया और इस तरह से सदन की मर्यादा को स्थापित रखने में हमारी सहायता की। यह मेरा दुर्भाग्य है कि सामान्य प्रशासन बजट के सिलसिले में जिस दृष्टिकोण को माननीय सदस्यों को और मुख्यतः विरोधी दल के नेता को प्रस्तुत करना चाहिये था मेरे विचार से वह बात सदन में प्रस्तुत नहीं की गई है।

बराबर इस बात को कहा गया कि शासन ढीला हो रहा है और शासन में अधिकारीगण अधिक अधिकार बरतने लगे हैं, वे अपने जिम्मेदारियों को ठीक तरह से बरतते नहीं हैं और जनता के हितों की रक्षा नहीं करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि यह कथन वास्तविकता से काफी मात्रा में परे हैं। यही सामान्य प्रशासन का बजट कुम्भ के मेले से भी सम्बन्ध रखता है। इस वर्ष का कुम्भ और उसका इंतजाम जिस तरह से हुआ जहां तक मुझे ज्ञात है, जहां तक मेरे पास पत्र आये हैं, जहां तक विदेशियों के पत्र आये हैं, केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के पत्र आये हैं और जहां तक मुझे जानने का और लोगों से विचार-विनिमय करने का अवसर मिला है कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने वहां के इंतजाम की प्रशंसा न की हो, जिसने भूरि भूरि इस बात को दोहराया न हो कि अधिकारियों ने बड़ी मेहनत से काम किया, लगन से काम किया, बड़ी ईमानदारी से काम किया, सेवा भावना से काम किया और सेवा भावना से काम करके एक आदर्श सेवक का देश और प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया। हममें से कौन नहीं जानता, जिसे हरद्वार जाने का अवसर मिला है कि इस साल अधिकारियों ने अपूर्व ढंग और मेहनत से काम किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

वही आई० ए० एस० आफिसर्स पहले इन मेलों का संचालन करते थे और इस वर्ष के वही आई०. ए० एस० जो मेले के आफिसर्स थे उन्होंने जिस उमंग और उत्साह के साथ कार्य किया, उसकी यहां प्रशंसा होनी चाहिये थी । उसके विषय में सदन के सदस्यों को चर्चा करनी चाहिये थी । ऐसे व्यक्ति जो सेवा की भावना से ३०, ३० और ३६, ३६ घंटे पानी में खड़े रहकर कार्य कर सकते हैं और रात भर बैठ कर मेले का संचालन करते हैं, किस भावना का परिचय देते हैं ? क्या वह उच्च भावना तथा उच्च आदर्श का परिचय नहीं है ? जिस आदर्श की मांग सदन के साथी सदस्य अधिकारियों से करते हैं क्या यह उस आदर्श का परिचय नहीं है ? फिर वे अधिकारी जो रात दिन जाग कर साम्प्रदायिक दंगों को दबा देते हैं, ४, ५ रोज में और उस आग को जो सारे प्रदेश में फैलने जा रही हो उसे ४, ५ रोज में अपने प्रभाव से, अपनी मेहनत से दिन रात कार्य करके हमारी नजरों से ओझल कर देते हैं तो वे किस बात का परिचय देते हैं ? क्या वे इस बात का परिचय नहीं देते कि वे अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और समाज के प्रति सेवा की भावना रखते हुये सेवा के कार्य में अपने को लगाते हैं ? आज इन तमाम बातों के रहते हुये चर्चा इसबात की सदन में की जाती है कि प्रशासन ढीला हो रहा है । तो क्या यह प्रशासन के ढीले होने की बातें हैं कि अधिकारी उत्तम ढंग से, ईमानदारी से, जुट करके, मेहनत से काम करें, अपने फर्ज की अदायगी घंटों और दिनों मेहनत के साथ निभायें ? अलीगढ़, मेरठ, चन्दौसी, मुरादाबाद में झगड़े हुये । किस तत्परता से अधिकारियों ने, किस तत्परता से जिलाधीश ने तथा पुलिस के साथियों ने उन दंगों को दबाया । रात रात जाग कर उन दंगों को दबाने की चेष्टा की और प्रदेश में उस आग को फैलने नहीं दिया जो आग कि प्रदेश में फैल जाती तो हम अपने बीच में फिर से उस वातावरण की पुनरावृत्ति होते हुये देखते जिस पुनरावृत्ति ने पहले जमाने में देश को कमजोर किया, दूसरे की नजर में हमको गिराया और हमारे मन में से एकता की भावना को हटाया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विरोधी दल के साथी यह कहते हैं कि प्रशासन ढीला हो रहा है, मैं उनसे नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि वे वास्तविकता की तरफ नजर डालें । वे असलियत की तरफ नजर डालें । ऐसा कहने को मैं तैयार नहीं कि सारे अधिकारी उन्हीं आदर्शों से ओतप्रोत हैं, उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हैं जिन भावनाओं तथा आदर्श से ओतप्रोत होते हुये हम उनको देखना चाहते हैं । लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि अधिकांशतः आज अधिकारियों के विचारों में, दृष्टकोण में, उत्तरोत्तर परिवर्तन होता जा रहा है और वह होना भी चाहिये, क्योंकि आज अधिकारी भी जो ऊंचे स्थान पर बैठा है वह भी इस देश का नागरिक है । उसे भी अपने बच्चों के प्रति, अपनी औलाद के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना है । इस देश का यदि निर्माण करना है, भविष्य को गौरवमय और उज्ज्वलमय बनाना है तो उसके लिये उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि हम में से किसी एक की है जो इस सदन में जनता के प्रतिनिधि के रूप में बैठा है और जनता की भावना को यहां व्यक्त करना चाहता है ।

आखिर हमारे अधिकारीगण हैं कौन ? यह ब्यूरोक्रेसी जिसकी बराबर चर्चा की जाती है वह है कहां ? वह उन्हीं व्यक्तियों से बनी हैं जिन्हें विश्वविद्यालयों में शिक्षा मिली है और उत्तम शिक्षा मिली है । जो विश्वविद्यालय के हाइएस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स है, वही अधिकारी हैं और वही इस ब्यूरोक्रेसी के अंग हैं । ये आज के बदले हुये वातावरण में अगर बदले हुए दिखाई देते हैं तो अचम्भे की बात नहीं है । यह कौन कह सकता है कि आज से २० वर्ष पहले के अधिकारी जितने तरह से कार्य करते थे और जिस प्रकार से अपने उत्तरदायित्व को देश के प्रति निभाते थे उसी प्रकार से आज भी वे अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं ? क्या नव-युवक अधिकारियों के विचारों मे आज परिवर्तन नहीं है और उनके आदर्शों में अन्तर नहीं है ? यदि हम आज इसको स्वीकार करने के लिये उद्यत नहीं है तो जैसा मैंने कहा, हम वास्तविकता को अपनी नजरों से ओझल रखना चाहते हैं । हमारे अधिकारियों में उत्तरोत्तर यह भावना

पैदा होती जा रही है और वह भावना बढ़ेगी, उसमें परिवर्तन होगा, वह प्रगतिशील बनेगी । जितनी मात्रा में हम जो सार्वजनिक नेता है वह काम करते हैं । हां उतनी मात्रा में वे अपने आदर्शों से उन व्यक्तियों को अनुप्रेरित करते हैं उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करते हैं क्योंकि अधिकारी गण भी आज जिस समाज के अंग हैं उसमें जो वातावरण फैला हुआ है वह उनके उपर असर डालता है और आज यह कहना कि ब्यूरोक्रेसी राज्य करती है, वह हमारी नीतियों का भी निर्धारण करती है, मैं इस सदन के सदस्यों के समक्ष आप के द्वारा कहूंगा कि यह एक भ्रान्ति की बात है । अगर अधिकारी नीति का निर्धारण करते है तो हमारे बीच में तो बहुत से पुराने अंग्रेजी जमाने के अधिकारी चले आ रहे हैं जो उनकी नीतियों को अपनाते थे । क्या उन्होंने जब शासन बदला, राज्य बदला, समाज के बिचारों में परिवर्तन हुआ, नया विधान आया अपने बिचारों में परिवर्तन नहीं किया ? और, यदि वे उन्हीं बिचारों से ओत प्रोत रहते तो क्या हमारी नजरों के सामने से राजे, महाराजे और नवाब ओझल होते ? आज यदि ये ओझल हो पाये तो इसी कारण से कि उन्होंने नीतियों को अपनाया, उन विश्वासों के पीछे वे चले जिनकी उत्तरोत्तर मांग देश के अन्दर फैल रही थी । आज यह कहना कि ब्यूरोक्रेसी नीतियों को चलाती है मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं । आज सारे समाज का परिवर्तन हो रहा है, उसके बिचारों में परिवर्तन हो रहा है । यह परिवर्तन उन नीतियो के द्वारा आया है जिनको समय की गति ने और उन विश्वासों ने, जनता के नेताओं ने जनता के अन्दर प्रस्तुत किया और उन्हीं विचारों से प्रभावित आज अधिकारीगण भी हो रहे है । भले ही कुछ अधिकारीगण उनसे प्रभावित न हों परन्तु उत्तरोत्तर जो नया वातावरण हमारे बीच में दिखाई पड़ रहा है वह उन पर भी असर डाल रहा है और यदि वह असर नहीं डाल पा रहा है तो वह हमारी कमी है, हमारी कमजोरी है । हम जो जनता के सेवक हैं वह जितनी मात्रा में अपनी कमजोरियों को उनके बीच में प्रदर्शित करते हैं उतनी मात्रा में हमारी कमजोरियां उन पर भी असर डालने नहीं देती हैं । तो मैं माननीय विरोधी दल के नेता से आप के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि वे अपने इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाये कि आज अधिकारी वर्ग बिलकुल नहीं बदला है ।

एक बात यह बार-बार कही गयी कि उत्तर प्रदेश में सर्विसेज के ऊपर बहुत खर्चा बढ़ रहा है । जहां तक उस खर्चे की बात है सदन के समक्ष प्रदेश के योग्य वित्त मंत्री उस दिन जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपने आंकड़ों से यह सिद्ध कर दिया था कि सर्विसेज के ऊपर हमारा खर्चा बढ़ नहीं रहा है । जितनी आमदनी हमारी बढ़ी है उसके अनुपात में यदि हम खर्चे को आंके तो सर्विसेज में हमारा खर्चा घटा है । इसके आंकड़े उन्होंने उस दिन प्रस्तुत किये थे । मैं उन आंकड़ों को आज यहां प्रस्तुत नहीं करूंगा, केवल यही निवेदन करूंगा कि सर्विसेज के ऊपर जिस अनुपात में हमारी आमदनी बढ़ी है हमारा खर्चा बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है । श्रीमन्, मैं एक बात आपके द्वारा माननीय उग्रसेन जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से शान्तिपूर्वक मैं उनके विचारों को सुनता हूं यद्यपि उनसे सहमत नहीं रहता हूं उसी प्रकार से वे भी अपने अन्दर क्षमता पैदा करें कि वे चाहे दूसरे के विचारों से सहमत न हों लेकिन उनको शांतिपूर्वक सुनें ।

मैंने अभी यह कहा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया था कि ज्यों ज्यों हमारी आमदनी बढ़ी है त्यों त्यों हमारी सर्विसेज के ऊपर खर्च कम हुआ है । मैं आज आपके सामने वे आंकड़े प्रस्तुत करता हूं जिनके द्वारा मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में जितनी हमारी आमदनी है हमारा खर्चा बढ़ा नहीं है बल्कि कम है । मेरे पास जो आंकड़े वित्त विभाग से आये हैं, मैं उनको आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । मेरे पास आंकड़े ५७–५८, ५८–५९ और ५९–६० के एक्चुअल्स के हैं । यह आंकड़े स्टेटमेंट शोइंग परसेंटेज आफ एक्सपेंडीचर इन रिलेशन टू रेवेन्यू एक्सपेंडीच ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

(Statement showing percentage of expenditure in relation to revenue expenditure:

प्रदेश का नाम		सन् १९५७–५८		सन् १९५८–५९		सन् १९५९–६०	
आन्ध्र प्रदेश	..	२०.६	प्रतिशत	१९.१	प्रतिशत	१७.९	प्रतिशत
बम्बई	..	२१.४	,,	२०.३	,,	१८.५	,,
मध्य प्रदेश	..	२०.६	,,	१८.७	,,	१८.६	,,
पंजाब	..	२२.४	,,	२०.३	,,	१९.४	,,
वेस्ट बंगाल	..	१९.०	,,	१७.१	,,	१६.२	,,
उत्तर प्रदेश	..	१८.०	,,	१५.४	,,	१४.६	,,

जो आंकड़े मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं उनसे यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी सर्विसेज पर खर्च अन्य प्रदेशों के मुकाबले में बढ़ रहा है।

मैं यहां यह भी कह देना चाहता हूं कि जब हम इस निर्माण के युग से गुजर रहे हैं तो भारतवर्ष में क्या हो रहा है, अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है, इससे हम अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं। और, जब अलग नहीं रख सकते हैं और सरविसेज के निर्माण के विषय में चर्चा करते हैं या उनकी तनख्वाह के सिलसिले में विचार करते हैं तो इस बात को नजर के सामने रखना पड़ता है और रखना चाहिये कि केन्द्र में क्या तनख्वाहें हैं तथा अन्य प्रदेशों में क्या तनख्वाहें हैं। यह नहीं हो सकता है जैसा कि माननीय नेता विरोधीदल ने कहा कि "इक्वेल पे फार इक्वेल वर्क" "Equal pay for equal work" यानी अगर किसी पी० सी० एस० के आदमी को कोई काम सुपुर्द करते हैं तो उसे वही तनख्वाह मिलनी चाहिये जो आई० पी० एस० के आदमी को मिलती है या आई० पी० एस० के आदमी को वही तनख्वाह मिलनी चाहिये जो पी०सी०एस० के आदमी को मिलती है। यह बात उन्होंने अपने तर्क में कही। मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि उनका तर्क सही नहीं है क्योंकि हम जो प्लान के तहत में काम कर रहे हैं, एक बड़ी योजना के तहत में हम काम कर रहे हैं। एक बड़ी योजना के हम जुज हैं, उसमें हम कोई ऐसी नीति निर्धारित नहीं कर सकते जो नीति उस बड़ी योजना के विरुद्ध हो। हमने आल इंडिया सर्विसेज कायम कर रखी है और उनकी आवश्यकता है। शायद आज से दस पन्द्रह वर्ष पहले मैं भी यही विचार व्यक्त करता कि आल इंडिया सर्विसेज की आवश्यकता नहीं है लेकिन आज जब कि देश में प्रान्तीयता की भावना फैल रही है हमारे बीच में आल इंडिया सर्विसेज का होना आवश्यक है। चूंकि आल इंडिया सर्विस में दक्खिन का आदमी उत्तर प्रदेश में नौकरी करता है और उत्तर प्रदेश का आदमी दक्खिन में काम करता है, इसलिये आल इंडिया सर्विसेज का होना आवश्यक है। जब वह होंगी तो आल इंडिया सर्विसेज और प्रान्तीय सर्विसेज की एक सी तनख्वाहें कैसे हो सकती हैं? आल इंडिया सर्विसेज की तनख्वाह केन्द्र द्वारा निर्धारित होती हैं। क्या हम उनकी तनख्वाहों में घटौती कर सकते हैं? आज इस प्रकार सुझाव प्रस्तुत करना कि आई० पी० एस० और पी० सी० एस० की तनख्वाहें बराबर कर दी जायं यह वास्तविकता से परे बात है। आल इंडिया सर्विसेज का एक इम्तिहान होता है। उसमें हर प्रदेश का नवयुवक बैठ सकता है। उस कम्पेटीशन में जो ऊंचे नम्बर से आता है वह सेलेक्ट हो जाता है और वह इन पदों को जाकर सुशोभित करता है। तो जब ऐसी व्यवस्था है तो यह कहना कि उनको इतनी तनख्वाह नहीं देना चाहिए यह बात सही नहीं है। यह बात असिलियत से परे है।

मुझे जरा ताज्जुब हुआ जब मेरे नौजवान साथी नेकराम जी ने शायद ऐसा कहा—मैं उपस्थित नहीं था, मुझे बताया गया—कि वकीलों में से हाईकोर्ट जज न बनाये जायं। पिछले वर्षों जब अंग्रेज राज्य करता था यह लड़ाई रही बार और प्रशासन में कि बार से हाईकोर्ट जज बनाये जायं क्योंकि उस जमाने में आई० सी० एस० हाईकोर्ट जज बनते थे या एक आधा जो विदेश से बैरिस्टर डिग्री लेकर आता था उसको बना देते थे। आई० सी० एस० से जो रखे जाते थे क्या वह बड़े ज्ञानवान होते थे, ला के विशेषज्ञ होते थे? ऐसी बात नहीं थी। तो जो वर्षों की लड़ाई के बाद एक प्रथा बदली गयी, ऐसे व्यक्तियों को हाई कोर्ट का जज बनाया गया जिन्होंने ला के प्रोफेशन में ख्याति प्राप्त की, मैं नहीं जानता कि आज यह बात कैसे कही जाती है कि वकीलों से हाईकोर्ट के जज न बनाये जायं? मैं नहीं जानता कि जो क्रान्तिकारी विचार शर्मा जी ने प्रस्तुत किये हैं, वह आज के विचारों के कहां तक अनुकूल हैं। जब हम बहस करें तो एक तो कविता की भाषा में बात न करें, आसमान की बात यहां नहीं प्रस्तुत करनी चाहिये। हम जिस दिशा में चल कर तेजी के साथ तरक्की कर सकते हैं, वह बात हमें सदन के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए और उसी प्रकार के सुझावों के द्वारा हम प्रदेश में जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको हटा सकते हैं और साथ में एक शुद्ध और स्वस्थ वातावरण उन परम्पराओं के रचने के लिए स्थापित कर सकते हैं जिनको कि हम अपने बीच में रखना चाहते हैं।

विरोधी दल के नेता जी ने एक सर्क्युलर पढ़ कर सुनाया था जो हमारे मुख्य सचिव की तरफ से कुछ हमारे अधिकारियों के पास भेजा गया था। उस सर्कुलर का संबंध था उन अधिकारियों या कर्मचारियों की कार्यवाहियों से जो अस्थायी रूप से सरकार के विभागों में जगह जगह पर काम कर रहे हैं और जो कभी-कभी ऐसा आचरण अपनाते हैं कि जिस आचरण को ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल कन्सर्न में काम करते हैं, अपनाते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सेक्रेटरी महोदय ने स्वतः बिना सरकार के बताये हुये, बिना मेरी आज्ञा के, ऐसा सर्कुलर निकाल दिया। उस सर्कुलर के सम्बन्ध में उन कर्मचारियों के लिये जो कि अपने उच्च अधिकारियों के विरुद्ध आन्दोलन करते हैं, या सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं उनके विरुद्ध जो कार्यवाही करने की बात सेक्रेटरी महोदय ने लिखी थी उस पर उन्होंने बहुत आपत्ति की कि यह तो बड़ी ग़लत बात है। वहां ८, ७ साल से कर्मचारी नौकर हैं और जो अपने को परमानेन्ट बनाने के लिये प्रदर्शन इत्यादि करते हैं तो उन्हें एक महीने का नोटिस दे कर निकाल देने की बात जो सर्कुलर में उन्होंने लिखी वह बड़ी ग़लत बात है जो उन छोटे कर्मचारियों की रक्षा करने वाली बात नहीं है। मैं आप के द्वारा विरोधी दल के नेता जी से कहना चाहता हूं कि जो सर्कुलर चीफ सेक्रेटरी ने निकाला वह मेरी आज्ञा से निकाला, मेरे आदेश से निकाला। और, मैं यह कह देना चाहता हूं, सफ़ाई के साथ कह देना चाहता हूं कि जो सरकारी कर्मचारी है या सरकारी अधिकारी हैं जब वह आज यहां राजकाज में सेवा करने के कार्य में नियुक्त हुये हैं तो मैं कुछ और ही परम्पराएं चाहता हूं, कुछ और ही तरह की मर्यादायें उनके बीच में पैदा होते हुए देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आज उनके तरीके वह तरीके हों जो कि इंडस्ट्रियल कन्सर्न में काम करने वालों के तरीके हैं जिन्हें कि वह रोजमर्रा बाहर जाकर बरतते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी उन तरीकों को बरतेगा जो कि इंडस्ट्रियल कन्सर्न में काम करने वालों के तरीके हैं और जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके हैं, यदि शासन में काम करते हुए उन तरीकों को बरतेगा तो यह सरकार उन तरीकों को कभी बरदाश्त नहीं कर सकती और न वह कभी इस तरह के तरीकों को बरतने की इजाजत दे सकती है। क्योंकि वह उन कर्मचारियों पर कुछ नियंत्रण की आवश्यकता समझती है, कुछ नियंत्रित ढंग से कार्य करने की क्षमता उनके अन्दर पैदा होते हुए देखना चाहती है। सरकारी कर्मचारियों को इंडस्ट्रियल कंसर्न में काम करने वालों को मिले हुए अधिकारों से अधिक अधिकार मिले हुए हैं। उनको अपने रेप्रेजेन्टेशंस करने के तरीके दिये हुए हैं, अपील करने के तरीके दिये हुए हैं। उनको उन व्यक्तियों से अधिक अधिकार मिले हुए हैं और यदि वह उन तरीकों को किन्हीं लोगों की गुमराहियत में आकर अपनाते हैं तो यह सरकार उन तरीकों को बरदाश्त नहीं करेगी। उन

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

तरीकों को तोड़ेगी, उनको सजा देगी और जो सर्कुलर में बात दी गई है उसके अनुसार कार्यवाही करेगी। यह सरकार प्रदेश के शासन को सम्हालना चाहती है। जिस ढीलेपन की चर्चा की गई उस ढीलेपन को वह अपने अन्दर पैदा नहीं होने देना चाहती। जो लोग इस प्रकार उनको गुमराह करेंगे वह इस सरकार के चलाने में हमको सहयोग नहीं देंगे। आज हम प्रत्येक से यह निवेदन करेंगे कि सरकार के चलाने में और सुगमता से चलाने में हर एक को सहयोग प्रदान करना है क्योंकि सरकारें आयेंगी और चली जायेंगी परन्तु परम्परायें जीवित रहेंगी और वही हमें आगे ले जायेंगी, वही आगे आने वालों को प्रेरणा प्रदान करेंगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आप के द्वारा कि हमें प्रोत्साहन नहीं देना है ऐसे व्यक्तियों को जो कि गुमराहियत के तरीके अपनाकर गलत रास्ते को अपनाते हैं, शासन को कमजोर करने की चेष्टा करना चाहते हैं और शासन में उच्छृंखलता पैदा करने की चेष्टा करना चाहते हैं। यह उच्छृंखलता शासन के अन्दर हम बरदाश्त नहीं करेंगे। यह सरकार फार्मली उन लोगों से डील करेगी जो इस तरह की बात करेंगे और उन लोगों से भी डील करेगी जो ऐसे व्यक्तियों को बहकायेंगे और बहकाकर अपनी तरफ लाने को चेष्टा करेंगे।

विरोधीदल के नेता ने यह आपत्ति की कि सेक्रेटेरियेट के अन्दर क्रास फरटिलाइजेशन नहीं है और यहां एक जमाने से अधिकारी आये हुये हैं उनका परिवर्तन नहीं होता है। इस विषय पर पिछले वर्ष भी चर्चा हुई थी और सदन को इस बात का ज्ञान है कि उस चर्चा के बाद ही करीब यहां १५ अफसर ऐसे थे जो १०, १५ साल से सेक्रेटेरियेट में काम कर रहे थे उनमें से ८ सेक्रेटरीज तो बदल गये हैं और यह बदलने का कार्य चल रहा है। यह कार्य भी जो आब्जेक्टिव कंडीशन्स होती हैं उनको देखकर होता है क्योंकि आज ऐसे भी विभाग हैं जिनकी जानकारी एक व्यक्ति विशेष रखने लग गया है। चाहे वह ग़लत तरीका ही माना जाय लेकिन आज यह वास्तविकता है। इस सरकार की यह नीति नहीं है कि यहां जो सेक्रेटरीज हैं वे बराबर यहीं पर बने रहें लेकिन आवश्यकता के अनुसार सरकार उन सेक्रेटरीज को बदलती है और नये सचिवों को लाती है। पिछले वर्ष भी हमने बदले हैं और उत्तरोत्तर बदलते रहेंगे। अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार उनको बदलते रहेंगे। तो यह बात नहीं है कि हम किन्हीं खास व्यक्तियों को यहां पर रखना चाहते हैं। आज का युग ऐसा युग हो गया है जिसमें कभी-कभी विशेष प्रकार के अफसरों की आवश्यकता होती है। आज जो केन्द्र में तनख्वाह मिलती है और जो केन्द्र में लोगों को ऊंची जगह मिल जाती है वह भी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कभी-कभी प्रदेशीय सरकार दिक्कत में पड़ जाती है। एक अधिकारी, जो योग्य अधिकारी है, जो जानकारी रखने वाला अधिकारी है, विशेषज्ञ है, एक तरह से किसी विषय का विशेषज्ञ हो गया है, वह चाहे यहां पर कम तनख्वाह पाता हो लेकिन केन्द्र में उसको ज्वाइन्ट सेक्रेटरी का ओहदा मिल जाता है। वह जैसे ही वहां जाता है, वहां पर कमिश्नर की तनख्वाह उसको मिलने लगती है यानी उनको २,२५० रुपया मिलने लगता है। ऐसी परिस्थिति हमारे बीच में आई कि ऐसे अधिकारी जिनको हम योग्य समझते थे और जिनको हम समझते थे कि अपने प्रदेश के लिये उनकी नितान्त आवश्यकता है, वे बुलाये गये। हमने उनको वहां नहीं जाने दिया। उनसे कहा कि तुम हमारे यहां कार्यभार सम्भालो। काफी समय तक हमने उस व्यक्ति को अपने बीच में रखा। बार-बार उनकी मांग आने लगी। हमने इस बात पर विचार किया कि क्या यह बुद्धिमत्ता होगी कि ऐसे व्यक्ति को हम अपने बीच से जाने दें। हम विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि दूरदर्शिता इसमें है कि हमारे बीच में वह व्यक्ति रहे और यदि १००, २०० रुपया उसके ऊपर ज्यादा खर्च होने लगे तो इसमें कोई हानि की बात नहीं है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से हमने यह उचित समझा कि २००, २५० रुपये की बचत करके ऐसे व्यक्ति को खोना उचित नहीं है और ऐसे व्यक्ति को अपने बीच में रखना ही चाहिए। तो आज इसी भावना से प्रेरित हो कर उस सचिव को हम अपने बीच में रखना चाहते हैं जो मेहनत करता है, जो योग्य है और जो हमको सही और ठीक सुझाव दे सकता है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति

यदि उनके बीच में आये तो वह उनसे काम सीखे और वह भी उसी तरीके से काम करे। तो वह तरीका हमारा काम करने का है और इसी तरीके को हम अपने यहां बरतना चाहते हैं।

मैं आज एक बात की चर्चा नहीं करूंगा और न इस तरफ के किसी व्यक्ति को उसका चर्चा करने दूंगा। सब लोग चिल्लाते यह हैं कि जाति बिरादरी हमारे देश के लिये कलंक है और जाति बिरादरी हमारे गणतंत्र को जीवन देने वाली नहीं है। हम जानते हैं कि जाति बिरादरी का प्रश्न हमारी आंखों से ओझल हो लेकिन जब जाति और बिरादरी का प्रश्न उठाकर नेता विरोधी दल चर्चा करते हैं, तो मैं आप के द्वारा सदन में कहना चाहता हूं कि हम उस पम्परा को अपने बीच में स्थापित नहीं करते कि जिसको स्थापित करने की अभिलाषा और आकांक्षा हमारे हृदय में हैं। मैं अनुभव करता हूं कि यह जात-बिरादरी का प्रश्न यदि हमारे बीच में चलता रहा तो जो ४०, ५० सालों में राजनीतिक क्रान्ति द्वारा हमने प्राप्त किया है वह सब कुछ नजर से ओझल हो जायगा। इसके लिये कोई मर्यादा और परम्परा अपने बीच में हम को स्थापित करनी होगी। बार बार अधिकारियों के बारे में यह जिक्र करना कि अमुक अधिकारी फलानी बिरादरी का है, क्या है? आखिर अधिकारी अपनी सीनियरिटी के हिसाब से नियुक्त होते हैं और उनको चुनने वाला पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। यदि कोई अधिकारी अपने अधिकार से किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है तो उस के लिये यह दोष लगाया जाय कि यह अमुक बिरादरी का है, चाहे वह दो साल पहले लगाया गया हो अथवा चार साल पहले, यह एक दोषपूर्ण परम्परा है और इसे यदि हम इस सदन में चलने देने की चेष्टा करते हैं तो हम अपने को एक सही रास्ते से अलग करने की चेष्टा करते हैं और ऐसा करके हम स्वस्थ परम्पराओं की रचना अपने बीच में नहीं कर सकेंगे।

माननीय विरोधी दल के नेता ने एक सुझाव यह भी दिया था कि हमारे बीच में जैसे आई० ए० एस०, आई० पी० एस० सर्विसेज हैं वैसे ही इंडस्ट्रियल और सोशल सर्विसेज भी होनी चाहिए। यह एक ऐसा विचार है कि जिस पर पहले भी विचार हो चुका है और विचार कर के हम इस निर्णय पर कदाचित् पहुंचे हैं कि एक सर्विस रख कर हम रिस्ट्रिक्शन्स द्वारा अपने बीच में ऐसे व्यक्ति पैदा कर सकते हैं जो कि अपने बीच में इंडस्ट्रियल बायस पैदा कर लें, सोशल बायस पैदा कर लें या अन्य प्रकार के बायस पैदा कर लें कि जिनकी अमुक सर्विसेज के लिये नितांत आवश्यकता हो। इसके अतिरिक्त यह विषय केवल प्रदेश सरकार से ही सम्बन्ध रखने वाला विषय नहीं है। कभी-कभी मैंने भी ऐसा अनुभव किया है कि जो हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनमें हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है कि जिन्होंने उद्योग-धंधों में तजुर्बा हासिल किया हो और उसके आधार पर वे हमारे उद्योग-धंधों को इस प्रकार चला दें कि जिससे हम उन से फायदा उठा सकें। अक्सर देखा गया है कि प्रारम्भ में पब्लिक अंडरटेकिंग्स में फायदा नहीं हो पाता है और इसका मुख्य कारण हमारी और हमारे अधिकारियों की अनुभवहीनता ही है। यदि कभी ऐसे व्यक्ति हमको मिल जाते हैं तो हम उन्हें अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स में एडहाक बेसिस पर रख लेते हैं और उनसे सहायता लेते हैं, उन से सहयोग लेते हैं और उनकी जानकारी और अनुभव से फायदा उठाते हैं और अपनी अंडरटेकिंग्स को चलाते हैं। शुगर इंडस्ट्री में कई ऐसे व्यक्तियों को हमने रखा है जिन्हें बाहर का तजुर्बा रहा है और जिन्होंने बराबर फैक्टरीज में काम किया है और उन्होंने यहां आ कर अपने अनुभव से हमें फायदा पहुंचाया है। बहरहाल, यह एक ऐसा विचार है जिस पर पुनः विचार हम कर सकते हैं। आने वाले वर्षों में जब कि हमारे पास बहुत सी अंडरटेकिंग्स हो जायंगी और हम उत्तरोत्तर उद्योगधंधों का राष्ट्रीयकरण करते जायंगे तो हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे अधिकारियों के बीच से ही ऐसे व्यक्ति निकल सकते हैं जो उन्हें चलाने में हमारी मदद करें और उन्हें सफलता से चला सकें। जैसा मुझे बतलाया गया था, यह आई० ए० एस० और आई० पी० एस० सर्विसेज के लोगों ने ही पब्लिक अंडर टेकिंग्स में जाकर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ी है लेकिन उन अधिकारियों का इस्तेमाल उसी तरह से नहीं किया गया। उस पूल को बनाने का मतलब शायद प्रारम्भ में ऐसा ही था

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

विरोधी दल के नेता जी ने यह कहा कि हमारे अधिकारी घोड़े पर दौरा करें। विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन वह विचार कुछ आज के साइकिल के विरुद्ध पड़ता है क्योंकि हमारे नेतागण और सार्वजनिक कार्यकर्त्ता भी आज जब जनता के बीच जाते हैं तो वे बैलगाड़ियों को, घोड़ों को, साइकिलों को भूल जाते हैं और जीप पर ही जाना पसन्द करते हैं। हमने चुनाव के दरमियान देखा कि सारी पार्टियां जीप पर ही जाना पसन्द करती थीं और उसी की कोशिश करती थीं। ट्रान्सपोर्ट विभाग के पास बराबर उनकी मांग बनी रहती थी। माननीय राजनारायण जी तो बिना जीप के चलना नहीं चाहते थे, बिना जीप के चलना उनके लिये दभर मालूम पड़ता था और यही शिकायत उनको अधिकारियों से रहती थी कि उनको जीप नहीं मिलती, उनको जीप दी जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---सरकारी आफिसर्स चुनाव नहीं लड़ते।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकारी आफिसर्स चुनाव नहीं लड़ते मगर वे भी तो उसी वातावरण में पलते हैं जिसमें कि माननीय गेंदा सिंह जी, माननीय उग्रसेन जी, तथा दुबे जी पलते हैं। यदि वे जीप पर चलेंगे तो अधिकारीगण भी उससे प्रेरणा लेंगे और वे भी जीप से ही चलना पसन्द करेंगे। आखिर को हमने जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट का कार्य शुरू किया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे अधिकारीगण जनता के बीच में जायं और उनमें यह भावना पैदा करें कि वे अपने पैरों पर खड़े हों। आज हमारे बी० डी० ओज जीप पर जाते हैं। हमारे नेतागण भी जीप पर जाते हैं। आज जीप का वातावरण पैदा हो गया है, आज रेल का वातावरण पैदा हो गया है, आज हवाई घोड़े का वातावरण पैदा हो गया है, और अब घोड़े और बैलगाड़ी का वातावरण ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आज हम अगर यह आदेश जारी करेंगे कि अमुक अधिकारी घोड़े पर चले, तो वह कितने दिन उस आज्ञा का पालन करेगा, यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है और इस पर हमें सोचना चाहिये। उसकी चर्चा मैं इस अवसर पर नहीं करूंगा।

अब एक प्रश्न माननीय नेता विरोधीदल ने एकोनामी कमेटी का उठाया। उन्होंने कहा कि हमारा खर्चा बहुत दिशाओं में ज्यादा हो रहा है। मैंने भी इसे कुछ अनुभव किया और मैं आज यह मानता हूं कि बहुत-सी दिशाओं में खर्चा कम किया जा सकता है, कुछ पैसा हम बचा सकते हैं, हमने कुछ प्रयास किया भी है, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। जब हम अपने अधिकारियों के बीच बैठते हैं, अपने मंत्रियों के बीच बैठते हैं तो कुछ दिक्कतें हमारे सामने आती हैं और उन पर भी हमें विचार करना होता है और उस समय असलियत हमारे सामने आती है और उस समय हम यह निर्णय करते हैं कि अमुक विभाग में से अमुक कर्मचारियों को निकाल दिया जाय, उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाय, या उनकी संख्या कम कर दी जाय, और उनको कोई नोटिस आदि देते हैं, तो दूसरे दिन यहां सदन में माननीय सदस्य उनकी हिमायत करने लगते हैं उनके अगुआ बन कर आते हैं और कहते हैं कि सरकार को यह कदम नहीं उठाना चाहिये, उनकी नौकरी समाप्त नहीं करनी चाहिये। तो आज यह भी दुर्भाग्य है। यह एक व्यावहारिक प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि इसमें सदन के माननीय नेतागण और सदस्यगण हमारी सहायता करें। जो एकोनामी कमेटी की चर्चा की गई, तो मैं एकोनामी कमेटी को नियुक्त करने के लिये उद्यत हूं। यदि सदन चाहता है, विरोधी दल के नेता और अन्य नेतागण चाहते हैं कि एकोनामी कमेटी नियुक्ति की जाय तो जहां तक सरकार का सम्बन्ध है इस कमेटी को नियुक्त करने से गुरेज नहीं करेगी। लेकिन वह कमेटी ऐसी तो होनी चाहिये जो वास्तविकता से हट कर ऐसी बात करे जो असलियत से परे हो। मैं इस बात की घोषणा किये देता हूं कि सरकार इस प्रकार की एकोनामी कमेटी की नियुक्ति करेगी जिसमें कैबिनेट के तीन-चार सदस्यों और सदन के तीन-चार सदस्यों जिसमें एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन और एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन को रख लेगी। ऐसी कमेटी बनेगी और उसके जो फैसले होंगे वह प्रोपेगेन्डा के लिये प्रकाशि

करने के लिये नहीं होंगे । उसके फैसले एकमत से और एक दृष्टिकोण से होने चाहिये क्योंकि इस प्रदेश की सरकार को चलाने और इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का जो रुपया है उसको सही प्रकार से व्यय करने की सबकी जिम्मेदारी है। जो इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं, हर एक का कर्त्तव्य है कि वह देखें कि जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया ठीक तरह से व्यय हो रहा है या नहीं और उसमें जहां कमी ला सकते हैं उसको प्रस्तुत करें लेकिन वह सुझाव दलगत नीति को सामने रख कर नहीं किये जाने चाहिये और न ऐसी बात आवे कि माननीय हुकुमसिंह जी ने या माननीय सुचेता कृपलानी जी ने हमारी बात नहीं मानी । एकोनामी तो उस दृष्टिकोण से कभी नहीं हो सकेगी और न हम उद्देश्य की पूर्ति कर सकेंगे । तो मैं घोषणा करता हूं कि यह सरकार यह कमेटी सात व्यक्तियों की नियुक्त करेगी जिसमें तीन कैबिनेट के सदस्य होंगे और चार व्यक्ति इस सदन के सदस्य होंगे जिनमें एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन और एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन, वह भी इन चारों में से सदस्य रहेंगे। वह एक स्टैंडिंग कमेटी होगी, कोई एडहाक कमेटी नहीं होगी। उसका काम होगा कि वह बैठें और सुझाव दे कि अमुक जगह पर घटोत्तरी की जा सकती है, कमी की जा सकती है । वह एक मत से सुझाव देगी (व्यवधान) मैंने एकमत से इसलिये कहा कि यदि दलगत दृष्टिकोण से सुझाव प्रस्तुत किये जायंगे तो जनता में कहेंगे कि अमुक बात हमने कही थी लेकिन सरकार ने नहीं मानी। इसलिये यह परम्परा हमारे बीच में नहीं बननी चाहिये ।

एक सदस्य—उससे लाभ नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष—अभी तो वह कमेटी नहीं बन रही है, जब बनेगी तब बतलाइयेगा कि लाभ है या नहीं, अभी से क्यों पेट में दर्द हो रहा है ।

एक सदस्य—इससे तो खर्चा ही बढ़ेगा ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अगर खर्चा बढ़ने की बात है तो यह प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिये था। यह मांग तो उधर से ही रखी गई है । मालूम होता है आपका यह दृष्टिकोण है ही नहीं और न सदन में उस दृष्टिकोण को रखना चाहते हैं जिसके तहत में हम सुगमता से अपने खर्चे में कमी ला सकें और जनता की गाढ़ी कमाई को इस ढंग से खर्च कर सकें जिससे जनता का अधिक से अधिक फायदा हो सके ।

एक सवाल सेप्रेशन आफ जुडिशियरी ऐंड एग्जीक्यूटिव का उठाया गया । माननीय नवलकिशोर जी ने उसका उत्तर दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष—सदन का समय मैंने १५ मिनट के लिये बढ़ा दिया है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तराखंड, अलमोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल के जिलों को छोड़कर सभी जगह ए० डी० एम० (जे) और जुडिशियल आफिसर्स की नियुक्ति कर दी गई है । तो जो हमारा यह सेपरेशन का ढंग हमारे प्रदेश में चल रहा है, वह अच्छे ढंग से चल रहा है । वह आपत्ति जनक ढंग नहीं है । वह ऐसा है जिसमें हम कम खर्चे में उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस सदन के सब सदस्यगण लालायित हैं । इसलिये मैं उस विषय में अधिक चर्चा नहीं करूंगा । हमारे विचार और उन माननीय सदस्यों के विचार में कोई दो मत नहीं हैं जिन्होंने सेपरेशन आफ जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव की चर्चा की । हमने जो योजना कायम कर रखी है और वह योजना हमें उत्तरोत्तर उस दिशा में ले जा रही है, और उस उद्देश्य की पूर्ति कर रही है जिस उद्देश्य की पूर्ति आप और हम देखना चाहते हैं ।

मैं अब और अधिक समय न लेते हुए और चीजों का ज्यादा ब्यौरा न देते हुए, क्योंकि यहां जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ब्योरे की बातों से संबंधित हैं जिनके ऊपर विभाग, विभागीय कर्मचारी और मंत्रिमंडल विचार करेगा । लेकिन उनमें से कुछ ऐसी

[अध्यक्ष]

बातें थीं जिनका संबंध नीति से था, मैंने उनकी चर्चा संक्षेप में की। इन शब्दों के साथ जो दृष्टिकोण मैंने प्रस्तुत किया है और उसके प्रकाश में जो मांग मैंने सदन के समक्ष रखी है, उसको अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे, ऐसी आशा मुझे सदन के सभी सदस्यों से है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एकोनामी कमेटी के बारे में मेरे सुझाव को स्वीकार किया है, उसकी स्वीकृति की घोषणा की है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि उस एकोनामी कमेटी की वे विधिवत् घोषणा करेंगे और उसके निर्णय और परामर्शों के अनुसार वे शासन में सुधार करने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष---मैं सदन में बता दूं कि यह उनका विचार है कि इस प्रकार की कमेटी बने। एस्टीमेट्स कमेटी के मुकाबले में यह कमेटी कैसे बनेगी, उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी विचार करना पड़ेगा।

(कुछ ठहर कर)

मैं अब माननीय नेता विरोधीदल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव को रखूंगा। उसके अतिरिक्त आपके सामने जो और कटौती के प्रस्ताव आये हुए हैं उनका उसमें समावेश समझा जायगा और इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति इतर कटौती के प्रस्तावों पर लाग होगी। कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०---सामान्य प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १०---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त १,६७,१३,६०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय---

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१९६,
विपक्ष में---६०।)

श्री अध्यक्ष---अब मैं अनुदान संख्या ११ पर माननीय यादवेन्द्रदत्त द्वारा प्रस्तुत कटौती क प्रस्ताव को रखता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११---आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा नीति का सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११---आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,४३,९५,८०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आश्वासन, प्रतिनिहित विधायन, विशेषाधिकार तथा आवास मंत्रणा समितियों के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---अब मैं आपके समक्ष विभिन्न समितियों के, जिनका निर्माण मुझे करना था, संबंध में सूचना देना चाहता हूं---

आश्वासन समिति में निम्नलिखित १५ सदस्य होंगे---

१---श्री श्रीपाल सिंह, २---श्री गणेश चन्द्र काछी, ३---श्री शिव मंगल सिंह, ४---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी, ५---श्री श्रीपति मिश्र, ६---श्री सत्यवीर, ७---श्री सईद अन्सारी, ८---श्री एस० जी० दत्ता, ९---श्रीमती सिया दुलारी, १०---श्री राजेन्द्र सिंह, ११---श्री केशरी प्रसाद पांडेय, १२---श्री चन्द्रबली सिंह, १३---श्री मुन्नू सिंह, १४--- श्री ऊदल तथा १५---श्री भगवान दास (आगरा) ।

इसके सभापति होंगे माननीय श्रीपालसिंह ।

प्रतिनिहित विधायन समिति में निम्नलिखित १५ सदस्य होंगे---

१---श्री ब्रजभूषण शरण, २---श्री अशरफ अली खां, ३---श्री महाबीर सिंह, ४---श्री तामेश्वर प्रसाद, ५---श्री रामसूरत, ६---श्री काजी जलील अब्बासी, ७---श्री राजाराम मिश्र, ८---श्री माधव नारायण मुद्गल, ९---श्री नौरंग लाल, १०---श्री बाबू लाल श्रीवास्तव, ११---श्री विजय सिंह, १२---श्री भीखा लाल १३---श्री मेंघनाथ सिंह सिसौदिया, १४---श्री कमला सिंह यादव तथा १५---श्रीमती सुशीला रोहतगी ।

इसके सभापति होंगे माननीय ब्रजभूषण शरण ।

विशेषाधिकार समिति, इसके सदस्य पदेन होते हैं माननीय उपाध्यक्ष और अन्य ९ सदस्य इस प्रकार होंगे:---

१---श्री नवल किशोर, २---श्री कृष्णानन्द राय, ३---श्री देवेन्द्र सिंह मेहरा ४---श्री अमजद अली खां, ५---श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, ६---श्री सालिग राम जायसवाल ७---श्री चन्द्रजीत यादव, ८---श्री राधेश्याम शर्मा तथा ९---श्री नेकराम शर्मा ।

इसके सभापति पदेन उपाध्यक्ष होते हैं ।

आवास मंत्रणा समिति---माननीय उपाध्यक्ष और १४ इतर सदस्य होते हैं---

१---श्री राममूर्ति, २---श्री बनारसी दास, ३---कुमारी श्रद्धादेवी, ४---श्री देवीदत्त छिनवाल, ५---श्री बसन्त लाल शर्मा, ६---श्री बंशीधर मिश्र ७---श्री रामचरण शाह, ८---श्री भगवान दास बरनवाल, ९---श्री मैनेजर सिंह, १०---श्री बाबू सिंह, ११---श्री प्रेम सिंह, १२---श्री बालो जी, १३---श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई, तथा १४---श्री बंशीधर पांडेय ।

इसके सभापति माननीय उपाध्यक्ष रहेंगे ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
२ मई, १९६२ ।

पी० एस० यू० पी०---ए० पी० ६५ एल० ए०---१९६२---८४५ ।